

मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2011–12

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रस्तावना	iv
विनियोग लेखे का सार	1-13
विनियोग लेखे-	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	19-22
भारित विनियोग-लोक ऋण	23-25
01. सामान्य प्रशासन	26-30
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	31-32
03. पुलिस	33-37
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	38-39
05. जेल	40-41
06. वित्त	42-47
07. वाणिज्यिक कर	48-51
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	52-56
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	57-58
10. वन	59-62
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	63-66
12. ऊर्जा	67-69
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	70-73
14. पशुपालन	74-76
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	77-82
16. मछली पालन	83-84
17. सहकारिता	85-86
18. श्रम	87-88
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89-94
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	95-100
21. आवास एवं पर्यावरण	101-102
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	103-104
23. जल संसाधन	105-114
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	115-119
25. खनिज साधन	120-121
26. संस्कृति	122-123
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	124-127
28. राज्य विधान मंडल	128-129

	पृष्ठ
29. विधि और विधायी कार्य	130-134
30. ग्रामीण विकास	135-136
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	137-139
32. जनसंपर्क	140-141
33. आदिम जाति कल्याण	142-143
34. सामाजिक न्याय	144-145
35. पुनर्वास	146
36. परिवहन	147-148
37. पर्यटन	149
38. आयुष	150-151
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	152-153
40. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	154-157
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	158-175
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	176-178
43. खेल और युवक कल्याण	179-180
44. उच्च शिक्षा	181-182
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	183-186
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी	187
47. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	188-190
48. नर्मदा घाटी विकास	191-199
49. अनुसूचित जाति कल्याण	200
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	201-203
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	204
52. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	205-209
53. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	210-211
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	212
55. महिला एवं बाल विकास	213-216
56. ग्रामोद्योग	217-218
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	219-221
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	222-225
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	226
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	227-228
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	229-233
62. पंचायत	234

	पृष्ठ
63. अल्प संख्यक कल्याण	235-236
64. अनुसूचित जाति उपयोजना	237-252
65. विमानन	253
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	254-255
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	256-260
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	261-262
69. सूचना प्रौद्योगिकी	263
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	264
71. जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	265
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	266-268
73. चिकित्सा शिक्षा	269-270
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	271-277
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	278-283
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	284
77. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	285-287
परिशिष्ट:	
परिशिष्ट-I वसूलियां जिनका लेखाओं में समायोजन व्यय में कमी के रूप में किया गया	291-292
परिशिष्ट-II शीर्ष 8443-सिविल जमा 800-अन्य में जमा राशियों का अनुदानवार विवरण	293-296

प्रस्तावना

वर्ष 2011-12 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
(1)	(2)	(3)	बचत	आधिक्य
	(हजार ₹ में)		(4)	(5)
भारित विनियोग— ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व— प्रभारित	55,68,31,09	52,84,58,65	2,83,72,44	..
भारित विनियोग— लोक ऋण पूँजीगत— प्रभारित	68,00,10,29	31,49,79,24	36,50,31,05	..
01. सामान्य प्रशासन राजस्व— दत्तमत प्रभारित	2,52,76,96 18,46,01	2,14,73,75 13,32,07	38,03,21 5,13,94
पूँजीगत— दत्तमत	19,79,49	11,51,63	8,27,86	..
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत	35,84,33	34,04,89	1,79,44	..
पूँजीगत— दत्तमत	3,90,00	3,89,00	1,00	..
03. पुलिस राजस्व— दत्तमत प्रभारित	25,58,49,58 51,00	23,65,47,40 48,04	1,93,02,18 2,96
पूँजीगत— दत्तमत	72,34,36	34,87,61	37,46,75	..
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत प्रभारित	20,92,41 5,01	16,14,25 ..	4,78,16 5,01
पूँजीगत— दत्तमत	68,98	68,97	1	..
05. जेल राजस्व— दत्तमत प्रभारित	1,56,21,94 50	1,53,15,47 ..	3,06,47 50
पूँजीगत— दत्तमत	9,89,52	9,08,27	81,25	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
06. वित्त				
राजस्व—				
दत्तमत	65,09,80,62	45,43,59,99	19,66,20,63	..
प्रभारित	14,78,40	54,97	14,23,43	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	16,18,30,01	1,16,52,32	15,01,77,69	..
07. वाणिज्यिक कर				
राजस्व—				
दत्तमत	14,87,07,39	13,76,12,30	1,10,95,09	..
प्रभारित	1,47,87,11	1,47,80,08	7,03	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	70,00	70,00
08. भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व—				
दत्तमत	8,82,44,02	6,89,30,00	1,93,14,02	..
प्रभारित	5,42,50	4,86,56	55,94	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	30,04,00	29,50,75	53,25	..
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	49,50,53	33,32,09	16,18,44	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	45,00	33,59	11,41	..
10. वन				
राजस्व—				
दत्तमत	12,83,04,33	10,88,52,72	1,94,51,61	..
प्रभारित	12,53,00	43,90	12,09,10	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	34,00,00	33,82,14	17,86	..
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
राजस्व—				
दत्तमत	2,12,95,09	2,03,88,53	9,06,56	..
प्रभारित	1,30,00	1,26,63	3,37	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	2,17,83,11	1,78,64,91	39,18,20	..
प्रभारित	10,00	10,00
12. ऊर्जा				
राजस्व—				
दत्तमत	19,70,92,20	19,64,30,61	6,61,59	..
प्रभारित	3,05,00,00	3,05,00,00
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,56,90,69,53	1,55,05,39,69	1,85,29,84	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	10,48,78,58	8,96,41,71	1,52,36,87	..
प्रभारित	13,00	2,68	10,32	..
14. पशुपालन				
राजस्व—				
दत्तमत	5,05,51,14	4,61,21,62	44,29,52	..
प्रभारित	28,50	28,47	3	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	54,50,00	54,50,00
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	10,89,94,44	9,13,49,44	1,76,45,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	61,86,20	84,34,36	..	22,48,16
				(22,48,16,000)
16. मछली पालन				
राजस्व—				
दत्तमत	60,57,93	47,53,93	13,04,00	..
प्रभारित	3,00	..	3,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	20,00	20,00
17. सहकारिता				
राजस्व—				
दत्तमत	4,57,48,58	4,22,14,25	35,34,33	..
प्रभारित	1,25	..	1,25	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	3,51,30,10	3,29,15,00	22,15,10	..
18. श्रम				
राजस्व—				
दत्तमत	99,86,79	91,44,46	8,42,33	..
प्रभारित	2,00	..	2,00	..
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	18,00,40,01	17,24,56,33	75,83,68	..
प्रभारित	55,00	31,04	23,96	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,13,14,88	21,89,93	91,24,95	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	3,63,05,81	3,00,93,08	62,12,73	..
प्रभारित	50,00	20,34	29,66	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	4,63,52,42	4,04,59,97	58,92,45	..
21. आवास एवं पर्यावरण				
राजस्व—				
दत्तमत	1,05,46,54	96,04,74	9,41,80	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	43,24,24	43,16,24	8,00	..
प्रभारित	2,00	50	1,50	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास				
नगरीय निकाय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,11,51,93	92,72,42	18,79,51	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,54,20,05	1,09,97,18	44,22,87	..
23. जल संसाधन				
राजस्व—				
दत्तमत	6,55,19,33	5,76,80,66	78,38,67	..
प्रभारित	20,00	22,24	..	2,24
				(2,24,313)
पूँजीगत—				
दत्तमत	9,67,92,82	8,62,16,73	1,05,76,09	..
प्रभारित	1,00,00	1,00,11	..	11
				(11,000)
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल				
राजस्व—				
दत्तमत	9,20,22,44	8,13,53,76	1,06,68,68	..
प्रभारित	10,00,00	19,49	9,80,51	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	14,82,77,10	11,99,07,23	2,83,69,87	..
प्रभारित	95,00,00	95,00,00
25. खनिज साधन				
राजस्व—				
दत्तमत	25,58,40	21,14,54	4,43,86	..
प्रभारित	6,04,42,32	6,04,39,59	2,73	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,00	4,67	33	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
26. संस्कृति				
राजस्व—				
दत्तमत	1,06,68,94	94,05,58	12,63,36	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	4,39,40	1,89,40	2,50,00	..
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
राजस्व—				
दत्तमत	44,50,42,25	38,56,30,51	5,94,11,74	..
प्रभारित	23,50	..	23,50	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	4,48,01	3,35,69	1,12,32	..
28. राज्य विधान मंडल				
राजस्व—				
दत्तमत	48,94,06	42,25,98	6,68,08	..
प्रभारित	30,30	17,19	13,11	..
29. विधि और विधायी कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	6,86,94,99	5,49,12,88	1,37,82,11	..
प्रभारित	65,03,56	50,34,39	14,69,17	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	50,00	3,00	47,00	..
30. ग्रामीण विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	3,65,25,11	3,30,32,35	34,92,76	..
प्रभारित	6,00	81	5,19	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,94,78,00	1,94,78,00
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	4,59,30,52	72,91,64	3,86,38,88	..
32. जनसंपर्क				
राजस्व—				
दत्तमत	1,41,63,93	1,39,06,37	2,57,56	..
33. आदिम जाति कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	9,43,61,14	9,54,48,62	..	10,87,48
प्रभारित	9,00	8,90	10	(10,87,48,347)
34. समाजिक न्याय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,36,57,57	98,83,84	37,73,73	..
प्रभारित	3,00	1,24	1,76	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
35. पुनर्वास				
राजस्व—				
दत्तमत	64,61	37,93	26,68	..
प्रभारित	50	..	50	..
36. परिवहन				
राजस्व—				
दत्तमत	60,80,34	49,79,43	11,00,91	..
प्रभारित	4,00	..	4,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	2,01,00	2,01,00
37. पर्यटन				
राजस्व—				
दत्तमत	32,19,33	31,91,06	28,27	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	72,00,01	71,99,76	25	..
38. आयुष				
राजस्व—				
दत्तमत	2,45,52,90	1,69,44,64	76,08,26	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	6,00,00	6,00,00
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण				
राजस्व—				
दत्तमत	11,56,37,43	11,42,90,93	13,46,50	..
प्रभारित	1,50	..	1,50	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	11,00,00	8,31,29	2,68,71	..
40. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट				
राजस्व—				
दत्तमत	1,12,42,53	2,78,31	1,09,64,22	..
प्रभारित	50	..	50	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	33,07,86	31,59,83	1,48,03	..
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				
राजस्व—				
दत्तमत	23,56,53,22	20,69,37,31	2,87,15,91	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	17,57,67,42	15,87,02,24	1,70,65,18	..
प्रभारित	15,00	9,98	5,02	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल				
पूजीगत—				
दत्तमत	4,14,06,30	2,76,45,19	1,37,61,11	..
43. खेल और युवक कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	64,91,11	59,90,86	5,00,25	..
पूजीगत—				
दत्तमत	28,12,49	26,85,34	1,27,15	..
44. उच्च शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	8,80,19,03	7,17,08,16	1,63,10,87	..
<i>प्रभारित</i>	30,00	12,03	17,97	..
पूजीगत—				
दत्तमत	18,12,00	17,97,49	14,51	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	85,45,00	79,81,91	5,63,09	..
पूजीगत—				
दत्तमत	5,53,78,67	4,90,95,10	62,83,57	..
<i>प्रभारित</i>	2,00,00	75,96	1,24,04	..
46. विज्ञान और टेक्नालाजी				
राजस्व—				
दत्तमत	18,49,33	18,49,33
पूजीगत—				
दत्तमत	3,35,00	3,35,00
47. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	3,14,46,55	2,84,65,71	29,80,84	..
पूजीगत—				
दत्तमत	55,18,75	55,18,64	11	..
48. नर्मदा घाटी विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	27,71,92	23,26,79	4,45,13	..
पूजीगत—				
दत्तमत	7,65,01,57	7,00,85,00	64,16,57	..
<i>प्रभारित</i>	1,05,22	73,67	31,55	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	61,88,73	60,80,96	1,07,77	..
<i>प्रभारित</i>	10	..	10	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग				
राजस्व—				
दत्तमत	1,96,62,18	1,77,07,83	19,54,35	..
प्रभारित	3,00	2,62	38	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व—				
दत्तमत	14,46,88	11,19,15	3,27,73	..
प्रभारित	25	..	25	..
52. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	17,23,08,94	14,81,59,42	2,41,49,52	..
पूजीगत—				
दत्तमत	19,57,00	42,84,30	..	23,27,30 (23,27,30,000)
53. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	72,74,81	59,71,72	13,03,09	..
पूजीगत—				
दत्तमत	37,30,00	26,06,80	11,23,20	..
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	73,02,00	73,02,00
55. महिला एवं बाल विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	20,89,40,76	20,48,90,91	40,49,85	..
प्रभारित	30,00	5,44	24,56	..
पूजीगत—				
दत्तमत	81,33,71	66,33,70	15,00,01	..
56. ग्रामोद्योग				
राजस्व—				
दत्तमत	83,61,85	81,36,57	2,25,28	..
पूजीगत—				
दत्तमत	3,01,40	2,98,02	3,38	..
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूजीगत—				
दत्तमत	3,58,28,00	2,16,21,71	1,42,06,29	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	10,69,38,88	9,07,87,85	1,61,51,03	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	2,92,50	42,50	2,50,00	..
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	28,22,00	21,32,75	6,89,25	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	74,00,00	74,00,00
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	18,50,59	18,33,78	16,81	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,65,29,15	1,63,00,12	2,29,03	..
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,48,81,35	78,45,04	70,36,31	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	6,19,17,65	3,60,88,27	2,58,29,38	..
62. पंचायत				
राजस्व—				
दत्तमत	1,16,42,11	1,03,88,19	12,53,92	..
प्रभारित	1,20	..	1,20	..
63. अल्पसंख्यक कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	56,20,99	37,88,35	18,32,64	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,12,50	1,12,50
64. अनुसूचित जाति उपयोजना				
राजस्व—				
दत्तमत	16,90,04,65	14,34,98,81	2,55,05,84	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	12,05,17,56	9,71,86,75	2,33,30,81	..
65. विमानन				
राजस्व—				
दत्तमत	19,68,96	15,02,19	4,66,77	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	27,73,00	27,72,00	1,00	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	5,05,38,35	4,99,09,28	6,29,07	..
प्रभारित	20	..	20	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	20,10,00	16,95,00	3,15,00	..
67. लोक निर्माण कार्य—भवन				
राजस्व—				
दत्तमत	4,21,39,89	3,65,25,86	56,14,03	..
प्रभारित	2,50,00	45,28	2,04,72	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,08,61,00	67,21,68	41,39,32	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	64,68,35	47,99,21	16,69,14	..
69. सूचना प्रौद्योगिकी				
राजस्व—				
दत्तमत	31,32,00	20,56,00	10,76,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	50,00	50,00
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	7,42,72	6,75,71	67,01	..
71. जैव विविधता (बायो—डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)				
राजस्व—				
दत्तमत	2,52,00	1,94,15	57,85	..
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास				
राजस्व—				
दत्तमत	63,69,86	52,27,47	11,42,39	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	8,66,44	6,41,83	2,24,61	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
73. चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	2,93,21,17	2,70,44,01	22,77,16	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	31,78,79	30,97,76	81,03	..
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	47,40,57,28	41,98,90,09	5,41,67,19	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,59,65,00	2,38,09,87	..	78,44,87 (78,44,87,200)
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	36,98,54,82	34,02,64,47	2,95,90,35	..
प्रभारित	2,00,80,31	1,40,15,42	60,64,89	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	16,50,00	16,50,00
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
राजस्व—				
दत्तमत	28,38,72	12,62,35	15,76,37	..
77. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
राजस्व—				
दत्तमत	13,75,63,79	10,53,24,44	3,22,39,35	..
प्रभारित	50,00	24,23	25,77	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	17,35,01	16,60,38	74,63	..
योग—				
राजस्व:				
दत्तमत	5,40,53,67,76	4,64,71,01,64	75,93,53,60	10,87,48
प्रभारित	69,60,68,61	65,55,62,30	4,05,08,55	2,24
पूँजीगत:				
दत्तमत	2,82,73,02,00	2,48,59,45,35	35,37,76,98	1,24,20,33
प्रभारित	68,99,42,51	32,47,49,46	36,51,93,16	11
महायोग—				
राजस्व	6,10,14,36,37	5,30,26,63,94	79,98,62,15	10,89,72
पूँजीगत	3,51,72,44,51	2,81,06,94,81	71,89,70,14	1,24,20,44

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित दत्तमत प्रावधान एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है:—

	अनुदान संख्या और नाम	अनुभाग
15—	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूँजीगत दत्तमत
23	जल संसाधन	राजस्व प्रभारित
23	जल संसाधन	पूँजीगत प्रभारित
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व दत्तमत
52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूँजीगत दत्तमत
74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	पूँजीगत दत्तमत

विनियोग लेखे के सार में दिखाये गए व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत पेशगियों से व्यय की गई कोई भी राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई।

विनियोग लेखे के सार में राजस्व अनुभाग में स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित व्यय में 4,64,80.87 लाख ₹ (दत्तमत) एवं 1,20.50 लाख ₹ (प्रभारित) पूँजीगत अनुभाग में 1,18,31.39 लाख ₹ (दत्तमत) कुल राशि 5,84,32.76 लाख ₹ 31 मार्च 2012 को विभिन्न अनुदानों से आहरित कर शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण परिशिष्ट—II में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2011—12 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	4,64,71,01,64	65,55,62,30	2,48,59,45,35	32,47,49,46
घटाइये—वसूलियों का जोड़	3,32,93,17	..	37,73,42	..
वित्त लेखे की विवरण संख्या—10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	4,61,38,08,47	65,55,62,30	2,48,21,71,93	32,47,49,46

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—I में दर्शाया गया है।

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:—

[क] दत्तमत अनुदान

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व—अनुदान संख्या | 01, 04, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 48, 51, 52, 53, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77 |
| (ii) | पूँजीगत—अनुदान संख्या | 01, 03, 06, 09, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 39, 42, 45, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 66, 67, 72 |

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

[ख] प्रभारित विनियोग

- (i) राजस्व—अनुदान संख्या 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 55, 62, 66, 67, 75, 77
- (ii) पूंजीगत—अनुदान संख्या लोक ऋण, 21, 41, 45, 48

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा 10.00 लाख ₹ निर्धारित की गई।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संब्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संब्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 21.09.2012

स्थान: नई दिल्ली

भारत विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2048—ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन			
2049—ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
मूल	53,42,17,69		
पूरक	2,26,13,40	55,68,31,09	52,84,58,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 2,83,72,44 6,00

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 2,26,13.40 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,83,72.44 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद् बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 6.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-5848-6.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2018	40,00.00	6,60.01	- 33,39.99
(2) 2049-01-101-6056-8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	1,29,05.43	1,01,54.59	- 27,50.84
(3) 2049-01-101-6763-नया बजार ऋण	1,00,00.00	88,74.88	- 11,25.12
(4) 2049-01-101-6766-6.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	14,16.30	7,08.15	- 7,08.15
(5) 2049-01-101-6769-6.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	13,21.29	6,60.00	- 6,61.29
(6) 2049-01-101-6804-6.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2013	25,44.95	..	- 25,44.95
(7) 2049-01-101-6880-8.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021 पूरक	59,22.00	59,22.00	29,68.00
(8) 2049-01-101-6881-8.33 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021 पूरक	83,31.40	83,31.40	48,90.01
(9) 2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46,79.75	..	- 46,79.75

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2049-01-101-8134-11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011	5,61.54	2,80.81	- 2,80.73
(11) 2049-01-123-5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत-निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	16,50,00.00	14,74,76.33	- 1,75,23.67
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5), (7), (8), (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत तथा क्रम संख्या (6) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1), (6) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10, क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कैश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गए अग्रिमों पर ब्याज— मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	- 1,68.50	48,31.50	.. - 48,31.50
1,68.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2049-01-200-3752-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज— मूल	7,50.00		
पुनर्वि.	38.81	7,88.81	1.02 - 7,87.79
38.81 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में वृद्धि एन.सी.डी.सी. द्वारा ब्याज में वृद्धि के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(14) 2049-01-200-4486-सामान्य बीमा निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज	1,55.00	1,09.33	- 45.67
(15) 2049-01-200-6235-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मण्डल से लिये गए ऋणों पर ब्याज	1,30.27	..	- 1,30.27
(16) 2049-01-200-6848-निगम/मंडल के पी.डी.खातों पर ब्याज	10.00	..	- 10.00
उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 2049-01-200-6904-हुडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज— मूल	31,00.00		
पुनर्वि.	1,68.50	32,68.50	27,76.48 - 4,92.02

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>1,68.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में वृद्धि हुडको के अन्तर्गत योजना क्रमांक 18606 पर प्राप्त किये गये ऋणों पर ब्याज के भुगतान एवं एक-मुश्त ब्याज भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(18) 2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10,00.00	..	- 10,00.00
(19) 2049-01-200-7108-एन.टी.पी.सी. और केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों से उधार पर ब्याज (एम.एस. अहलूवालिया कमेटी)	1,18,87.61	1,00,00.00	- 18,87.61
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (18) के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 एवं क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(20) 2049-01-305-2624-पुराने ऋणों का प्रबन्ध— मूल पुनर्वि.	5,00.00 - 4,06.92	93.08	93.08 ..
<p>4,06.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पुराने ऋणों के दावे प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई (38.81 लाख ₹)। 3,68.11 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(21) 2049-03-104-0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	10,00.00	5,19.49	- 4,80.51
(22) 2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7,00.00	27.37	- 6,72.63
(23) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	30,00.00	1,04.02	- 28,95.98
(24) 2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	5,50.00	..	- 5,50.00
(25) 2049-03-108-0117-पारिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5,00.00	..	- 5,00.00
(26) 2049-03-108-3360-मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज	90.08	..	- 90.08
(27) 2049-04-102-0930-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	2,83.25	2,12.24	- 71.01
(28) 2049-04-103-0925-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	12,00.00	9,90.89	- 2,09.11
(29) 2049-04-104-0471-आयोजनेत्तर योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	8,50.00	6,74.02	- 1,75.98

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(30) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	8,00.55	..	- 8,00.55
(31) 2049-60-701-6587-अन्य दायित्वों पर ब्याज	1,00.00	1.45	- 98.55
(32) 2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	22,45.57	..	- 22,45.57
(33) 2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	55,91.97	..	- 55,91.97

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (23), (27) से (29) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (24) से (26), (30), (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (21), (22), (30), (32) एवं (33) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09, क्रम संख्या (25) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-5849-6.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2019	54,00.00	86,97.99	+ 32,97.99
(2) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	6,50,00.00	10,43,52.76	+ 3,93,52.76

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) बिना विनियोग के व्यय:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2049-04-109-5691-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों पर समेकित राज्य आयोजनागत ऋण पर ब्याज	..	3,57,55.25	+ 3,57,55.25

3,57,55.25 लाख ₹ का व्यय बजट में निधियों के विनियोग के बिना किया गया जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।

भारत विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	68,00,10,29	31,49,79,24	- 36,50,31,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
पूँजीगत:

(i) 36,50,31.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-101-2199-10.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2011	10.00	..	- 10.00
(2) 6003-101-5040-11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2010	10.00	..	- 10.00
(3) 6003-101-5041-10.82 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2011	10.00	..	- 10.00
(4) 6003-101-7551-10.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2010	10.00	..	- 10.00
(5) 6003-101-8090-11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2010	10.00	..	- 10.00
(6) 6003-101-8134-11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2011	66,54.40	48,82.69	- 17,71.71
(7) 6003-101-8135-12.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण,2011	97,72.00	71,65.67	- 26,06.33
(8) 6003-109-6236-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से लिये गये कर्ज	2,44.80	..	- 2,44.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-लोक ऋण-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम- मूल पुनर्वि.	20,00,00.00 - 9.37	19,99,90.63	.. - 19,99,90.63
(10) 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम- मूल पुनर्वि.	20,00,00.00 - 66,61.00	19,33,39.00	.. - 19,33,39.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 9.37 लाख ₹ एवं 66,61.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत शेष विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 6004-01-800-5097-इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन हेतु ऋण	32.50	..	- 32.50
---	-------	----	---------

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-109-6962-हुडको से प्राप्त ऋण- मूल पुनर्वि.	1,02,00.16 65,70.00	1,67,70.16	1,67,68.85 - 1.31
65,70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन, हुडको के अंतर्गत योजना क्रमांक 18606 के अन्तर्गत प्राप्त कर्जों के एक-मुश्त भुगतान के कारण हुआ।			
(2) 6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,80,00.00	6,08,21.30	+ 2,28,21.30
(3) 6004-02-101-3052-ब्लाक कर्जे	1,46,09.75	1,51,75.25	+ 5,65.50
(4) 6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	1,20.00	3,36.29	+ 2,16.29
(5) 6004-03-800-8437-त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2,70.74	16,24.44	+ 13,53.70
(6) 6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1,75.59	15,68.08	+ 13,92.49
(7) 6004-04-109-0260-अन्य सहकारी ऋण	3.80	46.11	+ 42.31

भारित विनियोग-लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 6004-04-205-0070-अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों के लिए ऋण	25.18	38.49	+ 13.31
(9) 6004-04-800-0069-अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण	57.21	5,41.26	+ 4,84.05
(10) 6004-04-800-5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिए उधार	1,83.05	10,11.23	+ 8,28.18
(11) 6004-04-800-6420-माइक्रो मेनेजमेन्ट हेतु उधार	2,01.55	53,67.00	+ 51,65.45
(12) 6004-04-800-9098-लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु उधार	62.42	4,77.87	+ 4,15.45

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (12) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 तथा क्रम संख्या (3) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(iv) बिना विनियोग के व्यय:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-101-5049-13.05-प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	..	0.49	+ 0.49
(2) 6003-106-5044-क्षतिपूर्ति	..	0.13	+ 0.13
(3) 6004-03-800-0002-विस्थापित व्यक्तियों का पुर्नवास	..	3.04	+ 3.04
(4) 6004-03-800-0003-पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों के पुर्नस्थापन हेतु ऋण	..	49.10	+ 49.10
(5) 6004-04-800-2253-सिविल प्रदाय योजना के लिये ऋण	..	23.13	+ 23.13

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 0.49 लाख ₹, 0.13 लाख ₹, 3.04 लाख ₹, 49.10 लाख ₹ एवं 23.13 लाख ₹ का व्यय बजट में बिना विनियोग के किया गया। जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्रिपरिषद्			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	2,31,93,41			
पूरक	20,83,55	2,52,76,96	2,14,73,75	- 38,03,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				39,90,39
(24 सितम्बर 2011 एवं 31 मार्च 2012)				

2,14,73.75 लाख ₹ के कुल व्यय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शीर्ष 2012-03-800-6986—राज भवन की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा-800—अन्य जमा में जमा की गई 1,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित—

मूल	16,18,80			
पूरक	2,27,21	18,46,01	13,32,07	- 5,13,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				73,08
(02 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)				

13,32.07 लाख ₹ के कुल व्यय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शीर्ष 2012-03-800-6986—राज भवन की सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा-800—अन्य जमा में जमा की गई 1,20.50 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	10,40,00			
पूरक	9,39,49	19,79,49	11,51,63	- 8,27,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,50,00
(31 मार्च 2012)				

अनुदान संख्या 01—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (7,19.00 लाख ₹), नवम्बर 2011 (7,15.58 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (6,48.97 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 20,83.55 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 24 सितम्बर 2011 एवं 31 मार्च 2012 को किया गया 39,90.39 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 38,03.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-102-3282 मंत्रियों के वेतन	2,85.52	2,35.10	- 50.42
(2) 2013-105-9064 मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	7,00.00	5,78.15	- 1,21.85

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2015-101-6262—राज्य निर्वाचन

आयोग—

मूल

6,53.14

पुनर्वि.

- 1,50.65

5,02.49

5,13.58

+ 11.09

1,50.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,78.96 लाख ₹ की कमी एवं 28.31 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वेतन एवं भत्ते शीर्ष के अंतर्गत कम व्यय होने तथा आर्थिक उपायों के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन के अंतर्गत अपर्याप्त प्रावधान होने, निर्वाचन आयोग के पुराने फर्नीचर की मरम्मत होने, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के वाहन पर अतिरिक्त व्यय होने एवं अवकाश यात्रा सुविधा पर व्यय होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2015-101-6757—स्थानीय निकायों का

निर्वाचन व्यय—

मूल

12,11.00

पूरक

2.50

पुनर्वि.

- 3,31.52

8,81.98

8,77.03

- 4.95

2.50 लाख ₹ के अनुपूरक प्रावधान में डिक्रीधन के भुगतान हेतु 1.00 लाख ₹ का भारित विनियोग शामिल है। आवश्यक संशोधन जारी किये जाने के अनुरोध के साथ विसंगति वित्त विभाग को सूचित की गई है एवं उनका उत्तर अपेक्षित है (अगस्त 2012)। 3,31.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,35.68 लाख ₹ की कमी एवं 2,04.16 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में चुनाव आगे बढ़ने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई, जबकि वृद्धि जिलों में सामग्री एवं प्रपत्रों के लंबित देयकों का भुगतान होने, नगरीय निकायों के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने/छपने एवं ई.व्ही.एम. खरीदने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2052-090-4327—सचिवालय—

मूल

60,58.55

पुनर्वि.

- 10,41.24

50,17.31

49,51.99

- 65.32

10,41.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,28.24 लाख ₹ की कमी एवं 87.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सहायक ग्रेड-I के लिवर के प्रत्यारोपण के लिये चिकित्सा अग्रिम का भुगतान किये जाने एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2053—800—2987—बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन—			
मूल	5,21.26		
पुनर्वि.	- 5,00.80	21.06	27.65 + 6.59

5,00.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(7) 2055—101—4544—सी.आई.डी. (इकानामिक आफेंसेस)—			
मूल	7,49.03		
पूरक	4,81.00		
पुनर्वि.	- 3,39.66	8,90.37	8,94.98 + 4.61

3,39.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,56.31 लाख ₹ की कमी एवं 16.65 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का एक भाग मुख्यतः रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं इंदौर इकाई की शिपिंग विभाग के स्वयं के भवन में होने के कारण हुई (3,46.81 लाख ₹), जबकि वृद्धि मुख्यतः कार्यालय व्यय के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान होने एवं चिकित्सा अग्रिम की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई (7.00 लाख ₹)। शेष कमी (9.50 लाख ₹) एवं शेष वृद्धि (9.65 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(8) 2070—003—2716—प्रशासन अकादमी—			
मूल	4,37.93		
पूरक	59.50		
पुनर्वि.	- 69.79	4,27.64	4,27.68 + 0.04

69.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत रिक्त पद नहीं भरे जाने, वित्त विभाग द्वारा लगाई गई दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना होने से ग्रेड पे का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2251—090—4327—सचिवालय—			
मूल	29,04.00		
पुनर्वि.	- 9,12.98	19,91.02	19,84.40 - 6.62

9,12.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,27.98 लाख ₹ की कमी एवं 15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि चिकित्सा देयक अधिक प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 3451—090—4327—सचिवालय—			
मूल	25,28.20		
पुनर्वि.	- 10,80.55	14,47.65	14,41.04 - 6.61

10,80.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वेतन के अंतर्गत कम देयक प्राप्त होने के कारण हुई (43.80 लाख ₹)। 10,36.75 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2013-105-5839—मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान—			
मूल	25,00.00		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	5,30.00	35,30.00	41,04.50 + 5,74.50

5,30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,70.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुदानित महिला हितग्राहियों की चिकित्सा के लिये प्रस्ताव अधिक प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (20.16 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (2,07.05 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,27.21 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 5,13.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 02 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 73.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

(1) 2012-03-090-4330—सचिवालय

(भारित)–

मूल	2,60.65			
पुनर्वि.	- 53.49	2,07.16	2,07.16	..

53.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 57.35 लाख ₹ की कमी एवं 3.86 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई। वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2051-102-3689—राज्य लोक सेवा

आयोग—

मूल	10,22.70			
पूरक	96.55	11,19.25	6,79.95	- 4,39.30

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूजीगत:

दत्तमत—

(viii) 8,27.86 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 7,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,89.49 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 8,27.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1,50.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(x) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5817-प्रशासनिक भवन का निर्माण— मूल 6,40.00 पूरक 2,39.49 पुनर्वि. - 1,50.00	7,29.49	4,45.98	- 2,83.51

1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लोक निर्माण विभाग द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण— पूरक 7,00.00	7,00.00	3,05.64	- 3,94.36
--	---------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	34,08,46			
पूरक	1,75,87	35,84,33	34,04,89	- 1,79,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				79,25

पूंजीगत:

मूल	1,00			
पूरक	3,89,00	3,90,00	3,89,00	- 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,65.87 लाख ₹), नवम्बर 2011 (9.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (1.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,75.87 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,79.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 79.25 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070—105—4079—विशेष जाँच आयोग—			
मूल	1,45.00		
पूरक	11.00		
पुनर्वि.	- 27.25	1,28.75	95.39
			- 33.36

समर्पण के रूप में 27.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2235—60—200—5710—लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	- 1,17.47	13,82.53	2,83.46
			- 10,99.07

1,17.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070—105—6238—सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल जाँच आयोग—			
मूल	1,01.89		
पुनर्वि.	1,17.47	2,19.36	1,86.95
			- 32.41

1,17.47 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन आई.आई.टी. पवई, मुम्बई एवं 'मेनिट' भोपाल को निर्माण कार्यों की जाँच हेतु अधिकृत किये जाने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2235—60—107—4674—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	7,00.00	18,06.54	+ 11,06.54
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 03-पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहन कर			
2055-पुलिस			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216-आवास			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	24,85,29,30			
पूरक	73,20,28	25,58,49,58	23,65,47,40	- 1,93,02,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				32,19,51

23,65,47,40 लाख ₹ के कुल व्यय में पुलिस विभाग द्वारा शीर्ष 2055-101-0270-अपराध अनुसंधान विभाग (28.21 लाख ₹), 2055-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5554-साइबर अपराध अन्वेषण (99.00 लाख ₹), 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना) (10,00.00 लाख ₹), 2055-109-6065-थानों का सुदृढीकरण (6,79.87 लाख ₹), 2055-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा (1,50.00 लाख ₹) तथा 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण (24,93.31 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 44,50.39 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	51,00	48,04	- 2,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,00

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	53,80,00			
पूरक	18,54,36	72,34,36	34,87,61	- 37,46,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				37,46,75

34,87.61 लाख ₹ के कुल व्यय में पुलिस विभाग द्वारा शीर्ष 4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण (7,73.58 लाख ₹) एवं 4055-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6631-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थानों का निर्माण/सुदृढीकरण (4,45.00 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 12,18.58 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (56,52.10 लाख ₹), नवम्बर 2011 (5,93.45 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (10,74.73 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 73,20.28 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,93,02.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 32,19.51 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 03—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2055—001—1011—क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना—			
मूल	11,39.38		
पूरक	12.70	11,52.08	7,34.56 - 4,17.52
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2055—101—0270—अपराध अनुसंधान विभाग—			
मूल	75,75.22		
पूरक	16,98.10		
पुनर्वि.	- 4,55.80	88,17.52	78,22.15 - 9,95.37
4,55.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,89.00 लाख ₹ की कमी एवं 33.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः इकाईयों में मुआवजा एवं बिजली तथा पानी के लंबित देयक एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान करने के लिये अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण होना सूचित की गई (24.20 लाख ₹)। 78,22.15 लाख ₹ का व्यय 28.21 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके तथा कमी एवं 9.00 लाख ₹ की शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2055—101—0279—अभियोजना संचालनालय—			
मूल	38,16.50		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	- 14,31.45	23,85.05	23,85.05 ..
समर्पण के रूप में 14,31.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(4) 2055—101—6269—न्यायिक पद्धति में सुधार (13वां वित्त आयोग)—			
पूरक	4,92.00	4,92.00	2,27.59 - 2,64.41
(5) 2055—109—0343—आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इन्दौर		2,51.50	1,89.63 - 61.87
(6) 2055—109—1816—डकैती रोधन अभियान		24,96.29	21,65.85 - 3,30.44
(7) 2055—109—6296—भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों के विशेष सहयोगी पुलिस फोर्स का गठन		3,45.00	34.74 - 3,10.26

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2055-109-1301—केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6463—पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)— मूल 4,95.00 पुनर्वि. - 4,51.94	43.06	13.06	- 30.00
4.51.94 लाख ₹ के समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(9) 2055-109-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 5289—नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये विशेष आधारभूत योजना— पूरक 74.73	74.73	..	- 74.73
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(10) 2055-110-9070—ग्राम रक्षा समितियां— मूल 3,10.20 पूरक 50.00 पुनर्वि. - 50.00	3,10.20	2,47.77	- 62.43
समर्पण के रूप में 50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(11) 2055-113-2634—पुलिस कार्मिकों का कल्याण	11,15.50	9,79.82	- 1,35.68
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(12) 2055-114-4155—बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर— मूल 64,32.11 पूरक 1,00.00 पुनर्वि. 33.95	65,66.06	58,61.10	- 7,04.96
33.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि बिजली, यात्रा भत्ते, दूरभाष, कार्यालय आकस्मिक प्रभार, स्टेशनरी, पोस्टेज एवं पी.ओ.एल. के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई जोकि बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(13) 2055-114-6246—यातायात व्यवस्था, अध्ययन हेतु पायलेट प्रोजेक्ट— मूल 1,00.00 पुनर्वि. - 79.00	21.00	..	- 21.00
79.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(14) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	70,00.00	26,63.18	- 43,36.82
--	----------	----------	------------

26,63.18 लाख ₹ का कुल व्यय 24,93.31 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके साथ ही बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) 2055-116-4011-विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोग शाला सागर-			
मूल	7,03.40		
पूरक	2,85.60		
पुनर्वि.	4.60	9,93.60	8,34.22 - 1,59.38

4.60 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(16) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय-			
मूल	34,11.30		
पुनर्वि.	- 6,11.47	27,99.83	27,99.83 ..

6,11.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,87.20 लाख ₹ की कमी एवं 3,75.73 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः मजदूरी, किराया, दर एवं कर में स्वीकृत प्रावधान से कम व्यय होने, पद रिक्त रहने, मितव्ययी उपायों, दस प्रतिशत कटौती, क्रय पर प्रतिबंध एवं प्रशिक्षण का आयोजन नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि मुख्यतः ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के अनुसार होमगार्ड सिपाहियों के सेवा के दौरान मृत अथवा घायल होने पर एक्स ग्रेशिया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने, होम गार्ड सैनिक/शासकीय सेवकों के गंभीर रूप से घायल होने पर लंबित देयकों का भुगतान होने, वेतन को छोड़कर अन्य शीर्षों में आबंटन प्राप्त नहीं होने एवं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अवकाश यात्रा रियायत के देयकों का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 2070-107-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण-			
मूल	5,30.00		
पुनर्वि.	- 3,51.95	1,78.05	1,78.05 ..

समर्पण के रूप में 3,51.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सरकारों से केन्द्रांश/राज्यांश की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) 2.96 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूजीगत:
दत्तमत-

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 (3,25.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (15,29.36 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 18,54.36 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4055-210-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6663-पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)- मूल 24,30.00 पुनर्वि. - 20,14.36	4,15.64	4,15.64	..
समर्पण के रूप में 20,14.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण- मूल 25,00.00 पुनर्वि. - 14,62.39	10,37.61	10,37.61	..
समर्पण के रूप में 14,62.39 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि का आवंटन प्राप्त होने के कारण हुई। 10,37.61 लाख ₹ का कुल व्यय 7,73.58 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शायी गई जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 4216-80-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3059-भवन एवं आवास गृहों का निर्माण- मूल 3,50.00 पुनर्वि. - 2,10.00	1,40.00	1,40.00	..
(4) 4216-80-201-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5556-इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स- मूल 1,00.00 पुनर्वि. - 60.00	40.00	40.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,10.00 लाख ₹ एवं 60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्रिपरिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
6235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	18,08,32			
पूरक	2,84,09	20,92,41	16,14,25	- 4,78,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,57,04

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012)

5,01

..

- 5,01

5,00

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	8,98			
पूरक	60,00	68,98	68,97	- 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2011 (1,10.75 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,53.75 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (19.59 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,84.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,78.16 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,57.04 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070—106—6288—नागरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण—			
पूरक	63.67		
पुनर्वि.	- 56.30	7.37	7.36
			- 0.01

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 56.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2216—80—001—5347—संपदा संचालनालय—			
मूल	87.78		
पुनर्वि.	- 31.65	56.13	56.02
			- 0.11
समर्पण के रूप में 31.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, वेतन एवं भत्ते का भुगतान न होने, कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति तथा शासन द्वारा कार्यालय के लिये फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रय पर रोक लगाने के कारण हुई।			
(3) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिये सहायक अनुदान	2,00.00	14.17	- 1,85.83
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2235—60—200—9262—जिला सैनिक बोर्ड—			
मूल	5,74.66		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	- 86.19	5,88.47	5,79.68
			- 8.79
समर्पण के रूप में 86.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद नहीं भरे जाने, द्वितीय विश्व युद्ध के हितग्राहियों की मृत्यु होने एवं वित्त विभाग द्वारा आर्थिक कटौती अधिरोपित किये जाने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष— 2056—जेल 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,56,14,44		
पूरक	7,50	1,56,21,94	1,53,15,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 3,06,47 2,02,27

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2012)

50

..

- 50

50

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	25,00		
पूरक	9,64,52	9,89,52	9,08,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 81,25 81,25

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1.50 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (6.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 7.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,06.47 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 2,02.27 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 3,06.47 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:—			
2056-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन—			
मूल	4,28.09		
पूरक	7.50		
पुनर्वि.	- 1,02.51	3,33.08	3,32.94
			- 0.14

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,02.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,29.84 लाख ₹ की कमी तथा 27.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई (13.96 लाख ₹) जबकि वृद्धि अंशतः व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को सहायक ग्रेड-3 परीक्षा का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई (5.00 लाख ₹)। शेष कमी (1,15.88 लाख ₹) एवं शेष वृद्धि (22.33 लाख ₹) के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब] आधिक्य:-

2056-101-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

5044-जेलों का आधुनिकीकरण-

मूल

2,45.31

पुनर्वि.

58.97

3,04.28

3,04.32

+ 0.04

58.97 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 62.99 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4.02 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जेलों के लिये वाहनों का क्रय करने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(iv) 81.25 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 9,64.52 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 06-वित्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
6075-विविध सामान्य सेवाओं पर कर्ज			
6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज			
7075-अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन			
7999-आकस्मिक विनियोग हेतु विनियोग			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	65,03,66,72			
पूरक	6,13,90	65,09,80,62	45,43,59,99	- 19,66,20,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)				53,66,36

प्रभारित-

मूल	14,77,40			
पूरक	1,00	14,78,40	54,97	- 14,23,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				30

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	15,18,30,01			
पूरक	1,00,00,00	16,18,30,01	1,16,52,32	- 15,01,77,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (09 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)				14,04,68,40

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 6,13.90 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 19,66,20.63 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 9 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 53,66.36 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 06—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 7315-शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	- 8,50.00	1,50.00	1,50.00 ..
समर्पण के रूप में 8,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5247-आम आदमी बीमा योजना-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	- 6,61.55	5,38.45	5,38.45 ..
समर्पण के रूप में 6,61.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राजसहायता के भुगतान हेतु लाभार्थियों की कम संख्या के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5631-वित्तीय समावेशन हेतु अद्योसंरचना विकास-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	- 2,00.00
(4) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	- 5,00.00
(5) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6610-श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रोत्साहन योजना			
		2,00.00	55.02 - 1,44.98
(6) 2054-095-6217-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा			
	7,50.01	..	- 7,50.01

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,00.00 लाख ₹ एवं 5,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान एवं क्रम संख्या (6) शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2054-095-8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य— मूल पुनर्वि.	60,98.08 - 40.40	60,57.68	9,95.54 - 50,62.14
40.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ग्वालियर के डी.आर.साइट का निर्माण कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2054-098-4361—बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	36,76.00	29,91.40	- 6,84.60
(9) 2070-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0224—अन्य व्यय	11,09,70.99	..	- 11,09,70.99
(10) 2071-01-101-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	28,00,00.00	24,69,69.86	- 3,30,30.14
(11) 2071-01-102-9998—मध्यप्रदेश	6,00.00	3,38.68	- 2,61.32
(12) 2071-01-102-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	12,00.00	3,57.47	- 8,42.53
(13) 2071-01-104-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	7,00,00.00	4,42,64.21	- 2,57,35.79
(14) 2071-01-105-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	7,50,00.00	5,49,01.78	- 2,00,98.22
(15) 2071-01-115-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	2,25,00.00	1,62,73.81	- 62,26.19
(16) 2071-01-200-5653—अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34,00.00	..	- 34,00.00
(17) 2071-01-200-5887—असाधारण पेंशन	1,00.00	..	- 1,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (17) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (9), (11), (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान, क्रम संख्या (10), (16) एवं (17) शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2075-800-2659—पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय— मूल पूरक पुनर्वि.	4,78.35 3.75 - 1,63.28	3,18.82	3,18.83 + 0.01

1,63.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 1,64.78 लाख ₹ की कमी एवं 1.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पदों के रिक्त रहने, मितव्ययी उपायों, प्रशिक्षण आयोजित न किये जाने एवं व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित देयकों का भुगतान लंबित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि मजदूरी एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(19) 2075-800-6576—जिला पेंशन कार्यालय—			
मूल	26,41.42		
पूरक	2,71.90		
पुनर्वि.	- 23,66.68	5,46.64	5,53.69
			+ 7.05

23,66.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (जिसमें समर्पण के रूप में 23,65.18 लाख ₹ शामिल हैं) मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वाहन क्रय पर प्रतिबंध, वाहनों को किराये पर न लेने, व्यावसायिक सेवाओं के लिये राशि की आवश्यकता न होने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(20) 2075-800-8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—			
मूल	1,64.00		
पूरक	2,85.00		
पुनर्वि.	- 3,48.41	1,00.59	1,00.59
			..

समर्पण के रूप में 3,48.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत फर्नीचर एवं उपकरणों के अपूर्ण प्रदाय के कारण हुई।

(21) 3475-797-8094—रिजर्व फण्ड में हस्तांतरण तथा जमा लेखे	1,00.00	..	- 1,00.00
--	---------	----	-----------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2054-095-2304—निदेशन एवं प्रशासन—			
मूल	5,06.34		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	40.40	5,46.74	7,15.20
			+ 1,68.46

40.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 41.40 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि आरक्षित निधि एवं बकाया के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नई पदस्थापना, कार्यालय व्यय हेतु कम बजट प्रावधान एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2071-01-101-9998—मध्यप्रदेश	2,60,00.00	3,45,34.90	+ 85,34.90
(3) 2071-01-105-9998—मध्यप्रदेश	75,00.00	1,14,46.75	+ 39,46.75
(4) 2071-01-115-9998—मध्यप्रदेश	35,00.00	39,72.85	+ 4,72.85

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2071-01-117-6854—अंशदायी पेंशन योजना	75,00.00	90,45.83	+ 15,45.83
(6) 2075-797-6857—प्रतिभूति रिडम्पशन निधि में हस्तान्तरण	1,00.00	18,64.45	+ 17,64.45

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 14,23.43 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 0.30 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-101-5158—सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	50.00	0.86	- 49.14
(2) 2071-01-101-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	12,00.00	..	- 12,00.00
(3) 2071-01-102-9999—एकीकृत मध्यप्रदेश	1,50.00	..	- 1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/समग्र विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,00,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 15,01,77.69 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 9 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 14,04,68.40 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4070-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5632—जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान— मूल पुनर्वि.	8,00.00 - 4,68.40	3,31.60	..

अनुदान संख्या 06—समाप्त

समर्पण के रूप में 4,68.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	25,00.00	..	- 25,00.00
(3) 6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर.बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25,00.00	..	- 25,00.00
(4) 6075-800-6842-राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	50,00.00	..	- 50,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समग्र प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 6801-800-6443-अधोसंरचना विकास के लिये ऋण-			
मूल	14,00,00.00		
पुनर्वि.	-14,00,00.00

14,00,00.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
7810-800-0122-अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.01	3,69.72	+ 3,69.71

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2020—आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण			
2030—स्टाम्प पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	13,08,53,21			
पूरक	1,78,54,18	14,87,07,39	13,76,12,30	- 1,10,95,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				76,71,12

13,76,12.30 लाख ₹ के कुल व्यय में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा शीर्ष 2040-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 51.18 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	1,47,87,11	1,47,80,08	- 7,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			5,25

पूंजीगत:

दत्तमत	70,00	70,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 1,10,95.09 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 20,18.83 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 60,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 98,35.35 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,10,95.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 76,71.12 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2030-01-001-3561-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	4,03.88		
पुनर्वि.	- 56.50	3,47.38	2,08.09
			- 1,39.29

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
56.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अपूर्ण कम्प्यूटरीकरण के कारण विज्ञापन जारी न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 2030-01-001-8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	20,25.00	12.10	- 20,12.90
(3) 2030-01-101-4612—स्टाम्पों की लागत	3,00.00	2,44.78	- 55.22
(4) 2030-01-102-4611—स्टाम्पों की विक्री पर व्यय	1,75.00	1,08.76	- 66.24
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार—			
मूल	27,67.62		
पुनर्वि.	51.50	28,19.12	20,08.82 - 8,10.30
51.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि इंदौर एवं जबलपुर के उपपंजीयक कार्यालय भवनों के किराये के भुगतान, लंबित चिकित्सा देयकों, लंबित मुद्रण प्रभार, यात्रा भत्ता देयकों, जिला कार्यालयों के विद्युत एवं जल प्रभार, किराये के वाहनों के देयक एवं जिला कोषालयों को स्टाम्प क्रय हेतु बजट आवंटन हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(6) 2039-001-0123—अधीक्षण—			
मूल	9,04,77.31		
पूरक	60,13.00		
पुनर्वि.	- 60,37.71	9,04,52.60	9,04,00.92 - 51.68
60,37.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 60,94.31 लाख ₹ की कमी एवं 56.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरणों की खरीद हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त न होने, दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं मितव्ययिता के कारण हुई (12.18 लाख ₹)। वृद्धि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान एवं अभिभाषकों की फीस के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। 60,82.13 लाख ₹ की शेष कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(7) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक			
स्थापना—			
मूल	84,73.10		
पुनर्वि.	- 19,93.76	64,79.34	66,61.60 + 1,82.26
19,93.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 20,21.54 लाख ₹ की कमी एवं 27.78 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, फर्नीचर क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने, दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं मितव्ययिता के कारण हुई जबकि वृद्धि दूरभाष व्यय के अंतर्गत अपर्याप्त बजट प्रावधान एवं मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2039-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—			
मूल	15,30.11		
पुनर्वि.	- 12,61.06	2,69.05	2,45.87 - 23.18

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 12,61.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2039—800—4034—विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन—			
मूल	81.46		
पुनर्वि.	- 76.49	4.97	4.97 ..
76.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन न किये जाने के कारण हुई (69.89 लाख ₹)। 6.60 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(10) 2040—001—3569—मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	11,80.44		
पुनर्वि.	- 1,22.16	10,58.28	9,32.78 - 1,25.50
समर्पण के रूप में 1,22.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,29.41 लाख ₹ की कमी एवं 7.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः प्रचार एवं विज्ञापन में मितव्ययिता के कारण हुई (7.25 लाख ₹) जबकि वृद्धि परीक्षा एवं प्रशिक्षण के देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। 1,22.16 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2040—001—7086—वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल			
	3,42.22	1,57.56	- 1,84.66
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(12) 2040—001—8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—			
मूल	3,00.10		
पूरक	20,18.83		
पुनर्वि.	- 17,43.47	5,75.46	5,71.86 - 3.60
5,71.86 लाख ₹ का व्यय 51.18 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामें तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके समर्पण के रूप में 17,43.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2040—101—1509—जिला स्थापना—			
मूल	1,11,83.43		
पुनर्वि.	- 6,16.13	1,05,67.30	94,29.39 - 11,37.91
6,16.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,71.46 लाख ₹ की कमी एवं 55.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः इलेक्ट्रानिक बुकिंग के कारण डाक व्यय में बचत एवं दूरभाष, बिजली एवं विज्ञापन व्यय में बचत के कारण हुई (9.90 लाख ₹) जबकि वृद्धि पूर्व वर्ष के लंबित देयकों एवं विभागीय पुर्नगठन के कारण सृजित नये कार्यालय एवं जाँच चौकियों हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। 6,61.56 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(14) 2045—101—5886—छविगृह इकाईयों का निराकरण—			
मूल	1,60.00		
पुनर्वि.	- 1,60.00

अनुदान संख्या 07—समाप्त

समर्पण के रूप में 1,60.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	30,00.00	40,22.22	+ 10,22.22

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद-			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	44,21.15	59,21.15	59,21.15

44,21.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 60,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 15,78.85 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था हेतु वित्त वर्ष 2011-12 के प्रथम दो माह के लिये संविदाकार आसवक को इश्यु प्राईस तथा लागत कीमत का भुगतान शासन द्वारा किये जाने से राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई जबकि कमी नई आबकारी नीति के तहत कास्ट प्राईस के भुगतान की व्यवस्था के कारण हुई (15,28.85 लाख ₹)। शेष कमी (50.00 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(v) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया है। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेतर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प-न्यायिकेतर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2011 को निधि का प्रारंभिक शेष 7,56,82.55 लाख ₹ था। वर्ष के दौरान इस निधि में 2,08,22.39 लाख ₹ की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि को कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2012 को निधि में जमा शेष 9,65,04.94 लाख ₹ था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2011-12 के विवरण संख्या 18 एवं 19 में सम्मिलित है।

प्रभारित-

(vi) 7.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 5.25 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज			

राजस्व:**दत्तमत-**

मूल	8,49,63,62			
पूरक	32,80,40	8,82,44,02	6,89,30,00	- 1,93,14,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,89,47,24

प्रभारित-

मूल	5,04,00			
पूरक	38,50	5,42,50	4,86,56	- 55,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				54,33

पूंजीगत:**दत्तमत-**

मूल	25,91,00			
पूरक	4,13,00	30,04,00	29,50,75	- 53,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				53,25

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:**दत्तमत-**

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (9,30.11 लाख ₹), नवम्बर 2011 (6,62.11 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (16,88.18 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 32,80.40 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,93,14.02 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1,89,47.24 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 08—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029—001—0456—आयुक्त भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय— मूल पुनर्वि.	9,27.56 - 2,37.70	6,89.86	6,67.46 - 22.40
समर्पण के रूप में 2,37.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2029—001—6846—भू-प्रबंधन— मूल पुनर्वि.	58,97.85 - 17,78.05	41,19.80	40,49.62 - 70.18
समर्पण के रूप में 17,78.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17,93.05 लाख ₹ की कमी एवं 15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी एवं अधीनस्थ कार्यालयों से पी.ओ. एल. की मांग में वृद्धि एवं वाहनों के संधारण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2029—102—2193—नजूल स्थापना— मूल पुनर्वि.	24,80.60 - 7,64.62	17,15.98	16,36.86 - 79.12
(4) 2029—102—2503—परिमाण, व्यवस्थापना तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य— मूल पुनर्वि.	20,16.90 - 4,61.52	15,55.38	15,28.55 - 26.83
(5) 2029—102—3132—भू-सुधार कार्यालय— मूल पुनर्वि.	2,11.78 - 1,19.63	92.15	91.50 - 0.65
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 7,64.62 लाख ₹, 4,61.52 लाख ₹, एवं 1,19.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान एवं क्रम संख्या (5) के 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2029—103—1472—जिला खर्च— मूल पुनर्वि.	3,39,57.56 - 92,64.00	2,46,93.56	2,45,69.81 - 1,23.75

92,64.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 95,58.00 लाख ₹ की कमी एवं 2,94.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि पटवारी परीक्षा से संबंधित एवं अन्य प्रकरणों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु एडवोकेट की फीस के भुगतान, खसरा बी-1 प्रपत्र की मुद्रित सामग्री के परिवहन, पटवारियों के स्थिर/नियत भत्ते के भुगतान, विभाग द्वारा टोटल स्टेशन मशीन एवं डी. जी. पी. एस मशीन के क्रय, बढ़े विद्युत प्रभार के भुगतान, पटवारी पुस्तक के परिवहन तथा मजदूरी एवं अन्य कार्यालय व्ययों के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2029-103-6155—कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय—				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	- 42.00	3,58.00	3,57.69	- 0.31
(8) 2029-103-6286—लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान—				
मूल	1,25.00			
पुनर्वि.	- 1,24.94	0.06	0.06	..
(9) 2029-103-8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—				
पूरक	5,25.78			
पुनर्वि.	- 1,04.55	4,21.23	4,21.09	- 0.14
(10) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—				
0908—कृषि संगणना—				
मूल	89.80			
पुनर्वि.	- 37.08	52.72	47.88	- 4.84
(11) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—				
2817—फसलों की सांख्यिकी में सुधार योजना—				
मूल	1,70.20			
पुनर्वि.	- 67.50	1,02.70	1,02.26	- 0.44
(12) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—				
3452—मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने की योजना—				
मूल	1,66.52			
पुनर्वि.	- 84.79	81.73	81.21	- 0.52
(13) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—				
9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय—				
मूल	1,87.10			
पुनर्वि.	- 81.90	1,05.20	1,05.23	+ 0.03

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 42.00 लाख ₹, 1,24.94 लाख ₹, 1,04.55 लाख ₹, 37.08 लाख ₹, 67.50 लाख ₹, 84.79 लाख ₹ एवं 81.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 2053-093-1509—जिला स्थापना—				
मूल	1,35,41.04			
पूरक	8,94.24			
पुनर्वि.	- 26,07.38	1,18,27.90	1,16,31.21	- 1,96.69

समर्पण के रूप में 26,07.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26,28.08 लाख ₹ की कमी एवं 20.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जिलाधीश कार्यालय के लंबित विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) 2053-094-0441—आदेशिका वाहन स्थापना—				
मूल	68,95.35			
पुनर्वि.	- 7,10.23	61,85.12	58,84.18	- 3,00.94
(16) 2053-094-6924—मुख्य राजस्व आयुक्त स्थापना—				
पूरक	1,54.20			
पुनर्वि.	- 58.75	95.45	91.75	- 3.70

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 7,10.23 लाख ₹ एवं 58.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 2053-101-0452—आयुक्त—				
मूल	17,48.81			
पुनर्वि.	- 5,55.41	11,93.40	12,00.24	+ 6.84

5,55.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः फर्नीचर के क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई (20.70 लाख ₹)। 5,34.71 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2011 (23.00 लाख ₹), नवम्बर 2011 (6.50 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (9.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 38.50 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 55.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 54.33 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029-103-1472—जिला खर्च—				
मूल	10.00			
पुनर्वि.	- 10.00

समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड-			
मूल	69.00		
पूरक	38.50		
पुनर्वि.	- 33.53	73.97	72.91
			- 1.06

33.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विनियोग में 40.53 लाख ₹ की कमी एवं 7.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः माननीय सदस्यों के पदों के रिक्त रहने, चिकित्सा व्यय, ग्रेड पे, यात्रा एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत तीसरे अनुपूरक विनियोग में देरी से प्राप्त आबंटन के कारण हुई (33.53 लाख ₹)। 7.00 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। वृद्धि अध्यक्ष को चिकित्सा अग्रिम के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना बतलाई गई। 7.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2053-093-1509-जिला स्थापना-				
मूल	15.00			
पुनर्वि.	- 10.80	4.20	2.98	- 1.22

समर्पण के रूप में 10.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(vii) 53.25 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 4,13.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	48,27,14		
पूरक	1,23,39	49,50,53	33,32,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 16,18,44 16,02,37
<i>प्रभारित</i>		1,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			- 1,00 1,00
पूँजीगत:			
दत्तमत		45,00	33,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 11,41 11,41
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (27.20 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (96.19 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,23.39 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 16,18.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 16,02.37 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2058-001-2286—नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय—			
मूल	1,52.00		
पूरक	18.40		
पुनर्वि.	- 40.08	1,30.32	1,30.18
(2) 2058-101-3842—लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय—			
मूल	3,50.85		
पूरक	10.50		
पुनर्वि.	- 56.23	3,05.12	3,04.00

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 40.08 लाख ₹ एवं 56.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त रहने, विभाग से कम राशि की मांग प्राप्त होने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2058—103—4202—शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय—			
मूल	41,71.79		
पूरक	92.61		
पुनर्वि.	- 14,28.28	28,36.12	28,22.30 - 13.82

समर्पण के रूप में 14,28.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 14,48.28 लाख ₹ की कमी एवं 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त नहीं होने के कारण सामग्री क्रय न करने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई (14,28.28 लाख ₹)। अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि (प्रत्येक 20.00 लाख ₹ की) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2058—104—0301—अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य—			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	- 75.27	74.73	73.74 - 0.99

समर्पण के रूप में 75.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासकीय संसाधनों द्वारा अधिकांश मुद्रण कार्य पूर्ण होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4058—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
3427—मशीनें और उपकरण—छपाई की मशीनों की खरीद—			
मूल	45.00		
पुनर्वि.	- 11.41	33.59	33.59 ..

समर्पण के रूप में 11.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13.25 लाख ₹ की कमी एवं 1.84 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पूर्ति आदेश जारी करने के बावजूद वर्ष के अन्त तक सामग्री प्राप्त नहीं होने एवं कम सामग्री क्रय करने के कारण हुई जबकि वृद्धि मशीनों के क्रय के लिये निविदा में न्यूनतम दरों में वृद्धि होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-				
2055-पुलिस				
2216-आवास				
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी				
3054-सड़क तथा पुल				
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय				
6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज				
राजस्व:				
दत्तमत-				
मूल	12,07,29,33			
पूरक	75,75,00	12,83,04,33	10,88,52,72	- 1,94,51,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (13 मार्च 2012)				8,05,40
प्रभारित-				
मूल	12,28,00			
पूरक	25,00	12,53,00	43,90	- 12,09,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूंजीगत:				
दत्तमत-				
मूल	26,00,00			
पूरक	8,00,00	34,00,00	33,82,14	- 17,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
टीका एवं टिप्पणियां				
राजस्व:				
दत्तमत-				

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (6,50.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (69,25.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 75,75.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,94,51.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 13 मार्च 2012 को केवल 8,05.40 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन-				
मूल	11,33.59			
पुनर्वि.	- 57.47	10,76.12	9,92.96	- 83.16

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>57.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 75.51 लाख ₹ की कमी एवं 18.04 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि शासन द्वारा महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि करने एवं वन विद्यालय संचालक बैतूल के अवकाश यात्रा सुविधा के देयकों का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(2) 2406-01-004-9184—राज्य वन अनुसंधान संस्थान—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	- 0.82	4,99.18	4,49.18 - 50.00
<p>0.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(3) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5828—वन प्राणी द्वारा फसल क्षति का मुआवजा—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	- 86.58	13.42	13.29 - 0.13
<p>86.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः मुआवजा प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (61.60 लाख ₹)। 24.98 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(4) 2406-01-102-7680—संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय—			
मूल	37,00.00		
पुनर्वि.	- 8,05.40	28,94.60	28,94.60 ..
(5) 2406-01-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
6733—राष्ट्रीय जल तंत्र संरक्षण का कार्यक्रम		60.00	.. - 60.00
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 8,05.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(6) 2406-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
5317—गहन वन प्रबन्धन—			
मूल	16,40.00		
पुनर्वि.	- 1,01.25	15,38.75	12,27.45 - 3,11.30
<p>1,01.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,04.15 लाख ₹ की कमी एवं 2.90 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2406-01-203-0535—इमारती लकड़ी— मूल 1,16,18.00 पुनर्वि. - 40.00	1,15,78.00	1,00,57.55	- 15,20.45
(8) 2406-01-204-2901—बांस	27,79.51	20,26.75	- 7,52.76
(9) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1594—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास बांधवगढ़, कान्हा, राष्ट्रीय उद्यान एवं टाईगर प्रोजेक्ट	1,48,98.42	38,42.54	- 1,10,55.88

उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 8,76.01 पुनर्वि. - 80.69	7,95.32	5,22.14	- 2,73.18
(11) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6540—केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के माध्यम से वन्य प्राणी विकास— मूल 40.00 पुनर्वि. - 40.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 80.69 लाख ₹ एवं 40.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से पूर्ण राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण राज्यांश का पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2406-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2723—प्रशासन सुदृढीकरण— मूल 8,89.00 पुनर्वि. 2,95.86	11,84.86	11,90.63	+ 5.77

2,95.86 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,40.86 लाख ₹ की वृद्धि एवं 45.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वास्तविक प्रावधान से अधिक मांग होने एवं म.प्र. राज्य योजना आयोग एवं वन विभाग में निगरानी के लिये अधोसंरचना के सुदृढीकरण के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 10—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5830-ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	50.00	1,50.00	1,50.00

50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(3) 3054-04-337-4349-सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरस्ती (13वां वित्त आयोग)-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	40.00	2,40.00	2,40.62

40.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि वन सड़कों की मरम्मत होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित-

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 25.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 12,09.10 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अन्तरण (भारित)	12,00.00	..	- 12,00.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) 17.86 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 8,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ix) 17.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
6856—पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिए कर्ज			
6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,53,02,11		
पूरक	59,92,98	2,12,95,09	2,03,88,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 9,06,56 68,88
प्रभारित—			
मूल	4,00		
पूरक	1,26,00	1,30,00	1,26,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 3,37 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,78,85,11		
पूरक	38,98,00	2,17,83,11	1,78,64,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 39,18,20 11
प्रभारित		10,00	10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) 9,06.56 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 87.64 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था और नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 58,86.18 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 19.16 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,06.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 68.88 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 11—जारी

(iii) यद्यपि 9,06.56 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत :-			
(1) 2230-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3795-रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय-			
मूल	2,23.38		
पूरक	3.00	2,26.38	1,46.94
			- 79.44
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 2230-02-101-9147-रोजगार कार्यालय-			
मूल	9,80.84		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	- 0.43	9,85.41	8,86.62
			- 98.79
0.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वकील के शुल्क की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(3) 2851-200-1464-जिला उद्योग केन्द्र-			
मूल	31,79.29		
पूरक	3,13.58		
पुनर्वि.	- 1.25	34,91.62	31,16.09
			- 3,75.53
1.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 23.17 लाख ₹ की कमी एवं 21.92 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन में प्रावधान से अधिक व्यय के समायोजन के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(4) 2852-80-001-3370-मध्यवर्ती कार्यालय-			
मूल	8,00.87		
पूरक	1,12.68	9,13.55	7,45.30
			- 1,68.25
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 3475-200-6408-अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन-			
मूल	2,77.08		
पूरक	1.54		
पुनर्वि.	- 42.81	2,35.81	2,36.50
			+ 0.69
42.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 45.31 लाख ₹ की कमी एवं 2.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि विद्युत देयक एवं जल प्रभार का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 11—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[ब] आधिक्य:-			
2852—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6646—मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता व्यापार मेला प्राधिकरण— पूरक	सांकेतिक 26.88	26.88	20.38
पुनर्वि.			- 6.50

26.88 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित—

(iv) 3.37 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,26.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 3.37 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूजीगत:

दत्तमत—

(vi) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 38,98.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 39,18.20 लाख ₹ की वृहद उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 0.11 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5380—आटो टेस्टिंग ट्रेक के लिए भू-अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, भू-अर्जन मुआवजा— पूरक	38,97.98	38,97.98	..
			- 38,97.98

सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 6860—60—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6396—डी.एम.आई.सी. परियोजना हेतु ट्राइफैक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण— मूल	1,00.00		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	- 1,00.00	0.01	..
			- 0.01

1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भूमि अधिग्रहण एवं सर्वेक्षण सीमांकन से संबंधित प्रस्ताव निरस्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी संपूर्ण प्रावधान की बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4875-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7879-अधोसंरचना विकास फण्ड की स्थापना-			
मूल	0.03		
पुनर्वि.	99.97	1,00.00	1,00.00 ..

99.97 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 100.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.03 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, सागर को औद्योगिक गतिविधियों एवं औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801—बिजली			
2810—अपारंपरिक उर्जा स्रोत			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	15,88,45,20		
पूरक	3,82,47,00	19,70,92,20	19,64,30,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 6,61,59 7,25,69
<i>प्रभारित</i>		3,05,00,00	3,05,00,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			.. निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	17,43,44,01		
पूरक	1,39,47,25,52	1,56,90,69,53	1,55,05,39,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,85,29,84 1,84,07,52
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) 6,61.59 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 67,12.00 लाख ₹ एवं 1,26,35.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,89,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2012 को किया गया 7,25.69 लाख ₹ का अभ्यर्पण 6,61.59 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) यद्यपि 6,61.59 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:—

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:—			
(1) 2801—05—052—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5114—विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत डी.एफ. आई.डी. से अनुदान—			
मूल	64.00		
पूरक	11,87.00		
पुनर्वि.	- 4,50.46	8,00.54	8,00.54 ..

समर्पण के रूप में 4,50.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अंतिम कार्य दिवसों में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(2) 2801—80—101—7313—टैरिफ अनुदान—			
मूल	14,55,92.00		
पुनर्वि.	- 7,84,70.00	6,71,22.00	6,71,46.95 + 24.95

7,84,70.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

[ब] आधिक्य:—

2801—80—101—5855—म.प्र.वि.म.द्वारा 5 एच. पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु क्षतिपूर्ति—			
मूल	80,00.00		
पूरक	1,82,00.00		
पुनर्वि.	7,84,70.00	10,46,70.00	10,46,70.00 ..

7,84,70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि पिछले वर्षों की देयताओं के भुगतान के कारण होना सूचित की गई।

(iv) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:—

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण, वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क 800—अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क— 3218—मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2011 को 7,58,25.65 लाख ₹ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान 3,05,00.00 लाख ₹ की राशि मुख्य शीर्ष 2045—103—3218—मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को नामे कर निधि में जमा की गयी। वर्ष के दौरान निधि से 33,45.00 लाख ₹ व्यय किया गया। 31 मार्च 2012 को निधि में 10,29,80.65 लाख ₹ अंतशेष था। इस निधि के लेन—देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110—ऊर्जा विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसका लेखा वित्त लेखे 2011—12 के विवरण संख्या—18 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) 1,85,29.84 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2011 एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया क्रमशः 6,82,50.00 लाख ₹ एवं 6,50,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 को प्राप्त किया गया 1,26,14,75.52 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,85,29.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,84,07.52 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) यद्यपि 1,85,29.84 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:—			
(1) 6801—205—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6929—पारेषण प्रणाली का सृष्टीकरण— मूल 93,00.00 पुनर्वि. - 49,09.86	43,90.14	43,91.14	+ 1.00

49,09.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अंतिम कार्य दिवसों में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 6801—205—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7900—उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण— मूल 5,03,00.00 पुनर्वि. - 2,38,79.35	2,64,20.65	2,30,72.94	- 33,47.71
--	------------	------------	------------

2,38,79.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अंतिम कार्य दिवसों में स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं कम पुनरीक्षित बजट प्रावधान होने के कारण हुई (1,34,97.65 लाख ₹)। 1,03,81.70 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

[ब] आधिक्य:—

(1) 6801—204—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6869—राजीव गांधी ग्रामीण बिद्युतीकरण योजना	28,81.00	61,05.39	+ 32,24.39
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

(2) 6801—205—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5523—कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था— पूरक 0.01 पुनर्वि. 1,03,81.70	1,03,81.71	1,03,81.71	..
---	------------	------------	----

1,03,81.70 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तृतीय अनुपूरक अनुदान में सांकेतिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2401—फसल कृषि कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	8,65,12,17		
पूरक	1,83,66,41	10,48,78,58	8,96,41,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (12 अक्टूबर, 28 दिसम्बर 2011 और 31 मार्च 2012)			- 1,52,36,87 1,52,29,03

8,96,41.71 लाख ₹ के कुल व्यय में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2401—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 6,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	13,00	2,68	- 10,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			10,32

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत—

(i) 1,52,36.87 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 10,04.75 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 76,98.72 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 96,63.54 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,52,36.87 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 12 अक्टूबर, 28 दिसंबर 2011 एवं 31 मार्च 2012 को केवल 1,52,29.03 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6430—राष्ट्रीय मक्का विकास योजना— मूल	4,04.48		
पुनर्वि.	- 1,64.65	2,39.83	2,39.83
(2) 2401—108—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4325—सघन कपास विकास कार्यक्रम— मूल	4,05.90		
पुनर्वि.	- 3,11.54	94.36	94.37
			+ 0.01

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2401-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6891—राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान— मूल 6,56.00 पुनर्वि. - 3,38.88	3,17.12	3,19.03	+ 1.91
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,64.65 लाख ₹, 3,11.54 लाख ₹ एवं 3,38.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम विमुक्त होने के कारण राज्यांश में बचत होने के कारण हुई (क्रमशः 65.44 लाख ₹, 2,45.71 लाख ₹ एवं 3,36.88 लाख ₹)। इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः 99.21 लाख ₹, 65.83 लाख ₹ एवं 2.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2401-113-0801—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6697—नवीन उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में परीक्षण— मूल 2,74.15 पुनर्वि. - 1.45	2,72.70	97.76	- 1,74.94
(5) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1580—मेक्रो मनेजमेण्ट योजना— मूल 16,62.50 पुनर्वि. - 8,66.47	7,96.03	7,93.12	- 2.91
(6) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0903—कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना— मूल 9,55.04 पूरक 1,20.00 पुनर्वि. - 1,57.56	9,17.48	9,22.01	+ 4.53
(7) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 40,00.00 पुनर्वि. - 29,65.99	10,34.01	10,33.16	- 0.85
(8) 2401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6482—कृषि शक्ति योजना— मूल 63.00 पूरक 62.00 पुनर्वि. - 1,05.34	19.66	60.03	+ 40.37

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1.45 लाख ₹, 8,66.47 लाख ₹, 1,57.56 लाख ₹, 29,65.99 लाख ₹ एवं 1,05.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09, क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2401-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना

सामान्य—

1580—मैक्रोमेनेजमेन्ट योजना—

पूरक	74,53.20			
पुनर्वि.	- 43,72.89	30,80.31	30,35.81	- 44.50

43,72.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश कम जारी होने से राज्यांश में बचत होने एवं भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2401-800-0101—राज्य आयोजना

(सामान्य)—

5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	2,27,25.00			
पुनर्वि.	- 75,02.91	1,52,22.09	1,51,45.37	- 76.72

75,02.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई (5,35.70 लाख ₹)। 1,51,45.37 लाख ₹ का वास्तविक व्यय 6,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके एवं 69,67.21 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2401-001-0119—अधीनस्थ तथा

विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं

अधीनस्थ स्तर का अमला)—

मूल	1,82,75.50			
पुनर्वि.	- 50.00	1,82,25.50	1,90,68.03	+ 8,42.53

50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में प्रत्याशित बचत अवास्तविक थी। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2401-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना

सामान्य—

9185—बीज ग्राम योजना—

मूल	28,90.00			
पुनर्वि.	- 5,26.91	34,16.91	34,16.91	..

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>5,26.91 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,35.70 लाख ₹ की वृद्धि एवं 8.79 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बीज ग्राम योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त किये जाने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(3) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना			
सामान्य-			
0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास			
योजना-			
मूल	35,69.01		
पुनर्वि.	10,47.94	46,16.95	46,87.83 - 29.12
<p>10,47.94 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 15,64.32 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,16.38 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई, जबकि कमी भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।</p>			
(4) 2401-109-0867-कृषि विस्तार			
प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	6,14.59		
पुनर्वि.	50.00	6,64.59	7,14.69 + 50.10
<p>50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अधीनस्थ कर्मचारियों के बड़े हुए वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(5) 2401-109-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)-			
8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी			
कार्य-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	47.03	97.03	97.03 ..
<p>47.03 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.97 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। 50.00 लाख ₹ की वृद्धि कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्षेत्रीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अन्य देयक एवं लंबित संबद्धता के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(6) 2401-110-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)-			
8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-			
मूल	34,00.00		
पूरक	1,30,00.00		
पुनर्वि.	7,08.93	1,71,08.93	1,71,08.93 ..
<p>7,08.93 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,20.13 लाख ₹ की वृद्धि एवं 11.20 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मौसम पर आधारित बीमा के प्रीमियम के भुगतान के लिए राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।</p>			

अनुदान संख्या 14-पशुपालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2403-पशुपालन			
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
6404-डेशी विकास के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	4,60,98,36		
पूरक	44,52,78	5,05,51,14	4,61,21,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 44,29,52 43,18,25
प्रभारित-			
मूल	3,00		
पूरक	25,50	28,50	28,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 3 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,00.00		
पूरक	53,50.00	54,50.00	54,50.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 44,29.52 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 6.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 5,13.69 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 39,33.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 44,29.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 43,18.25 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-001-1468-जिला एवं संभागीय स्तर-			
मूल	17,62.10		
पुनर्वि.	- 2,18.35	15,43.75	15,43.44
			- 0.31

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2403-001-4297—जिला स्तर—				
मूल	5,81.34			
पूरक	6.00			
पुनर्वि.	- 1,04.23	4,83.11	4,79.88	- 3.23
(3) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2549—पशु चिकित्सालय—				
मूल	99,51.54			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	- 6,20.30	94,31.24	93,44.96	- 86.28
(4) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
5007—पशु औषधालय—				
मूल	80,12.93			
पुनर्वि.	- 6,97.32	73,15.61	72,65.45	- 50.16
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,18.35 लाख ₹, 1,04.23 लाख ₹, 6,20.30 लाख ₹ एवं 6,97.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1), (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(5) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—				
3786—माता महामारी उन्मूलन—				
मूल	12,52.04			
पुनर्वि.	- 4,91.30	7,60.74	7,60.31	- 0.43
समर्पण के रूप में 4,91.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(6) 2403-102-2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र—				
मूल	6,99.81			
पूरक	66.00			
पुनर्वि.	- 1,04.71	6,61.10	6,60.78	- 0.32
समर्पण के रूप में 1,04.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई।				
(7) 2403-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
1108—गहन पशु विकास परियोजना—				
मूल	91,90.19			
पूरक	2,06.50			
पुनर्वि.	- 8,91.65	85,05.04	85,02.11	- 2.93
8,91.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,01.65 लाख ₹ की कमी एवं 10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने के कारण हुई जबकि वृद्धि लिक्विड खरीदने के लिये आवंटन की अधिक मांग होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी। मूल बजट में आयोजनत्तर के स्थान पर आयोजना में वेतन के अन्तर्गत त्रुटि पूर्वक वर्गीकृत 4,84.55 लाख ₹ का प्रावधान शामिल है।				

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2403-103-0801-क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 6212-ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट योजना-			
मूल	5,42.30		
पुनर्वि.	- 2,72.80	2,69.50	2,69.50 ..
समर्पण के रूप में 2,72.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(9) 2403-104-4509-भेड़ प्रक्षेत्र-			
मूल	3,69.74		
पुनर्वि.	- 96.28	2,73.46	2,82.78 + 9.32
समर्पण के रूप में 96.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2403-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
6995-चारागाह विकास एवं चारा बीज का वितरण-			
मूल	4,25.15		
पुनर्वि.	- 2,15.70	2,09.45	2,09.45 ..
समर्पण के रूप में 2,15.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2403-109-2737-प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	2,32.61		
पुनर्वि.	- 67.09	1,65.52	1,65.25 - 0.27
(12) 2403-113-3784-रोग अनुसंधान-			
मूल	3,29.20		
पुनर्वि.	- 1,02.84	2,26.36	2,26.30 - 0.06
(13) 2403-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना-			
मूल	8,92.71		
पुनर्वि.	- 2,11.47	6,81.24	6,80.68 - 0.56

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 67.09 लाख ₹, 1,02.84 लाख ₹ एवं 2,11.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान एवं क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216— आवास			
2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401—फसल कृषि कर्म			
2405—मछली पालन			
2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702—लघु सिंचाई			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	10,79,00,63		
पूरक	10,93,81	10,89,94,44	9,13,49,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,76,45,00 1,44,18,56
पूंजीगत		61,86,20	84,34,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+ 22,48,16 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,84.57 लाख ₹), नवम्बर 2011 (8,73,34 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (35,90 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 10,93.81 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,76,45.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1,44,18.56 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 15—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2401—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जाति उपयोजना— 1580—मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना— मूल 1,03.60 पुनर्वि. - 95.30	8.30	9.05	+ 0.75
(2) 2401—789—196—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जाति उपयोजना— 4325—सघन कपास विकास कार्यक्रम— मूल 56.24 पुनर्वि. - 52.29	3.95	3.95	..
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 95.30 लाख ₹ एवं 52.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2702—02—789—196—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 2791—प्रायवेट एजेन्सियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता— मूल 3,18.16 पुनर्वि. - 68.30	2,49.86	2,49.11	- 0.75
समर्पण के रूप में 68.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
20—स्कूल शिक्षा विभाग			
(4) 2202—02—789—196—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5276—अध्यापक/सविंदा शाला शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान— मूल 11,16.00 पुनर्वि. - 7,67.82	3,48.18	3,48.18	..
समर्पण के रूप में 7,67.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
22—पंचायत			
(5) 2515—789—196—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5273—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण	1,20.00	..	- 1,20.00

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 3604-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6086-राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	22,21.00	1,35.00	- 20,86.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(7) 2235-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 0075-अंध, मूक, बधिरों को वृत्तियां— मूल	1,86.00			
पुनर्वि.	- 63.16	1,22.84	1,22.59	- 0.25

समर्पण के रूप में 63.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विद्यार्थियों की कम संख्या रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(8) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 4691-कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी)— मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	- 2,18.12	7,81.88	7,81.88	..

2,18.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः मांग आधारित योजना (3.12 लाख ₹) के कारण हुई। 2,15.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(9) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति— मूल	20,37.75			
पुनर्वि.	- 6,68.95	13,68.00	13,68.00	..

(10) 2225-01-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति— मूल	7,94.57			
पुनर्वि.	- 1,60.00	6,34.57	6,34.57	..

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6,68.95 लाख ₹ एवं 1,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग आधारित योजना के अन्तर्गत हुई थी। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
58—ग्रामीण विकास विभाग			
(11) 2215-02-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5206—समग्र स्वच्छता अभियान— मूल 15,46.20 पुनर्वि. - 3,04.13	12,42.07	12,34.05	- 8.02
(12) 2501-02-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5770—इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम— मूल 3,95.00 पुनर्वि. - 2,60.15	1,34.85	1,34.85	..
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,04.13 लाख ₹ एवं 2,60.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(13) 2501-06-789-198-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6487—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेट	22,58.07	..	- 22,58.07
समग्र प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(14) 2501-06-789-198-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 9249—बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना— मूल 1,75,00.97 पुनर्वि. - 50,43.60	1,24,57.37	1,24,57.37	..
(15) 2501-06-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8701—स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना— मूल 9,52.13 पुनर्वि. - 1,97.05	7,55.08	7,55.08	..
(16) 2505-01-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 6923—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 1,15,42.00 पुनर्वि. - 37,26.56	78,15.44	78,15.44	..

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(17) 2515-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 6931—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल पुनर्वि.	2,47,01.00 - 32,66.14	2,14,34.86	2,14,34.86	..
(18) 2515-789-800-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 7886—मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन— मूल पुनर्वि.	52,50.00 - 7,26.40	45,23.60	45,23.60	..

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50,43.60 लाख ₹, 1,97.05 लाख ₹, 37,26.56 लाख ₹, 32,66.14 लाख ₹ एवं 7,26.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

22—पंचायत

(1) 3604-789-198-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 7668—स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	79,47.00	90,97.00	+ 11,50.00
--	----------	----------	------------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(2) 2235-60-789-196-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5863—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— मूल पुनर्वि.	3,82.30 - 16.43	3,65.87	4,72.39 + 1,06.52
--	--------------------	---------	----------------------

16.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लाभार्थियों की कम संख्या के कारण हुई। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(3) 2225-01-789-196-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 4717—अनुसूचित जाति छात्रावास— मूल पुनर्वि.	53,88.34 6,36.21	60,24.55	60,18.06 - 6.49
---	---------------------	----------	--------------------

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

6,36.21 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,05.46 लाख ₹ की वृद्धि एवं 69.25 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। उक्त वृद्धि छात्रावास एवं आश्रमों में छात्रवृत्ति के भुगतान, शिक्षको को मानदेय, अपर्याप्त प्रावधान एवं बिजली और पानी के प्रभार का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। जबकि कमी मांग आधारित योजना के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5133-अन्य छात्रवृत्तियां-				
मूल	44,89.86			
पुनर्वि.	1,81.89	46,71.85	46,64.27	- 7.58

1,81.89 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,84.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.11 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बजट प्रावधान में कमी एवं अनुसूचित जाति की बालिकाओं की अधिक संख्या के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी मांग आधारित योजना के कारण हुई।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(5) 2216-03-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5198-इंदिरा आवास योजना-				
मूल	22,44.85			
पूरक	23.34			
पुनर्वि.	7,80.43	30,48.62	30,48.62	..

7,80.43 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

पूंजीगत-

(v) 22,48,16,000 ₹ के दत्तमत अनुदान से अधिक हुए व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) प्रावधान से अधिक व्यय निम्न के अंतर्गत हुआ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

58—ग्रामीण विकास विभाग

4515-789-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-			
6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	61,86.20	84,34.36	+ 22,48.16

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	46,04,83		
पूरक	14,53,10	60,57,93	- 13,04,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			1,43,26
<i>प्रभारित</i>		3,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 3,00 <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत		20,00	20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 13,04.00 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 14,53.10 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 13,04.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,43.26 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2405—001—2304—निदेशन और प्रशासन—			
मूल	4,92.19		
पूरक	5.60		
पुनर्वि.	3.17	5,00.96	3,57.45
			- 1,43.51

3.17 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्यालय व्यय के अन्तर्गत अधिक मांग होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2405—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 10,95.00 पूरक 12,38.00 पुनर्वि. - 1,13.19	22,19.81	15,58.89	- 6,60.92

समर्पण के रूप में 1,13.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 2405—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9254—सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान— मूल 2,50.00 पुनर्वि. - 1,46.46	1,03.54	..	-1,03.54
---	---------	----	----------

1,46.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2405—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304—निदेशन और प्रशासन— मूल 10.25 पूरक 4.50 पुनर्वि. 1,06.78	1,21.53	1,21.53	..

1,06.78 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,10.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3.22 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः मत्स्य उत्सव आयोजित करने के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (85.00 लाख ₹)। कमी के पर्याप्त कारण एवं 25.00 लाख ₹ की शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित—

(v) 3.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,23,35,75		
पूरक	2,34,12,83	4,57,48,58	4,22,14,25
वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 35,34,33 35,19,06
<i>प्रभारित</i>		1,25	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			- 1,25 1,25
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	46,25,10		
पूरक	3,05,05,00	3,51,30,10	3,29,15,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (13 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)			- 22,15,10 22,15,10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 35,34.33 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया क्रमशः 28.44 लाख ₹ एवं 1,07,70.92 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,26,13.47 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 35,34.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 35,19.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2425—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0123—अधीक्षण—			
मूल	33,89.00		
पुनर्वि.	- 4,73.60	29,15.40	28,82.12
			- 33.28

4,73.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 4,89.60 लाख ₹ की कमी एवं 16.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आरक्षित एवं विकलांग वर्ग के पिछले रिक्त पदों को भरने के लिये व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2425-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2294-निदेशन-			
मूल	6,13.90		
पुनर्वि.	- 2,00.67	4,13.23	4,16.28
			+ 3.05

2,00.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 2,06.32 लाख ₹ की कमी एवं 5.65 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सरकार के महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों हेतु उच्चतम न्यायालय के अभिभाषक को फीस के भुगतान एवं बजट प्रावधान से अधिक चिकित्सा देयकों की प्राप्ति के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2425-101-0359-आडिट बोर्ड-				
मूल	38,48.70			
पुनर्वि.	- 8,30.99	30,17.71	30,37.00	+ 19.29

8,30.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (21.65 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 8,09.34 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2425-101-6934-बैद्यनाथन कमेटी के अंतर्गत सरकारी बैंक/सहकारी साख संस्थाओं की पुनर्संरचना हेतु-				
मूल	0.01			
पूरक	1,23,41.91			
पुनर्वि.	- 19,96.07	1,03,45.85	1,03,45.85	..

समर्पण के रूप में 19,96.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूंजीगत:
दत्तमत-

(iv) 22,15.10 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,13,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त 1,85,05.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 7,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक-			
मूल	22,15.00		
पुनर्वि.	- 22,15.00

समर्पण के रूप में 22,15.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कृषकों के ऋण परिवर्तन हेतु सहकारी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम तथा रोजगार			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	63,82,05		
पूरक	36,04,74	99,86,79	- 8,42,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			6,72,37

<i>प्रभारित</i>	2,00	..	- 2,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			2,00

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:
दत्तमत—

(i) 8,42.33 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 18,61.12 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 17,43.62 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 8,42.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 6,72.37 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-102-2714—प्रशासन—			
मूल	1,17.67		
पूरक	1,21.72		
पुनर्वि.	- 50.85	1,88.54	1,87.21
			- 1.33

50.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2230-01-001-4268—श्रम आयुक्त—			
मूल	3,11.93		
पूरक	8.02		
पुनर्वि.	- 80.23	2,39.72	2,39.77
			+ 0.05

80.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2230-01-101-0712—औद्योगिक न्यायालय—			
मूल	3,09.80		
पूरक	6.00	3,15.80	2,37.89
			- 77.91
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला—			
मूल	15,60.36		
पूरक	77.77		
पुनर्वि.	- 2,41.67	13,96.46	13,73.99
			- 22.47
2,41.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः किराये के वाहनों के लिये प्रकाशित विज्ञप्ति के माध्यम से निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (22.00 लाख ₹)। 2,19.67 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा—			
मूल	5,15.35		
पूरक	2.00		
पुनर्वि.	- 1.26.15	3,91.20	3,91.25
			+ 0.05

1,26.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	17,19,83,97			
पूरक	80,56,04	18,00,40,01	17,24,56,33	- 75,83,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				68,88,48

17,24,56.33 लाख ₹ के कुल व्यय में नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश द्वारा शीर्ष 2210-06-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-0750-औषधि नियंत्रण के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 65.24 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	55,00	31,04	- 23,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूँजीगत:

दत्तमत—

मूल	62,10,08			
पूरक	51,04,80	1,13,14,88	21,89,93	- 91,24,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				79,25,17

21,89.93 लाख ₹ के कुल व्यय में संचालक चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा शीर्ष 4210-01-110-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13 वां वित्त आयोग) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 1,21.63 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 75,83.68 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 12,92.91 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 67,63.13 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 75,83.68 लाख ₹ की वृहद बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 68,88.48 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 19—जारी

(iii) यद्यपि 75,83.68 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:-			
(1) 2210-01-001-2283-निदेशन और प्रशासन-			
मूल	35,59.87		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	- 3,00.00	32,59.87	30,73.50
			-1,86.37
3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2210-01-110-6623-बेटी बचाओ अभियान-			
पूरक	1,71.59		
पुनर्वि.	- 1,71.59
(3) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	1,15,24.00		
पुनर्वि.	- 28,81.00	86,43.00	86,43.00
			..
(4) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6451-विकिरण सुरक्षा इकाई की स्थापना-			
मूल	2,27.65		
पुनर्वि.	- 2,22.30	5.35	5.35
			..
(5) 2210-06-101-2818-फाइलेरिया-			
मूल	4,90.25		
पुनर्वि.	- 2,04.77	2,85.48	3,13.32
			+ 27.84
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,71.59 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 28,81.00 लाख ₹, 2,22.30 लाख ₹ एवं 2,04.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2210-06-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)-			
मूल	6,59.22		
पूरक	2,15.66		
पुनर्वि.	- 2,91.83	5,83.05	5,78.64
			- 4.41

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>2,91.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,97.93 लाख ₹ की कमी एवं 6.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सभी जिलों एवं मुख्यालय के लिये कम्प्यूटर खरीदने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(7) 2210-06-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0750—औषध नियंत्रण—			
मूल	7,49.59		
पूरक	1,71.50		
पुनर्वि.	- 4,11.20	5,09.89	5,21.58 + 11.69
<p>4,11.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,23.20 लाख ₹ की कमी एवं 12.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कार्यालय भवन एवं प्रयोगशाला की मरम्मत होने के कारण हुई। 5,21.58 लाख ₹ का व्यय 65.24 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(8) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 0336—ऑकजीलियरी नर्स, मिड वाइफ एवं हैल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण—			
मूल	20,91.05		
पुनर्वि.	- 6,28.60	14,62.45	14,58.01 - 4.44
(9) 2211-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2880—बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना—			
मूल	8,23.50		
पुनर्वि.	- 1,88.65	6,34.85	6,32.97 - 1.88
(10) 2211-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2703—प्रत्यक्ष व्यय—			
मूल	24,59.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	- 4,80.14	19,78.86	19,69.91 - 8.95
(11) 2211-196-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1508—जिला स्तरीय अमला—			
मूल	46,20.00		
पुनर्वि.	- 6,30.02	39,89.98	40,06.78 + 16.80
(12) 2211-198-0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 0621—अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	2,41,90.00		
पुनर्वि.	- 16,78.99	2,25,11.01	2,24,48.47 - 62.54

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6,28.60 लाख ₹, 1,88.65 लाख ₹, 4,80.14 लाख ₹, 6,30.02 लाख ₹ एवं 16,78.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान एवं क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब] आधिक्य:—

(1) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना
(सामान्य)—
6229—चिकित्सालयों का
सुदृढीकरण—
मूल 3,00.00
पुनर्वि. 11,62.32

14,62.32 14,33.20 - 29.12

11,62.32 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 37.68 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना
(सामान्य)—
8798—चिकित्सालयों का उन्नयन—
मूल 17,36.20
पूरक 80.75
पुनर्वि. 4,56.10

22,73.05 22,63.72 - 9.33

4,56.10 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,21.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 64.90 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(3) 2210-01-196-1473—जिला
चिकित्सालय—
मूल 3,10,67.01
पूरक 2,00.00
पुनर्वि. 2,75.00

3,15,42.01 3,15,42.01 ..

2,75.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लंबित देयकों एवं मंहगाई भत्ते हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुआ।

(4) 2210-03-103-0101—राज्य आयोजना
(सामान्य)—
7317—ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का
उन्नयन—
मूल 11,06.00
पूरक 10,26.03
पुनर्वि. 4,42.66

25,74.69 25,24.71 - 49.98

4,42.66 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,10.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,67.34 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2210-06-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4245—शीत ज्वर— मूल 6,96.00 पुनर्वि. 2,43.74	9,39.74	9,42.86	+ 3.12

2,43.74 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 56.26 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित—

(iv) 23.96 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि समर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-196-1473—जिला चिकित्सालय	40.00	28.98	- 11.02
(2) 2211-196-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1508—जिला स्तरीय अमला	15.00	2.06	- 12.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (50,68.80 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (35.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 51,04.80 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 91,24.95 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 79,25.17 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-01-110-1301—केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6453—स्वास्थ्य आधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)— पूरक 40,65.00 पुनर्वि. - 33,88.98	6,76.02	6,10.29	- 65.73

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)-				
मूल	7,29.30			
पूरक	9,00.00			
पुनर्वि.	- 7,85.16	8,44.14	1,07.63	- 7,36.51
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन का निर्माण-				
मूल	1,68.78			
पूरक	11,44.80			
पुनर्वि.	- 10,20.34	2,93.24	1,84.61	- 1,08.63
(4) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7871-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-मूलभूत सेवाओं के लिये-				
मूल	12,42.00			
पूरक	30,25.00			
पुनर्वि.	- 27,25.69	15,41.31	12,52.40	- 2,88.91

उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 6,10.29 लाख ₹ का वास्तविक व्यय 1,21.63 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके एवं समर्पण के रूप में उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 33,88.98 लाख ₹, 7,85.16 लाख ₹, 10,20.34 लाख ₹ एवं 27,25.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,59,27,76		
पूरक	3,78,05	3,63,05,81	3,00,93,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 62,12,73 निरंक
<i>प्रभारित</i>		50,00	20,34
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 29,66 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,03,44,08		
पूरक	60,08,34	4,63,52,42	4,04,59,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 58,92,45 3,90,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (2,48.05 लाख ₹), नवम्बर 2011 (80.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (50.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 3,78.05 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 62,12.73 लाख ₹ की वृहद उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-001-0523—प्रदेश की जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना— मूल	12,73.00		
पूरक	98.40	13,71.40	7,82.55
(2) 2215-01-001-1854—ड्रिलिंग रिग्स का आपरेशन/वर्कशाप/एयर कम्प्रेसन	8,71.41	6,08.38	- 2,63.03

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2215—01—001—2294—निर्देशन— मूल पुनर्वि.	21,21.36 45.24	21,66.60	17,61.19 - 4,05.41
45.24 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई जो कि बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(4) 2215—01—001—2714—प्रशासन— मूल पूरक पुनर्वि.	1,14,30.55 24.80 - 11,00.98	1,03,54.37	82,30.17 - 21,24.20
11,00.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13,03.00 लाख ₹ की कमी तथा 2,02.02 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कोर्ट केस में अधिवक्ता की फीस के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता, निविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लंबित वेतन देयको तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 2215—01—101—0545—प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण— मूल पूरक पुनर्वि.	40,94.92 88.85 - 2,39.00	39,44.77	26,90.57 - 12,54.20
2,39.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2215—01—101—5300—स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— मूल पूरक	15,80.00 50.00	16,30.00	11,83.53 - 4,46.47
(7) 2215—01—102—1194— ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण		12,75.00	8,73.35 - 4,01.65
(8) 2215—02—001—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2294—निर्देशन		1,24.75	58.44 - 66.31
(9) 2215—02—107—8294—भोज वेट लेण्ड संरक्षण— मूल पूरक	4,05.00 80.00	4,85.00	2,57.01 - 2,27.99
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 20—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-102-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण— मूल 1,06,33.16 पुनर्वि. 9,48.81	1,15,81.97	1,13,31.98	- 2,49.99

9.48.81 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कार्य भारत स्थापना के कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य— मूल 14,62.03 पुनर्वि. 3,45.93	18,07.96	16,81.54	- 1,26.42
---	----------	----------	-----------

3.45.93 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन नालियों का अनुरक्षण तथा कार्य भारत स्थापना के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(v) उचंत लेन देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2011-12 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं, यथा:-

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिगृहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बटटे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत- किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 20—जारी

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे + जमा -
(लाख ₹ में)				
2215—जल पूर्ति तथा सफाई				
(i) क्रय	- 44,10.17	- 44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	+ 1,68,42.76

प्रभारित—

(vi) 29.66 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2215-01-001-2294-निर्देशन	50.00	20.34	- 29.66

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) 58,92.45 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 42,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 17,58.34 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 58,92.45 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 3,90.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	3,00.00	2,41.57	- 58.43
(2) 4215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6294-ग्रामीण शालाओं में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना	1,00.00	..	- 1,00.00

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2580—पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 1,24,88.00 पूरक 40,00.00	1,64,88.00	1,60,64.56	- 4,23.44

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4867—प्रदेश में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था— मूल 5,00.00 पुनर्वि. - 3,60.00	1,40.00	1,34.13	- 5,87
--	---------	---------	--------

(5) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6636—प्रदेश में खारापानी प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था— मूल 2,50.00 पुनर्वि. - 2,50.00
---	----	----	----

(6) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9489—प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 64,06.00 पुनर्वि. - 36,00.00	28,06.00	26,05.61	- 2,00.39
---	----------	----------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,60.00 लाख ₹, 2,50.00 लाख ₹ (समग्र प्रावधान) एवं 36,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (4) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 4215-01-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6032—भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	50,00.00	29,66.97	- 20,33.03
--	----------	----------	------------

(8) 4215-01-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6034—स्वजल धारा कार्यक्रम	25,00.00	..	- 25,00.00
---	----------	----	------------

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 6215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2182—नगरीय जल प्रदाय योजनाएं— मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	- 50.00	1,50.00	24.00	- 1,26.00
(10) 6215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7447—पुनः जल प्रदाय योजना— मूल	90.00			
पुनर्वि.	- 90.00

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50.00 लाख ₹ एवं 90.00 लाख ₹ (समग्र प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 तथा क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4379—समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना— मूल	1,24,40.48			
पुनर्वि.	39,60.00	1,64,00.08	1,62,91.28	- 1,08.80

39,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 42,95.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,35.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वेतन शीर्ष में अधिक व्यय एवं लंबित देयताओं के भुगतान हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई (27,95.00 लाख ₹)। 15,00.00 लाख ₹ की अवशिष्ट वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 4215-01-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7163—सहायक गतिविधियां— पूरक	16,82.90	16,82.90	18,06.17	+ 1,23.27
--	----------	----------	----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
3054—सड़क तथा सेतु			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,00,68,29		
पूरक	4,78,25	1,05,46,54	96,04,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 9,41,80 निरंक
<i>प्रभारित</i>		1,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 1,00 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	41,29,00		
पूरक	1,95,24	43,24,24	43,16,24
वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि			- 8,00 निरंक
<i>प्रभारित</i>		2,00	50
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 1,50 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1.20 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (4,77.05 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 4,78.25 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 9,41.80 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059—80—001—1899—तीन निर्माण उपसंभाग की स्थापना	3,85.19	3,39.19	- 46.00
(2) 2059—80—001—3296—मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि.)	18,30.27	13,73.95	- 4,56.32

अनुदान संख्या 21—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-				
मूल	14,62.90			
पूरक	61.25	15,24.15	12,20.14	- 3,04.01

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।
उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा
अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2216-05-053-6218-भवनों की मरम्मत-				
मूल	1,07.50			
पुनर्वि.	21.50	1,29.00	1,28.17	- 0.83

21.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन संधारण कार्य के लिये अपर्याप्त आवंटन होने के
कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(v) 1.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित
नहीं की गई।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(vi) 8.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,95.24 लाख ₹ का
अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) 8.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

प्रभारित-

(viii) 1.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास—नगरीय निकाय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2217—शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	1,06,63,22		
पूरक	4,88,71	1,11,51,93	- 18,79,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 एवं 31 जनवरी तथा 31 मार्च 2012)			17,95,34
पूंजीगत	1,54,20,05	1,09,97,18	- 44,22,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 जनवरी एवं 31 मार्च 2012)			44,22,87

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2011 (1,63.83 लाख ₹), नवम्बर 2011 (2,97.30 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (27.58 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 4,88.71 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 18,79.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 9 तथा 31 जनवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 17,95.34 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2217-05-191-6583—अग्निशमन सेवाओं हेतु नगरीय निकायों का अनुदान—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	- 1,00.00
समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वेतन, भत्ते एवं मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण हुई।			
(2) 2217-05-800-6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	7,38.05		
पूरक	9.59		
पुनर्वि.	- 1,77.12	5,70.52	5,59.56
समर्पण के रूप में 1,77.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 22—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम-				
मूल	67,15.00			
पुनर्वि.	- 13,27.50	53,87.50	53,87.50	..

समर्पण के रूप में 13,27.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 14,43.50 लाख ₹ की कमी एवं 1,16.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-				
मूल	3,65.34			
पुनर्वि.	- 1,10.19	2,55.15	2,55.01	- 0.14

समर्पण के रूप में 1,10.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कुछ पद रिक्त रहने, परियोजना में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदस्थापना स्वीकृत पदों से कम होने, वेतन भत्ते एवं मजदूरी में कम व्यय होने, लघु कार्य, सम्मेलन, प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा समारोह की कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिये जाने एवं यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, संधारण, विज्ञापन एवं प्रचार, निरीक्षण शोध, रूपांकन, मशीनरी, विद्युत एवं जल प्रभार आदि पर सीमित व्यय होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4217-60-191-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-				
मूल	12,34.00			
पुनर्वि.	- 4,08.23	8,25.77	8,25.77	..
(2) 6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास-				
मूल	1,21,31.00			
पुनर्वि.	- 40,14.57	81,16.43	81,16.43	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 4,08.23 लाख ₹ एवं 40,14.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	6,35,97,33		
पूरक	19,22,00	6,55,19,33	5,76,80,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 78,38,67 4,67,21
<i>प्रभारित</i>		20,00	22,24
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			+ 2,24 <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	7,22,77,82		
पूरक	2,45,15,00	9,67,92,82	8,62,16,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,05,76,09 2,90,50
<i>प्रभारित</i>		1,00,00	1,00,11
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			+ 11 <i>निरंक</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 (17,22.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (2,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 19,22.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 78,38.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 4,67.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2700—80—005—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9957—कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	10,73.94	8,94.48	- 1,79.46

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2701-03-800-6360—निर्वाचित कृषक संस्थाओं की राशि की व्यवस्था— पूरक	1,00.00	1,00.00	1.17 - 98.83
(3) 2701-80-001-0275—आबियाना स्थापना	30,45.53	26,53.70	- 3,91.83
(4) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0814—कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	13,45.02	9,85.01	- 3,60.01
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0815—कार्यपालिक स्थापना— मूल पुनर्वि.	3,10,64.66 - 4,50.00	3,06,14.66	2,60,51.91 - 45,62.75
4.50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300—मण्डल स्थापना— मूल पुनर्वि.	24,76.97 0.03	24,77.00	21,00.79 - 3,76.21
0.03 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि स्थानान्तरण/दौरा के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट—I— मूल पुनर्वि.	47,83.91 - 0.03	47,83.88	39,79.29 - 8,04.59
0.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10.63 लाख ₹ कमी एवं 10.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आयाकट संचालक के रूप में नियुक्त आई.एफ.एस. संवर्ग के अधिकारी के वेतन के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4003—विद्युत एवं यांत्रिक स्थापना मुख्यालय स्थापना	3,36.05	2,20.95	- 1,15.10
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 23—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2700-11-101-2894-बांध तथा नहरें-			
मूल	32,90.00		
पूरक	6,75.00		
पुनर्वि.	2,61.50	42,26.50	41,28.73
			- 97.77

2,61.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 88.50 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रबी फसल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किये गए सिंचाई कार्य का भुगतान करने एवं मजदूरी का भुगतान करने के कारण हुई, जबकि कमी वेतन एवं मजदूरी में बचत होने एवं विद्युत प्रभार में दस प्रतिशत आर्थिक कटौती होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2700-15-101-2894-बांध तथा नहरें-				
मूल	9,37.00			
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	25.40	10,12.40	10,12.73	+ 0.33

25.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 24.60 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रबी की फसल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किये गए सिंचाई कार्य का भुगतान करने के कारण हुई जबकि कमी अंशतः वेतन मद में बचत एवं दस प्रतिशत आर्थिक कटौती होने के कारण हुई, (10.70 लाख ₹)। शेष कमी (13.90 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 2700-16-101-2894-बांध तथा नहरें-				
मूल	1,34.50			
पुनर्वि.	31.30	1,65.80	1,61.22	- 4.58

31.30 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 33.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.70 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कोषालय से आहरित वेतन के उपरान्त अधिक किये व्यय के समायोजन के कारण होना सूचित की गई। कमी अंशतः विद्युत प्रभार में दस प्रतिशत आर्थिक कटौती होने के कारण हुई (0.20 लाख ₹)। शेष कमी (1.50 लाख ₹) के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2700-18-101-2894-बांध तथा नहरें-				
मूल	3,50.05			
पुनर्वि.	99.99	4,50.04	4,50.56	+ 0.52

99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,01.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः परियोजना के तत्काल विशेष मरम्मत एवं संधारण द्वारा सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होने एवं रबी फसल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किये गए सिंचाई कार्य के भुगतान तथा वेतन के भुगतान के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत कटौती के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(5) 2700-32-101-2894-बांध तथा नहरें-				
मूल	5,35.00			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	48.40	7,83.40	7,62.72	- 20.68

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

48.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 55.40 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रबी फसल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये किये गए सिंचाई कार्य का भुगतान तथा वेतन एवं मजदूरी का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 2701—80—800—6360—निर्वाचित कृषक
संस्थाओं को राशि की व्यवस्था—

मूल	2,30.00			
पुनर्वि.	- 28.00	2,02.00	2,74.77	+ 72.77

28.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। अधिक व्यय के परिपेक्ष्य में प्रत्याशित बचत अवास्तविक थी।

(iv) उचंत लेन—देन—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किये गए 2,85.38 लाख ₹ सम्मिलित हैं। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2011—12 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है—

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे+ जमा—
2701—मध्यम सिंचाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	- 23,09.78	- 23,09.78
(ii) भण्डार	+ 5,44.29	1,30.33	2,97.57	+ 3,77.05
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65,60.17	1,27.36	..	+ 66,87.53
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 3,69.76	27.69	..	+ 3,97.45
योग	+ 51,64.44	2,85.38	2,97.57	+ 51,52.25

प्रभारित—

(v) प्रभारित विनियोग से हुए 2,24,313 ₹ के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

पूजीगत:

दत्तमत—

(vi) 1,05,76.09 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिपेक्ष्य में, जुलाई 2011 एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 2,00.00 लाख ₹ एवं 1,10,15.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,33,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) 1,05,76.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,90.50 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 23—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-12-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिक स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	16,24.77	11,67.64	- 4,57.13
(2) 4700-13-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालिक स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)	17,60.01	14,19.75	- 3,40.26
(3) 4700-21-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304—निर्देशन और प्रशासन	16,03.97	14,29.65	- 1,74.32
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 4700-21-800-1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6596—सुधार, सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना— पूरक 34,15.00 पुनर्वि. - 34,15.00
34,15.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से योजना के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(5) 4700-22-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641—स्थापना	7,09.81	5,05.53	- 2,04.28
(6) 4700-24-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641—स्थापना	8,15.35	5,06.50	- 3,08.85
(7) 4700-26-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641—स्थापना	22,87.28	14,10.40	- 8,76.88
(8) 4700-49-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—हाइड्रो मिडिरियोलाजीकल नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना	5,46.50	4,04.59	- 1,41.91

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4700-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5581-कोलार परियोजना नहर प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	- 1,83.00	2,17.00	2,14.75
			- 2.25
(10) 4700-68-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	- 9,73.00	27.00	26.08
			- 0.92
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत 1,83.00 लाख ₹ एवं 9,73.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य प्रारम्भ नहीं होने एवं योजना के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(11) 4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8695-पूर्ण योजनाओं की देनदारियों हेतु-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	- 1,35.00	15.00	14.47
			- 0.53
1,35.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पूर्ण योजनाओं की लंबित देनदारियों हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(12) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9244-होशंगाबाद जिले की तथा तवा दांयी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	- 3,10.00	90.00	89.70
			- 0.30
3,10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(13) 4701-44-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	7,60.00		
पूरक	15,00.00		
पुनर्वि.	- 7,08.00	15,52.00	15,52.63
			+ 0.63
7,08.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 4701-80-001-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन			
	5,00.00	..	- 5,00.00
संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(15) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5584-सिंहपुर बैराज- मूल पुनर्वि.	20,00.00 - 6,07.68	13,92.32	13,93.68 + 1.36
6.07.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस योजना का कार्य "बुन्देलखण्ड पैकेज" के अन्तर्गत स्वीकृत होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(16) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5586-बनेठा मध्यम परियोजना- मूल पुनर्वि.	8,00.00 - 2,55.00	5,45.00	5,64.64 + 19.64
2.55.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5587-घोघरा मध्यम परियोजना	25,00.00	17,04.82	- 7,95.18
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(18) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5591-मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना- मूल पुनर्वि.	4,00.00 - 2,71.00	1,29.00	1,30.35 + 1.35
2,71.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिक वर्षों के कारण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(19) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5592-सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन योजना- मूल पुनर्वि.	15,00.00 - 14,35.48	64.52	63.66 - 0.86
14,35.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति धीमी होने एवं निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया में देरी होने से हुई (13,81.00 लाख ₹)। 54.48 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(20) 4701-80-001-0101-आयोजना (सामान्य)- 6597-नीमच जिले की उद्वहन सिंचाई योजना- मूल पुनर्वि.	5,00.00 - 3,72.00	1,28.00	1,23.09 - 4.91
3,72.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(21) 4711-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9229-सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना-				
मूल	2,66.00			
पुनर्वि.	- 1,80.68	85.32	85.12	- 0.20

1,80.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राशि की आवश्यकता नहीं होने एवं योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-12-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 2897-बांध तथा संलग्न कार्य-				
मूल	17,40.01			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	5,03.00	24,43.01	23,51.83	- 91.18

5,03.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,55.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 52.00 लाख ₹ निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने तथा निर्माणाधीन कार्य के लिये भू-अधिग्रहण करने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी मजदूरी के अन्तर्गत बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 4700-13-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-				
मूल	1,00,00.00			
पुनर्वि.	23,43.00	1,23,43.00	1,20,45.16	- 2,97.84

23,43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 24,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 57.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी वेतन एवं मजदूरी के अन्तर्गत बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 4700-19-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6596-सुधार, सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना-				
मूल	2,50.00			
पुनर्वि.	3,08.00	5,58.00	5,58.03	+ 0.03

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4700-61-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 10,00.00 पूरक 43,00.00 पुनर्वि. 9,56.00	62,56.00	62,55.57	- 0.43
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 3,08.00 लाख ₹ एवं 9,56.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 4700-01-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2923—बारना परियोजना— मूल 1,00.00 पुनर्वि. 1,14.00	2,14.00	2,11.29	- 2.71
1,14.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,74.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 60.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(6) 4701-36-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7076—माचक नहर विस्तार— मूल 1.00 पुनर्वि. 55.64	56.64	44.48	- 12.16
55.64 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि नहर एवं निर्माण कार्य की लंबित देयताओं के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(7) 4701-56-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2897—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 15,00.00 पुनर्वि. 9,24.00	24,24.00	24,22.99	- 1.01
9,24.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 9,25.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(8) 4701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5595—अपर ककेटो बांध परियोजना— मूल 10,00.00 पूरक 55,00.00 पुनर्वि. 12,02.00	77,02.00	69,00.00	- 8,02.00

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

12,02.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 14,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,98.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(9) 4701—80—005—0101—राज्य आयोजना
(सामान्य)–

3363—मध्यम परियोजना का सर्वे–

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	1,29.50	2,29.50	2,17.15	- 12.35

1,29.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 70.50 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सर्वे कार्य का भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी सर्वे कार्यों के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(x) उचंत लेन देन:—

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2011—12 के दौरान उचंतशीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गए 0.58 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2011—12 के दौरान इस अनुभाग के विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेनदेन का विश्लेषण प्रारम्भिक तथा अंतर्शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे + जमा -
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	- 22,89.29	- 22,89.29
(ii) भण्डार	+ 39,93.14	0.58	..	+ 39,93.72
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,77.39	+ 11,77.39
(iv) कार्यशाला उचंत	- 2,11.06	- 2,11.06
योग	+ 26,70.18	0.58	..	+ 26,70.76
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—				
(i) क्रय	- 12.92	- 12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	+ 2.22
योग	+ 64.71	+ 64.71

प्रभारित—

(xi) प्रभारित विनियोग से हुए 11,000 ₹ के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	6,79,60,44		
पूरक	2,40,62,00	9,20,22,44	8,13,53,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 1,06,68,68 निरंक
<i>प्रभारित</i>		10,00,00	19,49
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 9,80,51 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	12,75,77,00		
पूरक	2,07,00,10	14,82,77,10	11,99,07,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 2,83,69,87 2,81,92,56
<i>प्रभारित—</i>			
<i>मूल</i>	15,00,00		
<i>पूरक</i>	80,00,00	95,00,00	95,00,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			.. निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) 1,06,68.68 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 2,40,22.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था और मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 40.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,06,68.68 लाख ₹ की उपलब्ध बचत विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3054—01—337—0134—अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत—			
मूल	9,20.00		
पूरक	40,00.00	49,20.00	26,40.46
			- 22,79.54

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 3054-03-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत	16,08.46	12,51.51	- 3,56.95
(3) 3054-80-001-2418-निष्पादन मूल	48,09.15		
पूरक	40.00	48,49.15	- 22,14.96
(4) 3054-80-001-3300-मण्डल स्थापना	17,18.23	12,31.18	- 4,87.05
(5) 3054-80-001-3561-मुख्यालय स्थापना	28,85.55	22,05.23	- 6,80.32
(6) 3054-80-001-6446-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा सड़क एवं पुल अनुरक्षण	1,42,58.00	1,28,29.19	- 14,28.81

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3054-01-337-4090-विशेष मरम्मत	1.00	46.36	+ 45.36

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2012 को जमा लेखे में 2,39.75 लाख ₹ का शेष था। निधि का लेखा वित्त लेखे 2011-12 के विवरण संख्या-18 में दिया गया है।

प्रभारित-

(vi) 9,80.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3054-80-800-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	10,00.00	19.49	- 9,80.51

अनुदान संख्या 24—जारी

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(viii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,07,00.01 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,00,00.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (0.09 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,07,00.10 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 2,83,69.87 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,81,92.56 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार— मूल 9,60.00 पुनर्वि. -4,27.73	5,32.27	5,10.26	- 22.01
4,27.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आवश्यक कार्य स्वीकृत नहीं होने एवं अपेक्षित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5003-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम— मूल 5,72,70.00 पुनर्वि. -2,29,09.00	3,43,61.00	2,86,35.00	- 57,26.00
2,29,09.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एशियन विकास बैंक द्वारा एम.पी.एस.आर.पी.-3 हेतु प्रस्तावित निविदा की स्वीकृति देरी से जारी होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन— मूल 50,00.00 पूरक 45,00.00 पुनर्वि. -13,26.55	81,73.45	81,24.98	- 48.47
(4) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222-मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— पूरक 10,00.00	10,00.00	..	- 10,00.00

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)- मूल 1,45,00.00 पूरक 10,00.04 पुनर्वि. - 13,92.44	1,41,07.60	1,25,02.82	- 16,04.78

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 13,26.55 लाख ₹ एवं 13,92.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण- मूल 85,36.00 पुनर्वि. - 42,68.00	42,68.00	42,68.00	..
--	----------	----------	----

42,68.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सामान्य अनुबंध के अंतर्गत तकनीकी कारणों से चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5054-03-101-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 6589-नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत वृहद पुलों का निर्माण	25,00.00	25,47.88	+ 47.88
(2) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6651-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण- मूल 15,00.00 पूरक 6,00.00	21,00.00	35,01.99	+ 14,01.99
(3) 5054-03-337-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 0948-केन्द्रीय सड़क निधि- मूल 1,39,00.00 पूरक 50,00.00	1,89,00.00	2,46,32.78	+ 57,32.78

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 5054-04-800-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 83,00.00 पुनर्वि. - 2,73.94	80,26.06	92,64.88	+ 12,38.82
2,73.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये राशि की अपेक्षित मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई, जो कि अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अवास्तविक थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 5054-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5701—बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण— मूल 1,00.00 पूरक 6,00.00 पुनर्वि. 30,00.00	37,00.00	37,00.00	..

30,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि बी.ओ.टी. के आधार पर क्रियान्वयन के लिये यूटीलिटी शिफ्टिंग होने के कारण एवं राज्य राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के उन्नयन के लिये एन्यूटी के कारण हुई।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	20,95,04		
पूरक	4,63,36	25,58,40	- 4,43,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			3,21,96
प्रभारित—			
मूल	5,41,97,46		
पूरक	62,44,86	6,04,42,32	- 2,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			2,22
पूंजीगत:			
दत्तमत		5,00	- 33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 4,43.86 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,27.74 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 में प्राप्त किया गया क्रमशः 20.00 लाख ₹ एवं 3,15.62 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,43.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 3,21.96 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2853-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2294—निदेशन—			
मूल	12,05.83		
पूरक	1,47.74		
पुनर्वि.	- 2,03.56	11,50.01	- 60.69

समर्पण के रूप में 2,03.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण व्यय में कमी, अभिभाषकों की फीस के भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने, व्यावसायिक सेवाओं एवं विशिष्ट सेवाओं के मानदेय का भुगतान न होने, समय पर त्रैमासिक आवंटन का आहरण न करने एवं मजदूरी, यात्रा भत्ते कार्यालय व्यय उद्देश्य शीर्षों के अंतर्गत कम राशि की मांग होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2853-02-101-1010—मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड— 3595—मेसर्स कोल इण्डिया लि. के लिए कोल पूर्वेक्षण— मूल	1,49.77			
पुनर्वि.	- 28.46	1,21.31	1,19.57	- 1.74
(3) 2853-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0182—अन्य खनिजों का सर्वेक्षण— मूल	6,90.49			
पुनर्वि.	- 77.10	6,13.39	5,57.14	- 56.25

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 28.46 लाख ₹ तथा 77.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण व्यय में कमी, समय पर त्रैमासिक आवंटन के आहरण न किये जाने एवं उद्देश्य शीर्ष वेतन, यात्रा भत्ते कार्यालय व्यय, मजदूरी, मशीन आदि के अंतर्गत कम राशि की मांग होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
2217—शहरी विकास			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	94,33,66			
पूरक	12,35,28	1,06,68,94	94,05,58	- 12,63,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

94,05.58 लाख ₹ के सम्पूर्ण व्यय में संस्कृति विभाग द्वारा शीर्ष 2205—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—6936—भारत भवन में कला ग्राम की स्थापना (2,00.00 लाख ₹) एवं 2205—800—1301—केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—6464—स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य (34,87.00 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 36,87.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

मूल	1,89,40			
पूरक	2,50,00	4,39,40	1,89,40	- 2,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (4,25.85 लाख ₹), नवम्बर 2011 (5,59.42 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (2,50.01 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 12,35.28 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 12,63.36 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202—03—103—7982—संगीत महाविद्यालय	4,84.60	4,03.78	- 80.82
(2) 2205—102—6379—संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	1,71.37	1,27.85	- 43.52
(3) 2205—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304—निदेशन एवं प्रशासन— मूल	6,91.37		
पूरक	18.00	7,09.37	6,29.08
			- 80.29

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2205-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3675-राज्य पुरालेख संचालनालय- मूल पूरक	1,87.25 0.50	1,87.75	1,43.08 - 44.67
(5) 2205-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4283-संग्रहालय- मूल पूरक	6,09.72 16.00	6,25.72	4,85.71 - 1,40.01
(6) 2205-800-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6464-स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास कार्य आदि	43,75.00	36,68.80	- 7,06.20
(7) 2205-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6867-आजाद स्मृति मंदिर स्मारक- पूरक	1,05.00	1,05.00	65.00 - 40.00

क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 36,68.80 लाख ₹ का वास्तविक व्यय, 34,87.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में, जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के तुल्य था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 2,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 2,50.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6941-रवीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन- पूरक	2,50.00	2,50.00	.. - 2,50.00

सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	41,33,71,68		
पूरक	3,16,70,57	44,50,42,25	38,56,30,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 5,94,11,74 13,17,61
<i>प्रभारित</i>		23,50	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 23,50 <i>निरंक</i>
पूँजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,48,01		
पूरक	सांकेतिक	4,48,01	3,35,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,12,32 1,12,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2011 (3,16,60.75 लाख ₹), नवम्बर 2011 (5.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (4.82 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 3,16,70.57 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 5,94,11.74 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद् बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 13,17.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-001-1500—जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	48,49.59	36,90.40	- 11,59.19
(2) 2202-01-001-3930—विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	48,33.26	37,20.60	- 11,12.66

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2202-01-101-3491—माध्यमिक शालायें—				
मूल	9,54,90.37			
पूरक	90,00.00	10,44,90.37	8,57,83.41	- 1,87,06.96
(4) 2202-01-101-4396—सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना—				
मूल	18,38,95.27			
पूरक	2,20,00.00	20,58,95.27	17,46,13.71	- 3,12,81.56

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(5) 2202-01-101-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6491—आई.डी.एम.आई. योजना अंतर्गत अनुदान—				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	- 3,55.79	1,44.21	1,44.21	..

समर्पण के रूप में 3,55.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 2202-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए				
		64,71.68	37,98.07	- 26,73.61

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2202-01-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6716—निःशुल्क गणवेश प्रदाय—				
मूल	45,90.00			
पुनर्वि.	- 9,80.00	36,10.00	36,10.00	..

9,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 25,15.00 लाख ₹ की कमी एवं 15,35.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सर्व शिक्षा अभियान योजना से निःशुल्क गणवेश प्रदाय के लिए राशि उपलब्ध कराने के कारण हुई जबकि वृद्धि गरीबी रेखा से ऊपर के विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश प्रदाय हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई।

(8) 2202-01-102-9948—प्राथमिक शालाएं		10,50.00	8,69.15	- 1,80.85
(9) 2202-01-102-9949—माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान		5,77.78	4,25.83	- 1,51.95

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2202-01-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6344—मदरसा का आधुनिकीकरण— मूल 13,38.24 पुनर्वि. -2,96.81		10,41.43	10,41.43	..

समर्पण के रूप में 2,96.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(11) 2202-02-105-3694—राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल		7,49.83	5,79.21	- 1,70.62
---	--	---------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(12) 2202-02-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6011—साक्षर भारत— मूल 9,50.00 पुनर्वि. -6,65.00		2,85.00	2,85.00	..
--	--	---------	---------	----

समर्पण के रूप में 6,65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण राज्यांश की बचत होने के कारण हुई।

(13) 2202-02-110-3491—माध्यमिक शालायें		18,34.20	15,05.18	- 3,29.02
(14) 2202-03-103-4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय		13,46.83	9,56.28	- 3,90.55

(15) 2202-04-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 4402—सरकारी शिक्षा महाविद्यालय		1,78.21	10.70	- 1,67.51
---	--	---------	-------	-----------

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 तथा क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6484—आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति— मूल 50.00 पुनर्वि. 13,92.00		14,42.00	14,42.00	..

13,92.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अशासकीय-विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति होने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6813-साइकिलों का प्रदाय-			
मूल	24,48.72		
पूरक	6,60.75		
पुनर्वि.	25,15.00	56,24.47	56,24.47 ..

25,15.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कन्याओं के साथ लड़कों को भी निःशुल्क साइकिले उपलब्ध कराने हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई।

प्रभारित-

(v) 23.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः-निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	20.00	..	- 20.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत-

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4202-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5481-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	- 1,12.00	2,88.00	2,87.69 - 0.31

समर्पण के रूप में 1,12.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य वित्त आयोग से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	48,52,08		
पूरक	41,98	48,94,06	- 6,68,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			2,45,16
<i>प्रभारित</i>		30,30	- 13,11
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>		17,19	10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (40.00 लाख ₹) तथा नवम्बर 2011 (1.98 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 41.98 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,68.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,45.16 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2011-02-101-4007—विधायक/मंत्री—			
मूल	22,27.00		
पुनर्वि.	- 1,26.68	21,00.32	- 1,16.73

1,26.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,46.68 लाख ₹ की कमी एवं 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी कम यात्रा होने, सचिवालय के कुछ पदों के नियमित होने एवं शासन के निर्देशानुसार मितव्ययिता के कारण हुई जबकि वृद्धि सदस्यों एवं विधान सभा अध्यक्ष को अनुदान के भुगतान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की पूरी राशि का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2011-02-101-6110—विधायक/मंत्री
की निजी स्थापना—

मूल	4,97.10		
पुनर्वि.	- 1,90.00	3,07.10	- 1,25.37

1,90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत रेल यात्रा कूपन के कम मुद्रण एवं वेतन वृद्धि के कम आहरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2011-02-101-6801—माननीय विधायकों को लेपटॉप का क्रय			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	- 39.00	11.00	5.58
			- 5.42

39.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत माननीय विधायकों द्वारा लेपटाप क्रय नहीं किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 13.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 0.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2011-02-101-0125—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता (भारित)	29.50	17.19	- 12.31

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
7610—शासकीय सेवकों आदि को कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	5,61,12,31			
पूरक	1,25,82,68	6,86,94,99	5,49,12,88	- 1,37,82,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				98,77,55

5,49,12.88 लाख ₹ के कुल व्यय में विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा शीर्ष 2014—105—1301—केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—6269—न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग) के अंतर्गत आहरित तथा 30 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 1,21,24.18 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित—

मूल	63,25,65			
पूरक	1,77,91	65,03,56	50,34,39	- 14,69,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				12,22,39

पूंजीगत:

दत्तमत		50,00	3,00	- 47,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				47,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,13,42.50 लाख ₹), नवम्बर 2011 (12,39.53 लाख ₹) तथा मार्च 2012 (0.65 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,25,82.68 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,37,82.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 98,77.55 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2014—105—2410—निर्वाह पत्र तामील स्थापना—			
मूल	25,72.25		
पूरक	18.00		
पुनर्वि.	- 6,12.32	19,77.93	19,77.25
			- 0.68

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 6,12.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2014-105-4497—सामान्य स्थापना—			
मूल	3,33,97.81		
पूरक	1,79.00		
पुनर्वि.	- 49,28.05	2,86,48.76	2,85,43.59
			- 1,05.17
समर्पण के रूप में 49,28.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 49,88.05 लाख ₹ की कमी तथा 60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः उद्देश्य शीर्ष फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण के अंतर्गत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (60.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि अधीनस्थ कार्यालयों से उद्देश्य शीर्ष अन्य आकस्मिक व्यय एवं गाड़ियों के रख रखाव हेतु मांग प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। 49,28.05 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2014-105-6020—ग्राम न्यायालय—			
मूल	14,06.40		
पूरक	5,52.00		
पुनर्वि.	- 7,55.61	12,02.79	11,95.65
			- 7.14
(4) 2014-105-6211—केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय—			
मूल	1,71.92		
पूरक	32.50		
पुनर्वि.	- 58.35	1,46.07	1,48.27
			+ 2.20
(5) 2014-105-6775—फास्ट ट्रेक योजना—			
मूल	10,76.20		
पूरक	2,63.10		
पुनर्वि.	- 4,39.71	8,99.59	8,89.69
			- 9.90
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 7,55.61 लाख ₹, 58.35 लाख ₹ एवं 4,39.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2014-105-1301—केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—			
6269—न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)—			
मूल	81,48.00		
पूरक	76,56.00	1,58,04.00	1,24,29.24
			- 33,74.76
1,24,29.24 लाख ₹ का व्यय 1,21,24.18 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 30 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2014-114-3572—मुफरिसल स्थापना—			
मूल	5,85.95		
पुनर्वि.	- 1,16.22	4,69.73	4,62.88
			- 6.85

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,16.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः म.प्र. ग्रामीण न्यायालयों के एक्ट 2009 के अंतर्गत ग्रामीण न्यायालयों के बंद होने तथा आर्थिक कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2014-800-7984-परिवार न्यायालयों की

स्थापना-

मूल	7,60.06			
पूरक	1,79.45			
पुनर्वि.	- 1,67.45	7,72.06	7,77.77	+ 5.71

समर्पण के रूप में 1,67.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,77.45 लाख ₹ की कमी तथा 10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पदों के रिक्त होने के कारण हुई (10.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर एवं टीकमगढ़ परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लंबित स्थानान्तरण यात्रा देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (1,67.45 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी-

मूल	9,86.11			
पुनर्वि.	- 3,23.69	6,62.42	6,55.26	- 7.16

3,23.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,08.22 लाख ₹ की कमी एवं 84.53 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अग्रिम प्राप्त न किये जाने, राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय किये गए उपकरणों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित देयकों का भुगतान न होने, कर्मचारियों द्वारा यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत न किये जाने, मजदूरी पर श्रमिक न रखे जाने, प्रावधान से कम लागत पर वाहन खरीदने तथा यातायात एवं वाहनों की मरम्मत पर कम व्यय होने के कारण हुई जबकि वृद्धि मुख्यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय भोपाल के लिए नवीन वाहन खरीदने, फोटो कॉपी स्कैनर एवं अन्य कार्यालय उपकरण पर व्यय होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2015-103-3307-मतदाता सूचियां

तैयार करना एवं मुद्रण-

मूल	25,35.01			
पूरक	36,80.00			
पुनर्वि.	- 17,76.80	44,38.21	41,85.53	- 2,52.68

17,76.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 24,26.80 लाख ₹ की कमी एवं 6,50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः निर्धारित दर के अनुसार मानदेय का भुगतान न होने, कुछ जिलों द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न किये जाने एवं फोटो युक्त मतदाता सूची की छपाई के लंबित देयकों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (16,89.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि राष्ट्रीय मतदाता सूची तैयार करने एवं मुद्रण से संबंधित अन्य प्रभार एवं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाये जाने के लिये राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। 7,37.80 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2015-105-4311-संसद के लिए

चुनाव कराने के प्रभार-

मूल	2,45.85			
पुनर्वि.	- 1,28.79	1,17.06	82.15	- 34.91

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,28.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सरकार से लाईट, माइक्रोफ़ोन, स्टेशनरी एवं विडियोग्राफी के व्यय एवं लोक-सभा के पिछले उपचुनाव के देयकों के व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2015-106-4006—राज्य विधान मण्डल
के निर्वाचन के प्रभार

मूल	3,29.90			
पुनर्वि.	- 1,19.70	2,10.20	1,39.26	- 70.94

1,19.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,22.70 लाख ₹ की कमी एवं 3.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पिछले उपचुनाव से संबंधित लाईट, माइक, स्टेशनरी, विडियोग्राफी इत्यादि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2015-108-9503—मतदाताओं को फोटो
परिचय पत्र जारी करना—

मूल	9,63.00			
पुनर्वि.	- 3,76.29	5,86.71	5,65.82	- 20.89

3,76.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के पहचान पत्रों के मुद्रण के देयकों का भुगतान न होने एवं सरकार से राज्य स्तरीय संस्थाओं के भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय कुल विनियोग से कम था, जुलाई 2011 (0.63 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,56.28 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (21.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,77.91 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 14,69.17 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 12,22.39 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

2014-102-0573—उच्च न्यायालय (भारित)—

मूल	62,22.61			
पूरक	1,34.28			
पुनर्वि.	- 12,16.76	51,40.13	48,96.36	- 2,43.77

समर्पण के रूप में 12,16.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,24.76 लाख ₹ की कमी एवं 8.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जबलपुर उच्च न्यायालय एवं इंदौर खण्डपीठ द्वारा परिवहन व्यवस्था हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

पूजीगत:—
दत्तमत—

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
7610—202—9246—न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कर्ज—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	- 47.00	3.00	3.00
			..

47.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु नियम नहीं बनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें एवं पुल			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,14,69,11		
पूरक	50,56,00	3,65,25,11	3,30,32,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 34,92,76 1,95,43
<i>प्रभारित</i>		6,00	81
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			- 5,19 5,19
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,84,78,00		
पूरक	10,00,00	1,94,78,00	1,94,78,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 34,92.76 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 6.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 50,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था तथा मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 34,92.76 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,95.43 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2501-06-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8774—राज्य स्तर का अमला	3,61.60	3,01.49	- 60.11

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1033-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	1,02,50.85		
पुनर्वि.	- 15.55	1,02,35.30	83,75.15
			- 18,60.15

समर्पण के रूप में 15.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3926-विकास आयुक्त-				
मूल	4,37.32			
पूरक	6.00			
पुनर्वि.	- 1,11.69	3,31.63	2,43.36	- 88.27

समर्पण के रूप में 1,11.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,13.69 लाख ₹ की कमी तथा 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग प्राप्त न होने एवं मुख्यतः वेतन एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत आर्थिक कटौती के कारण हुई जबकि वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु मांग के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2515-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3927-जिला स्तर अमला-				
मूल	3,40.00			
पूरक	- 3.85	3,36.15	2,97.48	- 38.67

समर्पण के रूप में 3.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने एवं वेतन एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(5) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-				
मूल	90,37.34			
पूरक	50.00			
पुनर्वि.	- 21.29	90,66.05	78,16.12	- 12,49.93

समर्पण के रूप में 21.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26.29 लाख ₹ की कमी एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग प्राप्त न होने एवं मुख्यतः वेतन, कार्यालय व्यय, संधारण कार्य, मशीन एवं उपकरण के अंतर्गत मितव्ययिता के कारण हुई जबकि वृद्धि गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु व्यय की पूर्ति हेतु होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय, आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व:			
मूल	4,56,97,49		
पूरक	2,33,03	4,59,30,52	- 3,86,38,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (22 एवं 31 मार्च 2012)			3,86,28,90

72,91.64 लाख ₹ के कुल व्यय में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शीर्ष 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6267-जिला नवाचार कोष (13वां वित्त आयोग) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 16,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं।

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (66.70 लाख ₹), नवम्बर 2011 (66.33 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (1,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,33.03 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,86,38.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 22 एवं 31 मार्च 2012 को केवल 3,86,28.90 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना			
मण्डल-			
मूल	2,95.78		
पूरक	13.50		
पुनर्वि.	- 62.03	2,47.25	+ 1.27

62.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 68.03 लाख ₹ की कमी एवं 6.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः परीक्षा एवं प्रशिक्षण पर व्यय होने की संभावना नहीं होने एवं आर्थिक कटौती के कारण हुई (6.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि वाहन क्रय करने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण होना सूचित की गई। 62.03 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 31—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 3451-101-0101—राज्य अयोजना (सामान्य)— 5612—विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण— मूल 10,00.00 पुनर्वि. - 9,54.23	45.77	44.91	- 0.86

9.54.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (11.30 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 9,42.93 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 3451-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6577—आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान— मूल 3,18,39.76 पुनर्वि. - 3,18,39.76
--	----	----	----

समर्पण के रूप में 3,18,39.76 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत विभिन्न राज्य आयोजनागत योजनाओं में वर्ष 2011-12 के अनुपूरक अनुमानों में आवश्यकता के विरुद्ध पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।

(4) 3454-02-001-6264—राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करना(13वां वित्त आयोग)— मूल 10,00.00 पुनर्वि. - 9,37.67	62.33	60.79	-1.54
--	-------	-------	-------

समर्पण के रूप में 9,37.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नियुक्ति के लिये आवश्यक स्वीकृति लंबित होने से पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 3454-02-001-8048—आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय— मूल 38,24.93 पूरक 8.10 पुनर्वि. - 12,24.73	26,08.30	26,08.30	..
---	----------	----------	----

समर्पण के रूप में 12,24.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,31.73 लाख ₹ की कमी एवं 7.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, नवीन नियुक्तियों एवं पदोन्नति में विलंब होने, कोषालय से समय पर आहरण नहीं होने, अनुपूरक अनुमानों में महंगाई भत्ता एवं ग्रेड पे के लिए अधिक प्रावधान किये जाने, यात्रा देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने, चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण एवं सेमीनार आयोजित नहीं किये जाने, अधिकांश जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों को सरकारी भवनों में अंतरित किये जाने, प्रकाशन की सांख्यिकी का संकलन नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई जबकि वृद्धि नवीन वाहन क्रय किये जाने के कारण होना सूचित की गयी। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 3454-02-111-1430—जन्म मृत्युसंबंधी आंकड़ों का संकलन—			
मूल	3,80.76		
पूरक	8.25		
पुनर्वि.	- 1,70.94	2,18.07	2,17.38 - 0.69
समर्पण के रूप में 1,70.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, अनुपूरक अनुमानों में अधिक प्रावधान किये जाने, चिकित्सा देयक एवं यात्रा देयक समय से प्रस्तुत नहीं किये जाने, विवाह, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन से संबंधित प्रपत्रों की छपाई निष्पादित नहीं किये जाने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 3454-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6562—जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	- 43.06	56.94	56.94 ..
समर्पण के रूप में 43.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय द्वारा देयक जारी नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 3454-02-201-0512—इण्डियन एकानामिक एसोशिएशन—			
मूल	2,04.51		
पूरक	1.00		
पुनर्वि.	- 90.51	1,15.00	1,14.83 - 0.17
समर्पण के रूप में 90.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति होने, अनुपूरक अनुमानों में अधिक प्रावधान किये जाने, चिकित्सा एवं यात्रा देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने, चालू वित्तीय वर्ष में सेमिनार, वर्कशाप आदि आयोजित नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 3454-02-206-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6268—यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)—			
मूल	31,79.00		
पुनर्वि.	- 31,79.00
31,79.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आधार कार्ड योजना के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मांग प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण हुई।			
(10) 3454-02-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
7866—पंचम आर्थिक जनगणना—			
पूरक	41.48		
पुनर्वि.	- 40.64	0.84	0.84 ..
समर्पण के रूप में 40.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्रिपरिषद			
2015—निर्वाचन			
2029—भू—राजस्व			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2041—वाहन कर			
2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ			
2053—जिला प्रशासन			
2054—खजाना और लेखा प्रशासन			
2055—पुलिस			
2056—जेल			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2220—सूचना तथा प्रचार			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
2401—फसल कृषि कर्म			
2403—पशु पालन			
2405—मछली पालन			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2425—सहकारिता			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2701—मध्यम सिंचाई			
2702—लघु सिंचाई			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3054—सड़क तथा सेतु			
3452—पर्यटन			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
राजस्व:			
मूल	1,16,38,93		
पूरक	25,25,00	1,41,63,93	1,39,06,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 2,57,56 1,03,25

अनुदान संख्या 32—समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 2,57.56 लाख ₹ की अन्तिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 25.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त 25,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,57.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1,03.25 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 2,57.56 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:—

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:—			
(1) 2220-01-001-5489—पत्रकारिता पुरस्कार एवं प्रशिक्षण—			
मूल	85.00		
पुनर्वि.	- 80.70	4.30	0.80 - 3.50
(2) 2220-01-001-8688—मध्य प्रदेश सूचना केन्द्र, नई दिल्ली—			
मूल	1,06.61		
पुनर्वि.	- 37.28	69.33	65.84 - 3.49
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 80.70 लाख ₹ एवं 37.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

[ब] आधिक्य:—

(1) 2220-01-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2822—चलचित्र इकाई की स्थापना—				
मूल	3,72.00			
पुनर्वि.	72.68	4,44.68	4,43.55	- 1.13
72.68 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 75.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.32 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।				
(2) 2220-60-106-4065—विशेष अवसरों पर प्रचार—				
मूल	9,30.00			
पूरक	1,73.85			
पुनर्वि.	4,14.89	15,18.74	15,16.66	- 2.08
4,14.89 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,37.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 22.61 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।				

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	9,39,48,14		
पूरक	4,13,00	9,43,61,14	9,54,48,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			+ 10,87,48 75,59
प्रभारित		9,00	8,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-10 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत—

- (i) दत्तमत अनुदान से हुए 10,87,48,347 ₹ के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक हैं।
- (ii) 10,87.48 लाख ₹ के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2011 (1,81.73 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (2,31.27 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 4,13.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (iii) प्रावधान में महत्वपूर्ण आधिक्य मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-01-101-2773—प्राथमिक शालाएं—			
मूल	3,01,36.62		
पुनर्वि.	- 5.68	3,01,30.94	3,13,74.86
			+ 12,43.92

5.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के समर्पण के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में 5.68 लाख ₹ का समर्पण अवास्तविक था। 12,43.92 लाख ₹ का अंतिम आधिक्य उच्च समयमान/वेतन में पदोन्नति के कारण वेतन एवं भत्तों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 33—समाप्त

(iv) प्रावधान में महत्वपूर्ण बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2225-02-277-0309-अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान—			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	- 9.01	2,40.99	- 37.87

9.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,25,77,87		
पूरक	10,79,70	1,36,57,57	98,83,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (19 जनवरी, 22 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)			- 37,73,73 32,39,61

प्रभारित 3,00 1,24 - 1,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (9,57.00 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,00.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (22.70 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 10,79.70 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 37,73.73 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 19 जनवरी, 22 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 32,39.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2235-02-001-2304—निर्देशन और

प्रशासन—

मूल 26,84.41

पुनर्वि. - 6,90.01 19,94.40 20,63.91 + 69.51

समर्पण के रूप में 6,90.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, प्रशिक्षण आयोजित न होने, सरकार द्वारा सामग्री की खरीद पर प्रतिबंध लगाने, विज्ञापन एवं प्रचार कार्यक्रम क्रियान्वित न होने एवं कार्यालय व्यय में अनिवार्य कटौती किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2235-02-001-5663—निर्धन कल्याण

आयोग का गठन—

मूल 93.61

पुनर्वि. - 73.33 20.28 19.71 - 0.57

73.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 79.23 लाख ₹ की कमी एवं 5.90 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कार्यशाला आयोजित न होने, संचालनालय में आयोग को स्थानान्तरित करने, कार्यालय व्यय में अनिवार्य कटौती किये जाने एवं कार्यशाला, सेमीनार आदि से संबंधित व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। वृद्धि वाहन क्रय किये जाने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2235-02-001-6440—निःशक्त जनों के लिये रैम्प का निर्माण— पूरक	9,57.00	9,57.00	4,51.98 - 5,05.02
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(4) 2235-02-001-6584—अन्त्योदय मेलों का आयोजन— मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	- 4,82.35	10,17.65	9,49.65 - 68.00
समर्पण के रूप में 4,82.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कुछ जिलों में मेले आयोजित न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 2235-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5758—कुशाभाऊ अंशदायी पेशन योजना— मूल	5,50.00		
पुनर्वि.	- 5,50.00
समर्पण के रूप में 5,50.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0079—दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं— मूल	19,37.81		
पुनर्वि.	- 11,69.22	7,68.59	7,65.14 - 3.45
समर्पण के रूप में 11,69.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अशतः पदों के रिक्त रहने, संस्थाओं के पूर्ण रूप से कार्य न करने एवं अनिवार्य आर्थिक कटौती करने के कारण हुई (1,69.22 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (10,00.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2235-02-200-0795—कलापथक— मूल	5,28.20		
पुनर्वि.	- 63.35	4,64.85	4,63.15 - 1.70
(8) 2235-02-200-1985—दूरदर्शन— मूल	2,66.01		
पुनर्वि.	- 68.22	1,97.79	1,97.48 - 0.31

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 63.35 लाख ₹ एवं 68.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, प्रशिक्षण, सेमीनार एवं प्रदर्शनी आयोजित न किये जाने, सामग्री, कार्यालय व्यय तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधाओं आदि पर कम व्यय एवं अनिवार्य कटौती के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 35—पुनर्वास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	64,11		
पूरक	50	64,61	37,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 26,68
			26,29
<i>प्रभारित</i>		50	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2012)			- 50
			50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 0.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 26.68 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 26.29 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2235-01-001-2709—प्रधान कार्यालय के			
कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के			
विस्थापितों के लिए (नये)—			
मूल	64.11		
पूरक	0.50		
पुनर्वि.	- 26.29	38.32	37.93
			- 0.39

26.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26.57 लाख ₹ की कमी एवं 0.28 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अधिकारियों की पदस्थापना न होने से टेलीफोन को स्थापित न किये जाने, राजस्व आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों की सेवाये उनके पद के साथ स्थानान्तरित करने, मितव्ययता तथा प्रशिक्षण आयोजित न किये जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि स्टेशनरी के लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2041—वाहन कर			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्जे			
राजस्व:			
दत्तमत	60,80,34	49,79,43	- 11,00,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			8,06,54
<i>प्रभारित</i>	4,00	..	- 4,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			4,00
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,00		
पूरक	2,00,00	2,01,00	2,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

2,01.00 लाख ₹ के कुल व्यय में एम.पी.आर.टी.सी. भोपाल द्वारा शीर्ष 6075—800—7017—परिवहन विभाग को कर्जे के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 1,53.97 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 11,00.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 8,06.54 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2041—001—3561—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	10,60.69		
पुनर्वि.	- 6,09.50	4,51.19	4,48.69
			- 2.50

समर्पण के रूप में 6,09.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,80.45 लाख ₹ की कमी एवं 70.95 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नवीन पदों की भर्ती की प्रक्रिया में देरी होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा देयक समय पर प्राप्त नहीं होने, कर्मचारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का लाभ नहीं लिये जाने, यात्रा के समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं करने, फर्नीचर क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, शासन द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती करने, तथा पी.ओ.एल. एवं किराये की टैक्सी आदि में मितव्ययी उपायों के कारण हुई जबकि वृद्धि कार्यालय व्यय के अन्तर्गत मांग के अनुसार राशि प्राप्त नहीं होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2041-001-7638—स्मार्ट कार्ड योजना—				
मूल	20,40.00			
पुनर्वि.	- 2.32	20,37.68	17,56.67	- 2,81.01

2.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत व्यावसायिक सेवाओं के देयक लंबित होने से आंशिक भुगतान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 2041-102-0679—उड़नदस्ता एवं चैक पोस्ट की स्थापना—				
मूल	11,09.68			
पुनर्वि.	- 1,37.19	9,72.49	9,62.45	- 10.04

1,37.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,97.19 लाख ₹ की कमी एवं 60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी गार्ड कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं कमी होने, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नवीन पदों पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं किये जाने, कर्मचारियों द्वारा यात्रा देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किये जाने, जनवरी 2012 से बैतूल चैक पोस्ट के विद्युत देयकों का भुगतान अनियमित होने, शासकीय वाहन खराब होने एवं मरम्मत मद में पर्याप्त आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण पी.ओ.एल. में बचत होने के कारण हुई जबकि वृद्धि दो नवीन चैक पोस्ट के लिये विद्युत देयक में अतिरिक्त वृद्धि होने एवं वेतन, किराया, दर एवं कर में मांग के अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	22,54,31		
पूरक	9,65,02	32,19,33	31,91,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 28,27 28,27
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)	72,00,01	71,99,76	- 25 25

71,99.76 लाख ₹ के कुल व्यय में पर्यटन विभाग द्वारा शीर्ष 5452-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य 7630-पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केद्रांश) (3,09.24 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6559-प्रदेश में बुद्धिष्ठ परिपथ का विकास (1,00.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास (2,00.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6561-जैन परिपथ का विकास (1,00.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6563-हैरिटेज पर्यटन का विकास(4,00.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6567-पहुँच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन (4,00.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6570-सांख्यिकी प्रकोष्ठ का विकास (50.00 लाख ₹), 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य) 6571-मेला एवं उत्सव (1,50.00 लाख ₹) एवं 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य (50.00 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 17,59.24 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

28.27 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 9,65.02 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 38—आयुष
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर				
पूँजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	2,45,01,54			
पूरक	51,36	2,45,52,90	1,69,44,64	- 76,08,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूँजीगत:				
मूल	4,00,00			
पूरक	2,00,00	6,00,00	6,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

- (i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 51.36 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (ii) 76,08.26 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-02-101-0460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय-				
मूल	1,57,03.40			
पूरक	30.00			
पुनर्वि.	- 62.38	1,56,71.02	1,12,39.77	- 44,31.25
62.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,12.38 लाख ₹ की कमी तथा 50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(2) 2210-02-101-4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो-				
मूल	4,41.05			
पुनर्वि.	- 1.70	4,39.35	1,63.61	- 2,75.74
1.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2.00 लाख ₹ की कमी एवं 0.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				

अनुदान संख्या 38—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0461—आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण— मूल 10,20.90 पूरक 4.00 पुनर्वि. 10.00	10,34.90	6,54.93	- 3,79.97

10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों में वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2210-02-102-4810—होम्योपैथिक औषधालय	17,23.16	11,88.11	- 5,35.05
(5) 2210-02-103-3613—यूनानी फार्मसी	1,52.70	59.78	- 92.92
(6) 2210-02-103-4760—यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	7,38.77	4,47.45	- 2,91.32

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2210-05-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 29,41.80 पुनर्वि. - 4.42	29,37.38	19,48.46	- 9,88.92
--	----------	----------	-----------

4.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,04.42 लाख की कमी एवं 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2210-05-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8068—शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय	5,92.80	3,17.73	- 2,75.07
---	---------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) राजस्व (दत्तमत अनुभाग) में 2,45,01.54 लाख के मूल प्रावधान में शीर्ष 2210-02-101-0101-4286—आयुर्वेद एवं प्रशासन के संचालक के अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान के लिए प्रावधानित ₹ 5.00 लाख की राशि (भारित) त्रुटिपूर्वक शामिल है। प्रकरण 31 मई 2012 को संचालक (बजट) वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज अदायगियां			
2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
4408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्जे			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	7,52,91,83		
पूरक	4,03,45,60	11,56,37,43	11,42,90,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 13,46,50 निरंक
<i>प्रभारित</i>		1,50	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 1,50 निरंक
पूँजीगत:			
दत्तमत		11,00,00	8,31,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 2,68,71 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) 13,46.50 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिपेक्ष्य में, जुलाई 2011 एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,66,49.14 लाख ₹ एवं 1,17,78.46 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,19,18.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 13,46.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(iii) यद्यपि 13,46.50 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2408—01—001—0629—उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ—			
मूल	9,84.52		
पूरक	3,46.75	13,31.27	10,91.60
(2) 2408—01—001—1471—जिला कार्यालय	22,13.51	16,71.60	- 5,41.91
(3) 3475—106—6112—मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	10,70.41	8,04.68	- 2,65.73

अनुदान संख्या 39—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान तथा क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 1.50 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) 2,68.71 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6408-01-190-0173-अन्न का क्रय	11,00.00	8,31.29	- 2,68.71

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	12,42,53		
पूरक	1,00,00,00	1,12,42,53	2,78,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,09,64,22
			1,09,68,55
<i>प्रभारित</i>	50	..	- 50
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत			
मूल	22,56,97		
पूरक	10,50,89	33,07,86	31,59,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 1,48,03
			1,38,86
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,00,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2012 को किया गया 1,09,68.55 लाख ₹ का अभ्यर्पण 1,09,64.22 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2705—202—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6301—बारना सहभागिता प्रबन्ध समितियों को अनुदान—			
मूल	1,30.00		
पुनर्वि.	- 1,23.16	6.84	9.46
			+ 2.62

समर्पण के रूप में 1,23.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा अंशदान की राशि जमा न कराने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2705-203-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6544—सिंचाई समितियों को अनुदान— मूल 3,66.63 पुनर्वि. - 3,20.33	46.30	46.30	..
3,20.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(3) 2705-205-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6544—सिंचाई समितियों को अनुदान— मूल 1,44.38 पुनर्वि. - 1,44.38
1,44.38 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा अंशदान की राशि जमा न कराये जाने के कारण हुई।			
(4) 2705-207-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6305—सिंचाई सहभागिता प्रबंध समितियों को अनुदान— मूल 1,25.62 पुनर्वि. - 1,25.62
1,25.62 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 2705-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6648—वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास— पूरक 1,00,00.00 पुनर्वि. - 1,00,00.00

समर्पण के रूप में 1,00,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण पूरक अनुदान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) 1,48.03 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 10,50.89 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 1,48.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,38.86 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 40—जारी

(vi) यद्यपि 1,48.03 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:-			
(1) 4705-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	- 1,34.51	2,65.49	2,51.24 - 14.25

1,34.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत खेतों में फसल के कारण फील्ड चैनल्स के निर्माण में बाधा आने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 4705-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी-				
मूल	2,91.26			
पुनर्वि.	- 2,91.26

समर्पण के रूप में 2,91.26 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 4705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेन्सी-				
मूल	1,72.50			
पुनर्वि.	- 1,72.50

1,72.50 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

[ब] आधिक्य:-

(1) 4705-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-				
मूल	4,00.00			
पूरक	5,95.39			
पुनर्वि.	5,94.50	15,89.89	15,94.96	+ 5.07

5,94.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 4705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण-				
मूल	4,00.00			
पूरक	2,08.50			
पुनर्वि.	1,72.50	7,81.00	7,81.00	..

1,72.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन स्वीकृत कार्यों हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(vii) उचंत लेनदेन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत में वर्ष 2011-12 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है। वर्ष 2011-12 तक इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा -	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे+ जमा-
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	- 13.05	- 13.05
(ii) भंडार	- 0.08	- 0.08
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 41.49	+ 41.49
योग	+ 28.36	+ 28.36

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2029—भू—राजस्व
 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेल तथा युवा सेवायें
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि कार्य
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशुपालन
 2405—मछली पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भंडारण और भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2801—बिजली
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 3053—नागर विमानन
 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं
 3452—पर्यटन
 3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिये कर्ज			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	21,86,90,59			
पूरक	1,69,62,63	23,56,53,22	20,69,37,31	- 2,87,15,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,38,99,75

(12 अक्टूबर, 22,28 दिसम्बर 2011, 19 जनवरी, 10 फरवरी एवं 22-29 एवं 31 मार्च 2012)

20,69,37.31 लाख ₹ के कुल व्यय में जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा शीर्ष 2203-796-105-0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2667-पोलीटेक्निक संस्थायें (2,94.00 लाख ₹), 2230-03-796-003-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार एवं सृदृढीकरण (25.00 लाख ₹) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2401-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (4,00.00 लाख ₹), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शीर्ष 3451-796-101-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-6267-जिला नवीनीकरण निधि (5,25.00 लाख ₹) तथा महिला एवं बाल एवं विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना (89.17 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 13,33.17 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	14,89,24,71			
पूरक	2,68,42,71	17,57,67,42	15,87,02,24	- 1,70,65,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,40,96,38

(13 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)

15,87,02.24 लाख ₹ के कुल व्यय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 4210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7648-चिकित्सालय एवं औषधालय के भवनों का निर्माण (1,00.00 लाख ₹), 4210-01-796-110-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग) (2,53.46 लाख ₹) एवं 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (12,30.10 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 15,83.56 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

15,00

9,98

- 5,02

निरंक

अनुदान संख्या 41—जारी

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:
दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (60,99.23 लाख ₹), नवम्बर 2011 (79,14.61 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (29,48.79 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,69,62.63 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,87,15.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,38,99.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
02—गृह विभाग			
(1) 2055—796—113—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6928—पेयजल योजना पूरक	7,50.00	7,50.00	6,12.86 - 1,37.14
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
09—खेल एवं युवा कल्याण विभाग			
(2) 2204—796—800—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5159—खेल अकादमियों की स्थापना— मूल पूरक	3,00.00 98.72	3,98.72	2,99.19 - 99.53
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
10—वन विभाग			
(3) 2406—01—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5828—वन्य प्राणी द्वारा फसल क्षति का मुआवजा— मूल पुनर्वि.	1,00.00 - 60.00	40.00	23.08 - 16.92
60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुआवजा के प्रकरण प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2406—02—796—110—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 3730—प्रोजेक्ट टाइगर— मूल पुनर्वि.	28,00.00 - 50.00	27,50.00	25,07.68 - 2,42.32

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,35.74 लाख ₹ की कमी एवं 3,85.74 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी भारत सरकार से राशि एवं मुआवजे की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं लक्ष्य प्राप्ति के प्रकरण प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भारत सरकार से मजदूरी एवं अन्य प्रभार हेतु अधिक राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			

14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(5) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6430-राष्ट्रीय मक्का विकास योजना- मूल पुनर्वि.	1,60.14 - 32.51	1,27.63	79.02	- 48.61
(6) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम- मूल पुनर्वि.	2,23.60 - 77.13	1,46.47	18.39	- 1,28.08

उपरोक्त क्रम संख्या (5), (6) के शीर्षान्तर्गत 32.51 लाख ₹ एवं 77.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी किये जाने एवं दलहन फसल उत्पादन योजना बंद किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1580-मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना- मूल पुनर्वि.	4,35.00 - 1,67.12	2,67.88	2,67.88	..
---	----------------------	---------	---------	----

1,67.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2401-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- मूल पुनर्वि.	90,10.56 - 28,10.56	62,00.00	61,55.46	- 44.54
--	------------------------	----------	----------	---------

(9) 2401-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1580-मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना- मूल पुनर्वि.	22,13.40 - 1,77.42	20,35.98	6,29.18	- 14,06.80
---	-----------------------	----------	---------	------------

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 28,10.56 लाख ₹ (समर्पण) एवं 1,77.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 61,55.46 लाख ₹ का व्यय 4,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
15—सहकारिता विभाग			
(10) 2425—796—107—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 9254—सहकारी बैंको के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान— मूल 95,70.00 पुनर्वि. - 71,77.50	23,92.50	23,92.50	..

71,77.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण: 39,48.50 लाख ₹ एवं पुनर्विनियोजन: 32,29.00 लाख ₹) द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में कम राशि प्राप्त होने एवं राशि अप्रयुक्त रहने के कारण होना सूचित की गई।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(11) 2210—01—796—110—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5724—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल 39,56.00 पुनर्वि. - 9,89.00	29,67.00	29,67.00	..
(12) 2210—06—796—003—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4224—शिक्षा और प्रशिक्षण— मूल 1,00.00 पूरक 6,00.00 पुनर्वि. - 1,00.00	6,00.00	6,06.13	+ 6.13

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 9,89.00 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(13) 2202—01—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6011—साक्षर भारत— मूल 5,28.00 पुनर्वि. - 3,69.60	1,58.40	1,58.40	..
(14) 2202—02—796—109—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6918—सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय— मूल 8,00.00 पुनर्वि. - 8,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 3,69.60 लाख ₹ एवं 8,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
(15) 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान- मूल 51,26.00 पुनर्वि. - 51,26.00
(16) 3454-02-796-206-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 6268-यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)- मूल 10,60.00 पुनर्वि. - 10,60.00

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 51,26.00 लाख ₹ एवं 10,60.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(17) 2225-02-794-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं- 9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण- मूल 14,00.00 पुनर्वि. - 7,12.83	6,87.17	6,87.17	..
(18) 2225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं- 6277-कृषकों के कुओं पर विद्युत/डीजल पंप हेतु अनुदान- मूल 99.00 पुनर्वि. - 99.00

उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत 7,12.83 लाख ₹ एवं 99.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(19) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)- मूल 1,32.00 पुनर्वि. - 81.61	50.39	36.00	- 14.39
---	-------	-------	---------

81.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(20) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 0671-एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान-			
मूल	4,94.46		
पूरक	11,00.00	15,94.46	7,46.54 - 8,47.92
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(21) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5228-कम्प्यूटर/अंग्रेजी प्रशिक्षण-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	- 37.00	2,63.00	72.28 - 1,90.72
37.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(22) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8801-सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्यनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति-			
मूल	4,81.00		
पुनर्वि.	- 2,52.26	2,28.74	1,78.20 - 50.54
2,52.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सैनिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(23) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8842-विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति			
	1,00.00	16.35	- 83.65
(24) 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5325-व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा			
	3,00.00	2,22.80	- 77.20
उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(25) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	- 1,27.23	1,22.77	1,22.77 ..

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 1,27.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का समर्पण किये जाने एवं क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(26) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता	5,00.00	3,94.74	- 1,05.26
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

(27) 2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास— मूल 48,96.30 पूरक 17,82.02 पुनर्वि. - 31,08.17	35,70.15	35,70.15	..
(28) 2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6902-जनश्री जीवन बीमा योजना— मूल 2,00.00 पुनर्वि. - 2,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 31,08.17 लाख ₹ एवं 2,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(29) 2801-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5230-मजरे/टोलों का विद्युतीकरण— मूल 30,59.26 पुनर्वि. - 10,01.44	20,57.82	20,57.82	..
---	----------	----------	----

10,01.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राजीव गांधी योजना के क्रियान्वयन के कारण मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युतीकरण का कार्य निष्पादित किये जाने के कारण हुई।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(30) 2235-02-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0073-अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान— मूल 4,23.40 पुनर्वि. - 91.59	3,31.81	3,31.61	- 0.20
--	---------	---------	--------

समर्पण के रूप में 91.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(31) 2235-60-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	15,11.10		
पुनर्वि.	- 1,06.83	14,04.27	12,84.66
(32) 2235-60-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	14,15.85		
पुनर्वि.	- 4,24.89	9,90.96	10,07.52
(33) 2235-60-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	5,89.94		
पुनर्वि.	- 1,98.33	3,91.61	3,97.61

उपरोक्त क्रम संख्या (31) से (33) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,06.83 लाख ₹, 4,24.89 लाख ₹ एवं 1,98.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लाभान्वितों की संख्या कम होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(34) 2235-60-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5758-कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना-				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	- 2,00.00

समर्पण के रूप में 2,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

36-मछली पालन विभाग

(35) 2405-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
मूल	1,90.00			
पुनर्वि.	- 45.18	1,44.82	54.82	- 90.00

समर्पण के रूप में 45.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शेष प्रावधान की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

38-उच्च शिक्षा विभाग

(36) 2202-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय-				
मूल	2,25.00			
पुनर्वि.	- 40.00	1,85.00	1,18.07	- 66.93

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम राशि का व्यय करके शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

42-जनशक्ति नियोजन विभाग

(37) 2230-03-796-003-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार-	मूल पुनर्वि.	7,00.34 - 2,71.97	4,28.37	3,83.74	- 44.63
(38) 2230-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5176-मिनी आई.टी.आई.की स्थापना-	मूल पुनर्वि.	3,47.00 - 88.09	2,58.91	2,58.44	- 0.47

उपरोक्त क्रम संख्या (37) के शीर्षान्तर्गत 3,83.74 लाख ₹ का कुल व्यय 25.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके एवं क्रम संख्या (37) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत 2,71.97 लाख ₹ तथा 88.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (37) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (38) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(39) 2235-02-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6442-अटल बाल आरोग्य मिशन-	मूल पूरक पुनर्वि.	19,00.00 26,04.88 - 26,05.11	18,99.77	18,87.19	- 12.58
--	-------------------------	------------------------------------	----------	----------	---------

समर्पण के रूप में 26,05.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक प्रावधान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई (15,21.50 लाख ₹)। 10,83.61 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

59-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(40) 2401-796-119-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	मूल पुनर्वि.	8,00.00 - 4,13.00	3,87.00	3,86.97	- 0.03
--	-----------------	----------------------	---------	---------	--------

4,13.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राशि विमुक्त नहीं किये जाने एवं सक्षम समिति की कार्य योजना से अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
10—वन विभाग			
(1) 2406—01—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना— 7882—कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन— मूल 88,35.00 पुनर्वि. 1,60.00	89,95.00	91,19.44	+ 1,24.44

1,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मजदूरी हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(2) 2401—796—001—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना— 4103—विश्व बैंक की सहायता से गहन विस्तार योजना	19,64.74	21,65.56	+ 2,00.82
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

(3) 2401—796—110—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना— 8768—राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना— मूल 12,00.00 पूरक 15,00.00 पुनर्वि. 2,70.31	29,70.31	29,70.31	..
--	----------	----------	----

2,70.31 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मौसम आधारित प्रीमियम का भुगतान करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

15—सहकारिता विभाग

(4) 2425—796—800—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना— 7895—दाम दुपट योजना— मूल 2.00 पुनर्वि. 32,29.00	32,31.00	32,31.00	..
---	----------	----------	----

32,29.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(5) 2210—01—796—110—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोगना— 8798—चिकित्सालयों का उन्नयन— मूल 5,39.58 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 6,00.00	11,39.58	11,17.30	- 22.28
---	----------	----------	---------

6,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2210—03—796—103—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7317—ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन—				
मूल	5,69.50			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	3,08.15	8,77.65	8,65.94	- 11.71

3,08.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,89.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,80.85 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(7) 2202—01—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6484—आर.टी.ई. (शिक्षा का अधिकार) के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति—				
मूल	30.00			
पुनर्वि.	6,97.00	7,27.00	7,27.00	..

6,97.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के कारण हुई।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(8) 2225—02—796—277—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 1398—छात्रावास/आश्रमों का संचालन—				
मूल	7,72.25			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	51.00	9,23.25	10,30.52	+ 1,07.27

51.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि जिलों से कार्यालय व्यय में राशि की मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(9) 2801—06—796—800—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5084—अनु.जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विस्तार—				
मूल	15,45.00			
पुनर्वि.	9,95.28	25,40.28	25,40.28	..

9,95.28 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4.72 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्य के निष्पादन के लिये प्रावधानित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 41—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) 1,70,65.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के परिप्रक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,36,32.85 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 92,47.71 लाख ₹ एवं 39,62.15 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,70,65.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 13 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 1,40,96.38 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
02—गृह विभाग			
(1) 4055—796—210—1302—केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र अपयोजना)— 6463—पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)— मूल 9,00.00 पुनर्वि. - 5,40.00	3,60.00	3,60.00	..
5,40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

15—सहकारिता विभाग

(2) 6425—796—106—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7827—अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक— मूल 15,95.00 पुनर्वि. - 15,95.00
---	----	----	----

समर्पण के रूप में 15,95.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत सहकारी बैंक से कृषकों के ऋण परिवर्तन के लिये प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(3) 4210—01—796—110—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7648—अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण— मूल 19,35.42 पुनर्वि. - 18,19.23	1,16.19	1,16.19	..
--	---------	---------	----

1,16.19 लाख ₹ का व्यय 1,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामें तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शाई गई जिसके साथ ही समर्पण के रूप में 18,19.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4210—01—796—110—1302—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6453—स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)— मूल 12,50.00 पुनर्वि. - 7,42.37	5,07.63	4,93.10	- 14.53
--	---------	---------	---------

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>4,93.10 लाख ₹ का व्यय 2,53.46 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—साविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके तथा समर्पण के रूप में 7,42.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(5) 4210—02—796—104—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल पूरक पुनर्वि.	 3,30.50 33,00.00 - 11,89.57	 24,40.93 19,60.79	 - 4,80.14

19,60.79 लाख ₹ का व्यय 12,30.10 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके तथा समर्पण के रूप में 11,89.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 4210—02—796—104—1402—नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6882— सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल पूरक पुनर्वि.	 5,96.70 7,00.00 - 7,48.79	 5,47.91 4,69.14	 - 78.77
---	---	--------------------------------	---------------------

समर्पण के रूप में 7,48.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(7) 4225—02—794—800—0602—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं— 5211—एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल पुनर्वि.	 38,27.20 - 5,86.27	 32,40.93 32,32.35	 - 8.58
---	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

समर्पण के रूप में 5,86.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(8) 4225—02—796—277—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0978—क्रीडा परिसर	 2,80.00	 1,28.93	 - 1,51.07
--	-----------------	-----------------	-------------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4225-02-796-800-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 1032—कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण— मूल 5,00.00 पुनर्वि. - 1,90.03	3,09.97	3,09.97	..

1,90.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

27—नर्मदा घाटी विकास विभाग

(10) 4701-45-796-800-1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5152—हालोन परियोजना— मूल 66,68.25 पुनर्वि. - 63,31.52	3,36.73	3,14.27	- 22.46
---	---------	---------	---------

63,31.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः एजेन्सी के निर्धारण में विलम्ब होने के कारण हुई (9,51.19 लाख ₹)। 53,80.33 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 4701-46-796-800-1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 8822—अपर नर्मदा परियोजना— मूल 74,38.76 पुनर्वि. - 73,23.12	1,15.64	38.41	- 77.23
--	---------	-------	---------

73,23.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः एजेन्सी के निर्धारण एवं कार्य के प्रारम्भ होने में विलम्ब होने तथा उप वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत परियोजना में राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (13,30.87 लाख ₹)। 59,92.25 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

31—जल संसाधन विभाग

(12) 4700-81-796-800-0102— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 2897—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,50.00 पुनर्वि. - 1,08.00	42.00	47.66	+ 5.66
--	-------	-------	--------

1,08.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः निर्माण कार्य पूर्ण रूपेण प्रारम्भ नहीं होने के कारण हुई (1,00.00 लाख ₹)। 8.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(13) 4702-796-800-0102— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 8,57.15 पुनर्वि. - 1,88.00	6,69.15	6,69.15	..
--	---------	---------	----

1,88.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सर्वे कार्य के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 4702-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)- 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 8,00.00 पुनर्वि. - 84.00	7,16.00	6,60.60	- 55.40

84.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नाबार्ड के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(15) 4215-01-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 5350-होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य- मूल 15,03.06 पूरक 7,51.53 पुनर्वि. - 7,51.53	15,03.06	9,20.22	- 5,82.84
(16) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 9207-खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था- मूल 5,00.00 पुनर्वि. - 4,30.00	70.00	65.84	- 4.16

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 7,51.53 लाख ₹ एवं 4,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य योजना मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रावधान से अधिक किये गए बजट प्रावधान के कारण आवंटित राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 9489-प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम- मूल 38,80.00 पुनर्वि. - 18,30.00	20,50.00	20,48.35	- 1.65
---	----------	----------	--------

समर्पण के रूप में 18,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य योजना मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रावधान से अधिक बजट प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

45-विमानन विभाग

(18) 5053-02-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार- मूल 2,39.00 पुनर्वि. - 2,29.12	9.88	31.90	+ 22.02
---	------	-------	---------

अनुदान संख्या 41—जारी

2.29.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
27-नर्मदा घाटी विकास विभाग			
(1) 4700-43-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	72,30.66		
पुनर्वि.	22,26.91	94,57.57	92,61.73
			- 1,95.84
22,26.91 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अंशतः कार्य की प्रगति एवं हार्डशिप के कारण हुई (4,82.91 लाख ₹)। 17,44.00 लाख ₹ की शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 4700-45-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 9091-ओंकारेश्वर परियोजना-			
मूल	2,13,79.31		
पुनर्वि.	55,20.95	2,69,00.26	2,66,54.17
			- 2,46.09
55,20.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(3) 4700-65-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5090-अपर वेदा परियोजना-			
मूल	8,67.33		
पुनर्वि.	6,74.76	15,42.09	13,56.04
			- 1,86.05
6,74.76 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अंशतः कार्य की प्रगति होने के कारण हुई (2,01.22 लाख ₹)। 4,73.54 लाख ₹ की शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(4) 4701-11-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5223-मान परियोजना (नाबार्ड)-			
मूल	8,25.88		
पुनर्वि.	5,63.75	13,89.63	13,89.61
			- 0.02

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 4701—12—796—800—1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 4647—जोबट परियोजना (नाबार्ड)— मूल 13,28.36 पुनर्वि. 6,03.40	19,31.76	19,29.04	- 2.72

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 5,63.75 लाख ₹ एवं 6,03.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 4701—80—796—800—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5869—नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनायें— मूल 2,22.00 पुनर्वि. 8,68.00	10,90.00	10,90.00	..
--	----------	----------	----

8,68.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 15,43.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,75.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्य की प्रगति एवं सर्वे कार्य पूर्ण होने पर लंबित देयकों का भुगतान होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित—

(ix) 5.02 लाख ₹ की उपलब्ध बचत कि विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
पूंजीगत:				
मूल	3,39,04,75			
पूरक	75,01,55	4,14,06,30	2,76,45,19	- 1,37,61,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,33,77,76

टीका एवं टिप्पणियां
पूंजीगत:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (50,01.55 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (25,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 75,01.55 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,37,61.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,33,77.76 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

19—लोक निर्माण विभाग

(1) 5054—03—796—101—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण— मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	- 2,24.40	17,75.60	17,58.51	- 17.09
(2) 5054—03—796—337—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5139—मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन— मूल	5,00.00			
पूरक	8,95.00			
पुनर्वि.	- 5,98.96	7,96.04	7,96.04	..
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,24.40 लाख ₹ एवं 5,98.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त नहीं होने से हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।				
(3) 5054—03—796—337—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5495—राज्य राजमार्ग का उन्नयन (एम.पी.आर.डी.सी.)— मूल	74,64.00			
पुनर्वि.	- 37,32.00	37,32.00	37,32.00	..

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 37,32.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सामान्य सहमति के अन्तर्गत तकनीकी कारणों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।			
(4) 5054-03-796-337-1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5003—म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम— मूल 40,11.00 पुनर्वि. - 20,05.50	20,05.50	20,05.50	..
समर्पण के रूप में 20,05.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एशियन विकास बैंक द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सड़क विकास कार्यक्रम-3 के लिये निविदा प्रस्तावों की स्वीकृति देरी से जारी किये जाने के कारण हुई।			
(5) 5054-03-796-337-1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 0948—केन्द्रीय सड़क निधि— पूरक 10,00.00 पुनर्वि. - 4,73.78	10,00.00	10,00.00	.. - 10,00.00
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 5054-04-796-800-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)— पूरक 15,04.08 पुनर्वि. - 4,73.78	10,30.30	1,18.04	- 9,12.26
समर्पण के रूप में 4,73.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(7) 5054-04-796-800-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)— मूल 1,07,15.75 पुनर्वि. - 50,42.94	56,72.81	64,58.28	+ 7,85.47
50,42.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(8) 5054-04-796-800-0802—केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6300—पी.टी.जी.एस. बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।	3,00.00	1,29.89	- 1,70.11

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 5054-04-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)-			
मूल	58,89.00		
पूरक	16,02.47		
पुनर्वि.	- 12,44.44	62,47.03	55,76.15 - 6,70.88

समर्पण के रूप में 12,44.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5054-03-796-101-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)- 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	10,00.00	17,95.02	+ 7,95.02

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 5054-03-796-337-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 0948-केन्द्रीय सड़क निधि-			
मूल	20,00.00		
पूरक	25,00.00		
पुनर्वि.	- 55.74	44,44.26	52,33.05 + 7,88.79

समर्पण के रूप में 55.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की आवश्यकतानुसार मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जो कि इस शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय के परिपेक्ष्य में अवास्तविक थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेल तथा युवा सेवार्यें			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	36,80,07		
पूरक	28,11,04	64,91,11	59,90,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 5,00,25 निरंक

59,90.86 लाख ₹ के कुल व्यय में खेल और युवक कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 2204—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य) 5283—युवा आयोग को अनुदान के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 5.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
पूँजीगत:			
मूल	15,31,00		
पूरक	12,81,49	28,12,49	26,85,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 1,27,15 निरंक

26,85.34 लाख ₹ के कुल व्यय में खेल और युवक कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 4202—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—6703—स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 5,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 5,00.25 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रक्ष्य में जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 4,10.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 23,96.04 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था तथा मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 5.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,00.25 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304—निदेशन और प्रशासन— मूल	6,62.48		
पूरक	5.00	6,67.48	5,49.11
(2) 2204—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8841—मूलभूत सुविधाओं के विकास सुधार हेतु—स्टेडियम आदि— पूरक	4,10.00	4,10.00	92.86

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
---------------	----------------------------------	-------------------

पूँजीगत:

(iv) 1,27.15 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 (1,10.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (4,38.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 5,48.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 7,33.49 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 1,27.15 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) यद्यपि 1,27.15 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई हैं:—

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4202-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5159-खेल अकादमियों की स्थापना—			
मूल	7,30.00		
पूरक	1,25.00	8,55.00	7,29.59
			- 1,25.41

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
6202—शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	8,79,37,76			
पूरक	81,27	8,80,19,03	7,17,08,16	- 1,63,10,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,34,47,71

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

30,00

12,03

- 17,97

निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	14,37,00			
पूरक	3,75,00	18,12,00	17,97,49	- 14,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (7.58 लाख ₹), नवम्बर 2011 (60.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (13.69 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 81.27 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,63,10.87 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,34,47.71 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-03-001-3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	12,55.67		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	- 94.73	11,70.94	10,25.04
			- 1,45.90

94.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 1,06.13 लाख ₹ की कमी एवं 11.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः यू.जी.सी. वेतनमान के बकाया के भुगतान हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने एवं महाविद्यालयों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011-12 को शिक्षा की गुणवत्ता का साल के रूप में कार्यान्वित करने, आयुक्त के एल.टी.सी. एवं वेतन देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता एवं वेतन, वाहन क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में कम बजट आवंटन के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-03-103-0798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय—			
मूल	7,24,38.02		
पूरक	13.69		
पुनर्वि.	- 1,22,67.96	6,01,83.75	5,80,98.15 - 20,85.60

1,22,67.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,24,04.61 लाख ₹ की कमी एवं 1,36.65 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः केन्द्र सरकार से यू.जी.सी. वेतनमान के बकाया का प्राप्त न होना एवं सामग्री प्रदाय की कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई (1,22,67.96 लाख ₹) जबकि वृद्धि मुख्यतः 12 जनवरी 2012 को मुख्यमंत्री द्वारा विद्यार्थी पंचायत सम्मेलन आयोजित करने एवं कार्यभारित कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण होना सूचित की गई। अवशिष्ट कमी (1,36.65 लाख ₹) के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (समान्य)— 5674—निर्धन वर्ग के लिये विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना—				
मूल	75.00			
पुनर्वि.	- 40.00	35.00	24.94	- 10.06

40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2202-03-104-3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान—				
मूल	37,00.00			
पुनर्वि.	- 10,46.78	26,53.22	25,99.16	- 54.06

समर्पण के रूप में 10,46.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना की वित्तीय एवं कानूनी प्रक्रिया के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) 17.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	----------------	---------------------------------	-------------------

2202-03-103-0798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	30.00	12.03	- 17.97
--	-------	-------	---------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) 14.51 लाख ₹ की अन्तिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 3,75.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

(viii) 14.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	80,95,00		
पूरक	4,50,00	85,45,00	79,81,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 5,63,09 4,53,00
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	3,08,78,51		
पूरक	2,45,00,16	5,53,78,67	4,90,95,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 62,83,57 1,91,44
<i>प्रभारित</i>		2,00,00	75,96
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			- 1,24,04 1,15,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 4,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,63.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 4,53.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2702—80—800—0207—अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	74,15.00		
पूरक	2,50.00		
पुनर्वि.	- 3,14.00	73,51.00	72,67.11
			- 83.89

समर्पण के रूप में 3,14.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पूरक बजट में अनुदान संख्या 23 मुख्यशीर्ष 2700 हेतु प्रावधान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2702-80-800-5422—बांध सुरक्षा कार्य—				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	- 58.00	42.00	37.61	- 4.39
(3) 2702-80-800-6360—निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था—				
मूल	5,80.00			
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि.	- 81.00	6,99.00	6,77.20	- 21.80

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः समर्पण के रूप में 58.00 लाख ₹ एवं 81.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूजीगत:
दत्तमत—

(iv) 62,83.57 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,30,00.07 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,15,00.06 लाख ₹ अत्यधिक था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 0.03 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 62,83.57 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,91.44 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—				
6079—सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)—				
मूल	10,00.00			
पूरक	30,00.00			
पुनर्वि.	- 30,00.00	10,00.00	3,92.24	- 6,07.76

30,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4702-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6070—संगठन स्थापना (भू-जल)—				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	- 1,33.00	3,67.00	3,07.00	- 60.00

समर्पण के रूप में 1,33.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2304-निदेशन एवं प्रशासन	35,40.00	2,49.55	- 32,90.45
(4) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6708-ए.आई.बी.पी. योजनाएं	20,00.00	..	- 20,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं- मूल पूरक पुनर्वि.	85,20.51 50,00.00 29,62.56	1,64,83.07	1,63,48.69 - 1,34.38

29,62.56 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 30,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 37.44 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी सर्वेक्षण कार्य के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं	0.04	5,70.29	+ 5,70.25
--	------	---------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(viii) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2011-12 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

अनुदान संख्या 45—समाप्त

विवरण	01 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे+ जमा—
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (लाख ₹ में)				
(1) क्रय	- 1,31.77	- 1,31.77
(2) भंडार	- 27.12	- 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	+ 65.36
(4) कार्यशाला उद्यंत	+ 0.10	+ 0.10
योग	- 93.43	- 93.43

प्रभारित—

(ix) 1,24.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2012 को केवल 1,15.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4702—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
1833—डिक्री धन का भुगतान (भारित)—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	- 1,15.00	85.00	75.96
			- 9.04

समर्पण के रूप में 1,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डिक्री धन के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
5425—अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	17,45,00			
पूरक	1,04,33	18,49,33	18,49,33	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूंजीगत:				
मूल	2,75,00			
पूरक	60,00	3,35,00	3,35,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,74,67,65		
पूरक	39,78,90	3,14,46,55	2,84,65,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 एवं 31 मार्च 2012)			- 29,80,84 27,48,74

2,84,65.71 लाख ₹ के कुल व्यय में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शीर्ष "2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं (15,19.93 लाख ₹), 2203-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-5700-प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नालॉजी की स्थापना (50.00 लाख ₹) एवं 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना (65.15 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 16,35.08 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:				
मूल	19,84,78			
पूरक	35,33,97	55,18,75	55,18,64	- 11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

55,18.64 लाख ₹ के कुल व्यय में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 4202-02-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2667-पोलीटेक्निक संस्थाएं (6,30.48 लाख ₹) एवं 4202-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना (65.00 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 6,95.48 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 29,80.84 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 12.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 39,13.03 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था तथा मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 53.87 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 29,80.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 20 एवं 31 मार्च 2012 को केवल 27,48.74 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय-			
मूल	6,81.69		
पुनर्वि.	- 1,10.25	5,71.44	5,70.81
			- 0.63

अनुदान संख्या 47—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>1,10.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,11.38 लाख ₹ की कमी एवं 1.13 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी संविदा आधार पर रिक्त पद नहीं भरे जाने, समय से देयक प्राप्त नहीं होने, बैंक से चैक आहरण नहीं होने, शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं सामग्री प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि कार्य भारित/आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि होने एवं छठवें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(2) 2203-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना			
सामान्य—			
2667—पोलीटेक्नीक संस्थाएं—			
मूल	5,20.56		
पूरक	17,17.66		
पुनर्वि.	- 5,20.56	17,17.66	18,04.69 + 87.03
<p>5,20.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने, भारत सरकार से नवीन पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों को पृथक से अनुपूरक अनुदान प्राप्त होने एवं नवीन संस्थाओं में नियमित स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। 18,04.69 लाख ₹ का कुल व्यय 15,19.93 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा-800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(3) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6412—वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में आई.टी.आई.एवं स्किल डेवलपमेन्ट केन्द्र की स्थापना—			
पूरक	1,90.00		
पुनर्वि.	- 1,90.00
(4) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6951—शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना—			
मूल	11,95.00		
पूरक	1,51.32		
पुनर्वि.	- 1,96.99	11,49.33	11,48.76 - 0.57
(5) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6471—जिला स्तर पर आदर्श आई.टी. आई. की स्थापना—			
मूल	2,76.00		
पुनर्वि.	- 51.92	2,24.08	2,24.18 + 0.10
(6) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6472—आई.टी.आई. का सुदृढीकरण—			
मूल	3,76.00		
पुनर्वि.	- 1,14.20	2,61.80	2,60.83 - 0.97

अनुदान संख्या 47—समाप्त

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,90.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 1,96.99 लाख ₹, 51.92 लाख ₹ एवं 1,14.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत प्रकृति के उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनें से सम्बन्धित क्रमशः 1,90.00 लाख ₹, 9,00.00 लाख ₹, 2.14 लाख ₹ एवं 3.14 लाख ₹ के प्रावधान का गलत वर्गीकरण शामिल है।</p>			
(7) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6473—विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. आई. की स्थापना	1,24.00	..	- 1,24.00
<p>सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।</p>			
(8) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6475—विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना— मूल पुनर्वि.	7,62.00 - 3,86.90	3,75.10	3,72.86 - 2.24
(9) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6477—व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार— मूल पुनर्वि.	7,68.00 - 4,85.87	2,82.13	2,82.34 + 0.21
(10) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7850—ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना— मूल पुनर्वि.	95.00 - 43.20	51.80	51.83 + 0.03
(11) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7851—युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना— मूल पुनर्वि.	1,97.00 - 41.97	1,55.03	1,53.39 - 1.64

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,86.90 लाख ₹, 4,85.87 लाख ₹, 43.20 लाख ₹ एवं 41.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2055—पुलिस			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
2405—मछली पालन			
2801—बिजली			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	27,71,92		
पूरक	सांकेतिक	27,71,92	23,26,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 4,45,13 4,24,43
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	7,59,69,57		
पूरक	5,32,00	7,65,01,57	7,00,85,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 64,16,57 28,74,01
प्रभारित—			
मूल	40,00		
पूरक	65,22	1,05,22	73,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 31,55 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) 4,45.13 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 4,24.43 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2055-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)-			
मूल	6,58.32		
पुनर्वि.	- 1,34.43	5,23.89	5,08.90
			- 14.99

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2402-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1580—मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना— मूल 12,00.00 पुनर्वि. - 9,90.00	2,10.00	1,88.04	- 21.96
(3) 2405-109-1401—नाबार्ड (सामान्य)— 3313—मत्स्यपालन प्रसार— मूल 1,00.00 पुनर्वि. - 1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,34.43 लाख ₹, 9,90.00 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2801-01-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6818—सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय— मूल 7,00.00 पुनर्वि. 8,19.40	15,19.40	15,19.40	..

8,19.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि परिचालन एवं संधारण के लंबित देयकों का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 5,32.00 लाख ₹ अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 64,16.57 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 28,74.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न में अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-41-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2872—बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना— मूल 28,19.33 पुनर्वि. - 1,61.96	26,57.37	24,47.49	- 2,09.88

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,61.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,93.97 लाख ₹ की कमी एवं 32.01 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मुख्यतः वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-41-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय
सहायता (सामान्य)–

2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना–

मूल	2,07,35.54			
पुनर्वि.	- 1,02,44.62	1,04,90.92	1,04,90.92	..

1,02,44.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना मुख्य निर्माण कार्य के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (8,83.52 लाख ₹)। 93,61.10 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 4700-43-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

3556-मुख्यालय यूनिट-I–

मूल	1,96.36			
पुनर्वि.	- 33.70	1,62.66	1,55.34	- 7.32

33.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36.25 लाख ₹ की कमी एवं 2.55 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4700-43-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

7444-गारलैंडिंग योजना–

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	- 2,93.00	7.00	2,54.68	+ 2,47.68

2,93.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य के निर्णय लंबित होने के कारण हुई (65.00 लाख ₹)। 2,28.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-I

एवं यूनिट-II)–

मूल	17,03.38			
पुनर्वि.	2,91.10	19,94.48	14,72.72	-5,21.76

2,91.10 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,12.69 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,21.59 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः मजदूरी शीर्ष के अंतर्गत लंबित देयकों का भुगतान होने एवं वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण हुई जो कि इस शीर्ष के अंतर्गत बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक थी। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3557-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	4,47.74		
पुनर्वि.	- 45.70	4,02.04	3,68.02
			- 34.02

45.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 47.96 लाख ₹ की कमी एवं 2.26 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं आधिक्य के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(7) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8191-निष्पादन स्थापना (यूनिट-II)				
मूल	22,99.26			
पुनर्वि.	1,02.63	24,01.89	20,54.94	- 3,46.95

1,02.63 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,95.66 लाख ₹ की वृद्धि एवं 93.03 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण होना सूचित की गई, जो कि इस योजना के अन्तर्गत समग्र बचत के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक थी। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(8) 4700-51-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 9000-रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर, यूनिट-II-				
मूल	30,00.00			
पुनर्वि.	- 19,30.17	10,69.83	9,11.48	- 1,58.35

19,30.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः नाबार्ड परियोजना के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (33.21 लाख ₹)। 18,96.96 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(9) 4700-51-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-I एवं यूनिट-II)				
मूल	4,24.28			
पुनर्वि.	- 94.40	3,29.88	3,01.34	- 28.54

94.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।

(10) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5011-शेयर मछेरेवा शक्कर परियोजना-				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	- 4,49.31	50.69	49.47	- 1.22

4,49.31 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः सर्वेक्षण कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण हुई (1,74.31 लाख ₹)। 2,75.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(11) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5012-दूधी परियोजना-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	- 1,49.44	0.56	..
(12) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5506-अटेरिया परियोजना-			
मूल	40.00		
पुनर्वि.	- 40.00
(13) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5781-अपर बुडनेर परियोजना का सर्वे कार्य-			
मूल	82.00		
पुनर्वि.	- 42.00	40.00	31.68
			- 8.32
उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,49.44 लाख ₹, 40.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 42.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1)-			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	- 25,00.00
25,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः गुजरात राज्य के दायित्वों के भुगतान में कमी होने के कारण हुई (9,19.65 लाख ₹)। 15,80.35 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6403-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-1) का हिस्सा एन.ए.डी.सी. को भुगतान-			
मूल	27,00.00		
पुनर्वि.	- 27,00.00
(16) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6942-ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	- 5,00.00

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(17) 4801-01-204-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2344—निर्माण कार्य— मूल 73.00 पुनर्वि. - 73.00
(18) 4801-01-205-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9133—सरदार सरोवर परियोजना— मूल 2,10.00 पुनर्वि. - 2,10.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 27,00.00 लाख ₹, 5,00.00 लाख ₹, 73.00 लाख ₹ एवं 2,10.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(19) 4801-01-206-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4654—स्थापना (वन प्रकोष्ठ)— मूल 8,87.75 पुनर्वि. - 1,23.07	7,64.68	7,15.61	- 49.07
1,23.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,37.32 लाख ₹ की कमी एवं 14.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(20) 4801-01-206-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6797—केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट— मूल 12,04.22 पुनर्वि. - 8,60.00	3,44.22	2,89.33	- 54.89
(21) 4801-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6455—समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य— मूल 2,01.49 पुनर्वि. - 1,15.00	86.49	77.10	- 9.39
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत 8,60.00 लाख ₹ एवं 1,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(22) 4801-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3561—मुख्यालय स्थापना— मूल 18,13.23 पुनर्वि. - 1,44.11	16,69.12	13,91.33	- 2,77.79
1,44.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,82.72 लाख ₹ की कमी एवं 38.61 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि चार नये वाहन खरीदने एवं वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(23) 4801-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4406—सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च — मूल 1,21,69.36 पुनर्वि. - 42,33.05	79,36.31	73,72.32	- 5,63.99

42,33.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 42,58.61 लाख ₹ की कमी एवं 25.56 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सरदार सरोवर परियोजना हेतु राशि की आवश्यकता नहीं होने एवं शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी के निर्णय के अनुसार भूमि अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान नहीं होने के कारण हुई (38,13.97 लाख ₹) जबकि वृद्धि संविदा कर्मचारियों के लंबित देयकों का भुगतान होने एवं वेतन शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गए व्यय का समायोजन किये जाने के कारण होना सूचित की गई। 4,44.64 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(24) 4801-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8155—निचली नर्मदा परियोजना— मूल 3,36.17 पुनर्वि. - 39.04	2,97.13	2,63.17	- 33.96
(25) 4801-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य— मूल 90.10 पुनर्वि. - 52.40	37.70	19.74	- 17.96

उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (25) के शीर्षान्तर्गत 39.04 लाख ₹ एवं 52.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-43-800-1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य — मूल 85,73.33 पुनर्वि. 1,66,60.85	2,52,34.18	2,45,59.53	- 6,74.65

1,66,60.85 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अंशतः हार्डशिप, कार्य की प्रगति एवं कमाण्ड क्षेत्र की प्रगति एवं कमाण्ड क्षेत्र के विकास के कारण हुई (1,41,90.39 लाख ₹)। 24,70.46 लाख ₹ की शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4700—43—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6534—इंदिरा सागर सी.ए.डी.प्लान— मूल 50.00 पुनर्वि. 1,30.00	1,80.00	1,30.36	- 49.64

1,30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मुख्यतः कमाण्ड एरिया का विकास होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 4700—45—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 9091—ओंकारेश्वर परियोजना— मूल 3,92.55 पुनर्वि. 47,58.12	51,50.67	47,77.38	- 3,73.29
---	----------	----------	-----------

47,58.12 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(4) 4801—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2422—निष्पादन स्थापना (मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना)— मूल 1,00.00 पुनर्वि. 2,95.00	3,95.00	3,95.00	..
---	---------	---------	----

2,95.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कमाण्ड एरिया का विकास होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(viii) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत किये गए व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2011—12 के दौरान कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख में टिप्पणी (v) में दी गई है।

वर्ष 2011—12 तक इस अनुदान में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंतशेष नामे+ जमा—
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—		(लाख ₹ में)		
(1) भण्डार	+ 13.47	+ 13.47
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	- 3.82	- 3.82
योग	+ 9.65	+ 9.65
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	- 55.08	- 55.08
(2) भण्डार	- 21,11.65	- 21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	- 1,02.80	- 1,02.80
(4) कार्यशाला उचंत	- 2,58.61	- 2,58.61
योग	- 25,28.14	- 25,28.14

अनुदान संख्या 48—समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंतशेष नामे+ जमा—
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—		(लाख ₹ में)		
(1) भण्डार	+ 67.09	+ 67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	- 2,37.78	- 2,37.78
योग	- 1,70.69	- 1,70.69

प्रभारित—

(ix) 31.55 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 65.22 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(x) 31.55 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700—43—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641—स्थापना	20.00	..	- 20.00
(2) 4801—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641—स्थापना— मूल	20.00		
पूरक	65.22	73.67	- 11.55

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	60,57,74		
पूरक	1,30,99	61,88,73	60,80,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 1,07.77 निरंक
<i>प्रभारित</i>		10	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 10 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 1,07.77 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 7.20 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 1,23.79 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,07.77 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि कर्म			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,88,72,20		
पूरक	7,89,98	1,96,62,18	1,77,07,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 19,54,35 19,19,22
<i>प्रभारित</i>	<i>3,00</i>	<i>2,62</i>	<i>- 38</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)</i>			<i>38</i>

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 (7,59.98 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (30.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 7,89.98 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 19,54.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 19,19.22 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401—119—0655—संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	18,56.77		
पूरक	95.10		
पुनर्वि.	- 2,85.73	16,66.14	16,64.78
			- 1.36
2,85.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,12.73 लाख ₹ की कमी एवं 27.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 2401—119—3902—पौधशाला उद्यान—			
मूल	58,29.58		
पूरक	4,76.40		
पुनर्वि.	- 7,27.20	55,78.78	55,54.04
			- 24.74
7,27.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,57.20 लाख ₹ की कमी एवं 30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मजदूरी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 50—जारी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2401-119-4326—सघन फलोद्यान विकास योजना—				
मूल	5,62.07			
पूरक	86.86			
पुनर्वि.	- 89.88	5,59.05	5,56.75	- 2.30

89.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 91.95 लाख ₹ की कमी एवं 2.07 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
2816—फसल बीमा योजना—				
मूल	61.43			
पुनर्वि.	- 61.43

61.43 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(5) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
4326—सघन फलोद्यान विकास योजना—				
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	- 1,00.00

1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना अनुमोदित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित की गई।

(6) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—				
मूल	28,46.00			
पुनर्वि.	- 3,60.37	24,85.63	24,85.57	- 0.06

समर्पण के रूप में 3,60.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने एवं सक्षम समिति की कार्य योजना से अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2401-119-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6498—उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रिकरण को बढ़ावा देने की योजना—				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	- 1,00.00

समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 50—समाप्त

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना-				
मूल	3,46.65			
पुनर्वि.	- 59.16	2,87.49	2,87.41	- 0.08
(9) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6522-मसाला क्षेत्र विस्तार योजना-				
मूल	4,40.91			
पुनर्वि.	- 73.53	3,67.38	3,66.36	- 1.02

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत सर्म्पण के रूप में 59.16 लाख ₹ एवं 73.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएँ			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	14,39,52		
पूरक	7,36	14,46,88	11,19,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 3,27,73 निरंक
<i>प्रभारित</i>		25	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 25 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (3.50 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (3.86 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 7.36 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,27.73 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2250—800—6225—सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनूक	7,00.00	4,65.73	- 2,34.27
(2) 2250—800—6292—शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार	5,50.00	4,84.07	- 65.93

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 0.25 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52-आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा 2215-जल पूर्ति तथा सफाई 2216-आवास 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2236-पोषण 2401-फसल कृषि कर्म 2403-पशुपालन 2405-मछली पालन 2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम 2505-ग्रामीण रोजगार 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2702-लघु सिंचाई 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	14,07,65,98		
पूरक	3,15,42,96	17,23,08,94	14,81,59,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 2,41,49,52 1,73,94,01
पूंजीगत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		19,57,00	42,84,30 + 23,27,30 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां राजस्व:			

(i) 2,41,49.52 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 2,63,43.82 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 41,38.34 लाख ₹ एवं 10,60.80 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,41,49.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,73,94.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 52—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2401—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उप योजना— 1580—मेक्रोमैनेजमेन्ट योजना—			
मूल	1,41.30		
पुनर्वि.	- 1,24.46	16.84	16.84 ..
(2) 2401—796—196—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उप योजना— 4325—सघन कपास विकास कार्यक्रम—			
मूल	1,98.28		
पुनर्वि.	- 1,94.62	3.66	3.66 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,24.46 लाख ₹ एवं 1,94.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

22—पंचायत विभाग

(3) 2515—796—198—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5273—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण			
	1,80.00	..	- 1,80.00
(4) 3604—796—198—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6086—राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान			
	33,29.00	1,05.00	- 32,24.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(5) 2225—02—796—198—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8805—प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति—			
मूल	13,19.89		
पुनर्वि.	- 1,92.80	11,27.09	11,13.46 - 13.63

समर्पण के रूप में 1,92.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
26—समाज कल्याण विभाग			
(6) 2235—02—796—196—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0075—अंध, मूक बधिरों को वृत्तियां— मूल 2,63.00 पुनर्वि. - 1,01.05	1,61.95	1,59.00	- 2.95
समर्पण के रूप में 1,01.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
58—ग्रामीण विकास विभाग			
(7) 2215—02—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5206—समग्र स्वच्छता अभियान— मूल 17,62.75 पुनर्वि. - 3,46.50	14,16.25	14,07.09	- 9.16
(8) 2501—02—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5770—इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम— मूल 5,00.00 पुनर्वि. - 3,28.16	1,71.84	1,71.84	..
(9) 2501—06—796—198—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8701—स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना— मूल 12,08.61 पुनर्वि. - 2,40.62	9,67.99	9,67.99	..
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 3,46.50 लाख ₹, 3,28.16 लाख ₹ एवं 2,40.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।			
(10) 2501—06—796—198—0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6487—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल हेबिटेट	22,68.44	..	- 22,68.44
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।			
(11) 2501—06—796—198—0102—आदिवासी क्षेत्र उप योजना— 9249—बेकवर्ड रीजन ग्राण्डफण्ड योजना— मूल 2,28,71.73 पुनर्वि. - 33,84.39	1,94,87.34	1,94,87.34	..

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(12) 2501-06-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 2,00,18.00 पुनर्वि. - 64,51.17		1,35,66.83	1,36,76.47	+ 1,09.64
(13) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 1,44,01.20 पूरक 1,92,64.98 पुनर्वि. - 58,28.38		2,78,37.80	2,78,37.80	..
(14) 2515-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7886-मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन— मूल 30,00.00 पुनर्वि. - 4,15.10		25,84.90	25,84.90	..

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 33,84.39 लाख ₹, 64,51.17 लाख ₹, 58,28.38 लाख ₹ एवं 4,15.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने/कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	--	---------------	---------------------------------	-------------------

58—ग्रामीण विकास विभाग

2216-03-796-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5198-इंदिरा आवास योजना— मूल 28,56.65 पूरक 31.21 पुनर्वि. 13,91.19		42,79.05	42,73.29	- 5.76
--	--	----------	----------	--------

13,91.19 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 52—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

पूँजीगत:

(v) दत्तमत अनुदान से हुए 23,27,30,000 ₹ के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) प्रावधान से अधिक व्यय निम्न के अन्तर्गत हुआ—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

58—ग्रामीण विकास विभाग

4515—796—800—0420—खनिज क्षेत्र विकास
निधि—

6084—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	19,57.00	42,84.30	+ 23,27.30
-----------------------------------	----------	----------	------------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2217—शहरी विकास				
2236—पोषाहार				
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय				
6217—शहरी विकास के लिये कर्ज				
राजस्व:				
मूल	64,80,07			
पूरक	7,94,74	72,74,81	59,71,72	- 13,03,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 जनवरी एवं 31 मार्च 2012)				13,03,09
पूंजीगत		37,30,00	26,06,80	- 11,23,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (9 जनवरी एवं 31 मार्च 2012)				11,23,20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 7,94.74 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग				
(1) 2217-05-789-191-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6981—जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल	20,49.41			
पुनर्वि.	- 4,76.49	15,72.92	15,72.92	..
(2) 2217-05-789-191-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल	50.00			
पुनर्वि.	- 50.00
(3) 2217-05-789-192-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल	90.00			
पुनर्वि.	- 59.50	30.50	30.50	..

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 4,76.49 लाख ₹, 50.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 59.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम-			
मूल	12,85.00		
पुनर्वि.	- 2,10.00	10,75.00	10,75.00 ..
(5) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-			
मूल	22,16.00		
पुनर्वि.	- 4,81.86	17,34.14	17,34.14 ..

समर्पण के रूप में 4,81.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग			
(4) 4217-60-789-051-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7905-नगर निगम में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	3,08.00		
पुनर्वि.	- 1,03.56	2,04.44	2,04.44 ..
(2) 6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7905-नगर निगम में मूलभूत सुविधाओं का विकास-			
मूल	30,33.00		
पुनर्वि.	- 10,19.64	20,13.36	20,13.36 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,03.56 लाख ₹ एवं 10,19.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा				
राजस्व:				
मूल	54,90.00			
पूरक	18,12,00	73,02,00	73,02,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	14,98,02,22			
पूरक	5,91,38,54	20,89,40,76	20,48,90,91	- 40,49,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				36,08,19

20,48,90.91 लाख ₹ के कुल व्यय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (1,82,24.54 लाख ₹), 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला) (3,06.00 लाख ₹) एवं 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-विशेष पोषण आहार योजना (2,18.49 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा 1,87,49.03 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	30,00	5,44		- 24,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				23,06

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	66,29,71			
पूरक	15,04,00	81,33,71	66,33,70	- 15,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				15,00,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 40,49.85 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया क्रमशः 2,27,44.16 लाख ₹ एवं 81,80.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 2,82,14.38 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 40,49.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 36,08.19 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 55—जारी

(iii) यद्यपि 40,49.85 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत :-			
(1) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5060-बाल भवन की स्थापना-			
मूल	1,60.26		
पुनर्वि.	- 70.80	89.46	87.95
			- 1.51
70.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार पुनर्विनियोजन द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना को राशि उपलब्ध कराने के कारण होना सूचित की गई (29.27 लाख ₹)। 41.53 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2235-02-102-3339-मध्य प्रदेश किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संस्थाएं-			
मूल	7,60.50		
पुनर्वि.	- 1,52.36	6,08.14	6,45.41
			+ 37.27
1,52.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,97.36 लाख ₹ की कमी एवं 45.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में बच्चों के लिये कपड़े, बिस्तर एवं बर्तन खरीदने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(3) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0830-किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अंतर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का गठन-			
मूल	1,37.76		
पुनर्वि.	- 91.89	45.87	43.11
			- 2.76
91.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(4) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6442-अटल बाल आरोग्य मिशन-			
मूल	51,61.00		
पूरक	64,77.40		
पुनर्वि.	- 65,61.74	50,76.66	46,60.41
			- 4,16.52
65,61.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 91,61.81 लाख ₹ की कमी एवं 26,00.07 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अटल बिहारी बाजपेई बाल आरोग्य मिशन की कार्य योजना का क्रियान्वयन होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6103—समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)— मूल 24,24.00 पुनर्वि. - 14,57.93	9,66.07	8,38.27	- 1,27.80
(6) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5063—घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र— मूल 1,47.78 पुनर्वि. - 69.06	78.72	72.68	- 6.04

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 14,57.93 लाख ₹ एवं 69.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2235-02-106-2517—परिवीक्षा इकाई— मूल 1,37.67 पुनर्वि. - 1,06.14	31.53	30.40	- 1.13
---	-------	-------	--------

1,06.14 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

[ब] आधिक्य:—

(1) 2235-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय— मूल 11,20.27 पुनर्वि. - 30.60	10,89.67	12,84.63	+ 1,94.96
--	----------	----------	-----------

समर्पण के रूप में 30.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36.12 लाख ₹ की कमी एवं 5.52 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। अधिक व्यय के परिपेक्ष्य में प्रत्याशित बचत अवास्तविक थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 2235-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5067—लाडली लक्ष्मी योजना (सामान्य)— मूल 2,66,94.00 पूरक 1,80,28.00 पुनर्वि. 66,83.26	5,14,05.26	5,11,62.37	- 2,42.89
---	------------	------------	-----------

66,83.26 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 74,55.55 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7,72.29 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि के पर्याप्त कारण एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

प्रभारित—

(iv) 24.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 23.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2235—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9041—महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय— मूल	30.00		
पुनर्वि.	- 23.06	6.94	5.44 - 1.50

23.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) 15,00.01 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 15,00.00 लाख ₹ अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 4.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4235—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6442—अटल बाल आरोग्य मिशन— पूरक	15,00.00		
पुनर्वि.	- 15,00.00

समर्पण के रूप में 15,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना से प्रावधान समर्पित कर द्वितीय अनुपूरक बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए प्रावधान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	83,09,74		
पूरक	52,11	83,61,85	- 2,25,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			2,19,42
पूंजीगत	3,01,40	2,98,02	- 3,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			79

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 52.11 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,25.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,19.42 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 2,25.28 की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:-

(1) 2851-103-2542-पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द
(क्षेत्रीय कार्यालय)-

मूल	5,71.25		
पुनर्वि.	- 89.87	4,81.38	4,80.53
			- 0.85

समर्पण के रूप में 89.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई (13.84 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत 76.03 लाख ₹ के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2851-103-8585-पंचायतों के कर्तव्यों
और कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के
लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों की
स्थापना-

मूल	2,23.42		
पूरक	52.11		
पुनर्वि.	- 45.26	2,30.27	2,30.27
			..

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6192-अधोसंरचना विकास हेतु सहायता-			
मूल	55.00		
पुनर्वि.	- 55.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 45.26 लाख ₹ एवं 55.00 लाख ₹ के (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण/पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6778-एकीकृत कलस्टर विकास कार्यक्रम योजना-				
मूल	1,93.60			
पुनर्वि.	- 80.00	1,13.60	1,13.60	..

80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नये संशोधित नियमों में उद्यमी/स्व सहायता समूह हेतु विभागीय प्रस्तावों के अनुसार कम राशि की आवश्यकता होने के कारण पुनर्विनियोजित की गई।

[ब] आधिक्य:-

(1) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8109-म.प्र. हस्त शिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम के भवनों का संधारण-				
मूल	65.00			
पुनर्वि.	55.00	1,20.00	1,20.00	..

55.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि ज्यादा मांग होने के कारण होना सूचित की गई।

(2) 2851-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6278-माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण-				
मूल	5.50			
पुनर्वि.	25.00	30.50	30.50	..

25.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(3) 2851-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6794-उद्यमियों/स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग-				
मूल	1,07.00			
पुनर्वि.	80.00	1,87.00	1,87.00	..

80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि क्लस्टर विकास की तुलना में उद्यमी/स्व सहायता समूह योजना हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार अधिक राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई।

पूँजीगत:

(iv) 3.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 0.79 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	3,58,28,00	2,16,21,71	- 1,42,06,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			36,07,72

टीका एवं टिप्पणियां
पूंजीगत:

(i) 1,42,06.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 36,07.72 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-01-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6258—डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट— मूल 30,00.00 पुनर्वि. - 28,68.60	1,31.40	39.68	- 91.72

समर्पण के रूप में 28,68.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (28,49.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (19.60 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-57-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 2344—निर्माण कार्य— मूल 8,28.00 पुनर्वि. - 4,82.50	3,45.50	2,82.87	- 62.63
---	---------	---------	---------

समर्पण के रूप में 4,82.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः राष्ट्रीय विज्ञान परियोजना के अन्तर्गत कार्य की धीमी प्रगति होने से हुई (4,77.00 लाख ₹)। 5.50 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4700-64-001-1201— विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6826—पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—कृषि विभाग— मूल 5,00.00 पुनर्वि. - 95.97	4,04.03	4,47.39	+ 43.36
--	---------	---------	---------

अनुदान संख्या 57—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

95.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,42.97 लाख ₹ की कमी एवं 47.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में व्यय नहीं होने के कारण हुई (47.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि प्रशिक्षण इकाईयों के लिये अधीनस्थ कार्यालयों से राशि की मांग होना सूचित की गई। 95.97 लाख ₹ की शेष कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4700-64-001-1201- विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-

6828-पांच कछारों की पूर्व निर्मित

सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में

सुधार-कृषि विभाग-

मूल 3,70.00

पुनर्वि. -1,09.48 2,60.52 3,06.98 + 46.46

समर्पण के रूप में 1,09.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-

6833-परियोजना क्रियान्वयन

समन्वयक इकाई-पाईकू-

मूल 5,78.35

पुनर्वि. 6.40 5,84.75 4,31.98 - 1,52.77

6.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मुख्यतः एयर टेल सर्वर के वार्षिक भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होना, दूरभाष में वृद्धि, अतिरिक्त कार्यशाला का आयोजन, ई-टेण्डरींग प्रकोष्ठ के गठन होने से कम्प्यूटर आपरेटर की संख्या में वृद्धि एवं परियोजना के लिये आकस्मिक दौरा होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 4700-64-800-1201-विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-

6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित

सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में

सुधार-जल संसाधन विभाग-

मूल 2,78,36.93

पुनर्वि. - 3,62.40 2,74,74.53 1,73,34.69 - 1,01,39.84

3,62.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विश्व बैंक से निर्माण कार्यों की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—समाप्त

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4700—64—052—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6825—सेवा प्रदान करने संबंधी—सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं—जल संसाधन विभाग— मूल 12.00 पुनर्वि. 2,05.00	2,17.00	2,09.20	- 7.80

2.05.00 लाख ₹ पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि स्वर्ण रेखा नदी के जल गुणवत्ता कार्य के उन्नयन हेतु मशीनें खरीदने एवं ई-टेन्डरींग प्रकोष्ठ हेतु उपकरणों की व्यवस्था के लिये भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iv) उचंत लेन-देनः—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

2011—12 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिकशेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे+ जमा—
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) भंडार	- 0.27	- 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	+ 2.21
योग	+ 1.94	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	- 1,94.83	- 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	+ 18,36.64

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	8,19,15,86		
पूरक	2,50,23,02	10,69,38,88	9,07,87,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 1,61,51,03 निरंक
पूंजीगत:			
मूल	2,70,00		
पूरक	22,50	2,92,50	42,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 2,50,00 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 1,61,51.03 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 2,50,18.02 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त 5.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,61,51.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2245-01-101-0096—अग्नि पीड़ितों को राहत—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	- 5,00.00	25,00.00	10,05.90
(2) 2245-01-101-6422—सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान—			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	- 40,00.00	10,00.00	96.57
(3) 2245-01-102-8874—सूखा राहत एवं रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान—			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	- 45,00.00	5,00.00	..
			- 5,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 5,00.00 लाख ₹ एवं 40,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आपदा राहत पर कम व्यय करने के कारण हुई एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत आपदा राहत पर व्यय न किये जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2245-01-102-2661—पेयजल की पूर्ति	40,00.00	23,10.67	- 16,89.33
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2245-01-102-6434—ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	- 20,00.00	10,00.00	4,86.86
(6) 2245-02-101-0747—ओला पीड़ितों को राहत—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	- 25,00.00	15,00.00	11,11.85
(7) 2245-02-101-2018—नगद दान—			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	- 20,00.75	29,99.25	20,78.86
(8) 2245-02-193-5498—बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता—			
मूल	18,00.00		
पुनर्वि.	- 10,00.00	8,00.00	71.32
(9) 2245-05-101-0475—आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण प्राकृतिक आपदा अनखर्चि मार्जिन धन निधि—अकाल राहत निधि—			
मूल	3,09,29.25		
पूरक	2,00,00.00		
पुनर्वि.	- 2,00,00.00	3,09,29.25	3,09,29.25
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रम 20,00.00 लाख ₹, 25,00.00 लाख ₹, 20,00.75 लाख ₹, 10,00.00 लाख ₹ एवं 2,00,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आपदा राहत पर कम व्यय होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 एवं क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2245-80-102-6436—आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	40,00.00	20,27.88	- 19,72.12
(11) 2245-80-800-5504—राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता	25,00.00	6,93.29	- 18,06.71
(12) 2245-80-800-7020—ओला पाला— पूरक	50,00.00	50,00.00	37,05.33

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2245-80-800-8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु—			
मूल	1,04,38.00		
पुनर्वि.	3,65,00.00	4,69,38.00	4,43,60.81 - 25,77.19

3,65,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि आपदा राहत में अधिक व्यय के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) अकाल राहत निधि—

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान 10.00 लाख ₹ की राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा की गई। 90.68 लाख ₹ के निवेश के विरुद्ध ब्याज के रूप में प्राप्त हुई 8.20 लाख ₹ की राशि को निधि लेखे में जमा किया गया। वर्ष के दौरान निवेश लेखा में दर्शाये गए 40.23 लाख ₹ प्रतिभूतियों के पुनर्मोचन से संबंधित है। वर्ष की समाप्ति के समय शासकीय प्रतिभूति में 50.45 लाख ₹ का निवेश था।

31 मार्च 2012 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान संवितरण (लाख ₹ में)	31 मार्च 2012 को अंत शेष
(1) 101-निधि लेखा	जमा 5,30.35	18.20	..	जमा 5,48.55
(2) 102-निवेश लेखा	नामे 90.68	40.23	..	नामे 50.45
कुल	जमा 4,39.67	58.43	..	जमा 4,98.10

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2011-12 के विवरण संख्या-18 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि—

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2011-12 हेतु निधि का अंशदान 3,09,29.25 लाख ₹ निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (2,31,96.94 लाख ₹) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष "1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (77,32.31 लाख ₹) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर

अनुदान संख्या 58—समाप्त

व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—111—आपदा राहत निधि" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 1,02,46.44 लाख ₹ का अंतिम शेष भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में व्यपगत नहीं किया गया एवं अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश में ही रखा गया। यह राशि मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं आरक्षित निधियां—111—आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित की गई क्योंकि 14 दिसम्बर 2010 से राष्ट्रीय आपदा राहत निधि अस्तित्व में नहीं रह गई थी, यह राशि वित्त लेखे 2010—11 के विवरण संख्या—18 में मोटे अक्षरों में दर्शित की गई है। 1 अप्रैल 2011 को मुख्य शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत जमा शेष निरंक था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245—05—101—0475—आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण—प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि—अकाल राहत निधि" को नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि में 3,09,29.25 लाख ₹ की राशि जमा की गई। वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया 3,09,29.25 लाख ₹ का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2012 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत शेष निरंक था।

जब निधि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि—के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण—पत्रों और भारतीय यूनित ट्रस्ट के यूनितों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध—वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज अदायगी—05—आरक्षित निधियों पर ब्याज—105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि पर ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन—देनों का लेखा वित्त लेखे 2011—12 के विवरण संख्या—18 में सम्मिलित किया गया है।

पूँजीगत:

(vii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 22.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।

(viii) 2,50.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6245—01—800—2750—प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	2,50.00	..	- 2,50.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	28,22,00	21,32,75	- 6,89,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			6,89,25
पूंजीगत	74,00,00	74,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2501—06—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7755—म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना—			
मूल	27,57.00		
पुनर्वि.	- 6,89.25	20,67.75	20,67.75

समर्पण के रूप में 6,89.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम				
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर				
पूँजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	6,93,00			
पूरक	11,57,59	18,50,59	18,33,78	- 16,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूँजीगत:				
मूल	1,63,69,15			
पूरक	1,60,00	1,65,29,15	1,63,00,12	- 2,29,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,63,31

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 16.81 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 11,55.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 2.59 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 16.81 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

(iii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,56.60 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (3.40 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,60.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) 31 मार्च 2012 को किया गया 2,63.31 लाख ₹ का अभ्यर्पण 2,29.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(v) यद्यपि 2,29.03 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण अन्तर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:—

(1) 4515—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—				
5111—नवाचार को प्रोत्साहन—				
मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	- 2,50.08	49.92	49.92	..

समर्पण के रूप में 2,50.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 60—समाप्त

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8284-म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना- पूरक	1,60.00	1,60.00	.. - 1,60.00

सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

[ब] आधिक्य:-

4515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8284-म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना- मूल	1,14,73.00			
पुनर्वि.	- 0.05	1,14,72.95	1,16,70.97	+ 1,98.02

0.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2403—पशु पालन			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
4408—खाद्य भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	1,39,23,35			
पूरक	9,58,00	1,48,81,35	78,45,04	- 70,36,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				70,36,32

पूंजीगत:

मूल	5,99,17,65			
पूरक	20,00,00	6,19,17,65	3,60,88,27	- 2,58,29,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (21 एवं 31 मार्च 2012)				2,29,28,71

3,60,88.27 लाख ₹ के कुल व्यय में जल संसाधन विभाग द्वारा शीर्ष 4701—80—001—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—5584—सिंहपुर बैराज (24,67.71 लाख ₹) एवं 4702—101—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)—6077—नवीन लघु सिंचाई योजनायें (5,00.00 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 29,67.71 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 9,58.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2012 को किया गया 70,36.32 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 70,36.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403—800—1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6078—बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास— मूल	13,40.00		
पुनर्वि.	- 6,35.76	7,04.24	7,04.24

अनुदान संख्या 61—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2403—800—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6078—बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास— मूल 47,78.35 पुनर्वि. - 25,00.56	22,77.79	22,77.79	..
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 6,35.76 लाख ₹ एवं 25,00.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2515—102—1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6109—जल संरचनाओं का सुधार, पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण— मूल 6,30.00 पुनर्वि. - 6,30.00
(4) 2515—102—1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9186—खेत तालाब योजना— मूल 2,20.00 पुनर्वि. - 2,20.00
(5) 2515—102—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6109—जल संरचनाओं का सुधार पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण— मूल 24,47.80 पुनर्वि. - 24,47.80
(6) 2515—102—1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 9186—खेत तालाब योजना— मूल 6,02.20 पुनर्वि. - 6,02.20

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 6,30.00 लाख ₹, 2,20.00 लाख ₹ 24,47.80 लाख ₹ एवं 6,02.20 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

(iv) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 20,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 2,58,29.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 21 तथा 31 मार्च 2012 को केवल 2,29,28.71 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 61—जारी

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4401-102-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6080—भण्डार एवं विपणन— मूल 47,45.00 पुनर्वि. - 47,45.00
(2) 4401-102-1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6080—भण्डार एवं विपणन— मूल 1,69,23.96 पुनर्वि. - 1,69,23.96

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 47,45.00 लाख ₹ एवं 1,69,23.96 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(3) 4701-80-001-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2304—निदेशन एवं प्रशासन	11,39.18	1,63.12	- 9,76.06
(4) 4701-80-001-1501—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2304—निदेशन एवं प्रशासन	39,59.82	21,45.92	- 18,13.90

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(5) 4702-101-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6068—निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनायें— मूल 9,00.00 पुनर्वि. - 4,96.00	4,04.00	1,63.02	- 2,40.98
--	---------	---------	-----------

4,96.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस शीर्ष के प्रावधान के स्थान पर 'के' जमा शीर्ष (8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा) से व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(6) 4702-101-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6069—सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (पोखर/तालाब)— मूल 2,70.00 पुनर्वि. - 2,69.00	1.00	54.46	+ 53.46
---	------	-------	---------

2,69.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः इस शीर्ष के प्रावधान के स्थान पर 'के' जमा शीर्ष से व्यय किये जाने के कारण हुई (59.00 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 2,10.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 61—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 4702-101-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6071-उद्वहन सिंचाई योजनाओं का सुधार-			
मूल	89.32		
पुनर्वि.	- 89.32
(8) 4702-101-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति-			
मूल	11,63.00		
पुनर्वि.	- 10,11.00	1,52.00	1,26.44 - 25.56
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 89.32 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 10,11.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इन शीर्षों के प्रावधान के स्थान पर 'के' जमा शीर्ष से व्यय किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(9) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6069-सुधार, सुदृढीकरण, पुनःस्थापना (पोखर/तालाब)-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	- 9,99.00	1.00	1.00 ..
9.99.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः इस शीर्ष के प्रावधान के स्थान पर 'के' जमा शीर्ष से व्यय किये जाने के कारण हुई (3,47.00 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 6,52.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(10) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6071-उद्वहन सिंचाई योजनाओं का सुधार-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	- 2,00.00
(11) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति-			
मूल	15,55.00		
पुनर्वि.	- 10,60.00	4,95.00	4,95.00 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत 2,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 10,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इन शीर्षों के प्रावधान के स्थान पर 'के' जमा शीर्ष से व्यय किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 61—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें- मूल 22,76.00 पुनर्वि. 16,18.32	38,94.32	30,05.52	- 8,88.80

16,18.32 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 16,55.32 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 37.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान करने के कारण हुई जबकि कमी कोषालय द्वारा 'के' जमा शीर्ष के अंतर्गत राशि जमा नहीं किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(2) 4702-01-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें- मूल 42,52.00 पुनर्वि. 23,99.00	66,51.00	66,51.00	..
---	----------	----------	----

23,99.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 25,72.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 1,73.00 लाख ₹ कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य की प्रगति तेज गति से होने के कारण हुई। 66,51.00 लाख ₹ का कुल व्यय 5,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443 सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत दर्शाई नहीं गई जिसके कारणों के साथ ही कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4705-211-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6067-कमांड क्षेत्र विकास राजघाट परियोजना	2,67.50	3,48.30	+ 80.80
---	---------	---------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 4705-211-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)- 6067-कमांड क्षेत्र विकास राजघाट परियोजना- मूल 8,14.00 पुनर्वि. - 2.00	8,12.00	9,58.03	+ 1,46.03
---	---------	---------	-----------

समर्पण के रूप में 2.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 62—पंचायत

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,16,30,29		
पूरक	11,82	1,16,42,11	1,03,88,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 12,53,92 निरंक
<i>प्रभारित</i>		1,20	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			- 1,20 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:
दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 11.82 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 12,53.92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2515—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2467—पंचायत संचालनालय	4,83.51	2,70.02	- 2,13.49
(2) 2515—101—2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	1,10,73.66	1,00,59.99	- 10,13.67

उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत कुल अनुदान में वेतन के अन्तर्गत 1,11.96 लाख ₹ का प्रावधान आयोजनेतर की बजाय आयोजना में शामिल हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 1.20 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	44,46,41		
पूरक	11,74,58	56,20,99	- 18,32,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			18,33,43
पूंजीगत:			
पूरक	1,12,50	1,12,50	1,12,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (5.51 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,07.00 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (10,62.07 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 11,74.58 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2012 को किया गया 18,33.43 लाख ₹ का अभ्यर्पण 18,32.64 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-03-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2676—पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्तियां— मूल	12,91.50		
पुनर्वि.	- 6.74.46	6,17.04	6,17.04
(2) 2225-03-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5557—मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना— मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	- 1,73.45	2,26.55	2,26.55

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अभ्यर्पण के रूप में क्रमशः 6,74.46 लाख ₹ एवं 1,73.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2225-03-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5617—अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम— मूल 8,00.00 पुनर्वि. - 8,00.00

8,00.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2225-03-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6629—मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना— पूरक 1,00.00 पुनर्वि. - 44.79	55.21	55.21	..
--	-------	-------	----

समर्पण के रूप में 44.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, जिलों से अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत राशि से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जाति उपयोजना
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष

- 2029—भू—राजस्व
2055—पुलिस
2202—सामान्य शिक्षा
2203—तकनीकी शिक्षा
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएँ
2205—कला एवं संस्कृति
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2215—जल पूर्ति तथा सफाई
2220—सूचना तथा प्रचार
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230—श्रम तथा रोजगार
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2236—पोषण
2401—फसल कृषि—कर्म
2403—पशु पालन
2405—मछली पालन
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
2425—सहकारिता
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2801—बिजली
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
3053—नागर विमानन
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
3451—सचिवालय— आर्थिक सेवाएँ
3452—पर्यटन
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर
पूंजीगत परिव्यय
4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत
परिव्यय
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के
कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर
पूंजीगत परिव्यय
4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत
परिव्यय
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 64—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिये कर्ज			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	15,55,07,46			
पूरक	1,34,97,19	16,90,04,65	14,34,98,81	- 2,55,05,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,45,58,98

(12 अक्टूबर, 22 एवं 28 दिसम्बर 2011 तथा 19 जनवरी, 10 फरवरी, 22, 29 एवं 31 मार्च 2012)

14,34,98.81 लाख ₹ के कुल व्यय में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2401—789—800—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना—5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (5,00.00 लाख ₹), योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शीर्ष 3451—789—101—1303 केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उप योजना)—6267—जिला नवाचार कोष (3,75.00 लाख ₹), जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा शीर्ष 2203—789—105—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना—2667—पोलीटेक्नीक संस्थाएं (6,30.00 लाख ₹), 2230—03—789—003—0103 अनुसूचित जाति उपयोजना—6477—व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार (39.44 लाख ₹), महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2236—02—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना—9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—विशेष पोषण आहार योजना (37.45 लाख ₹) एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 2055—789—109—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना—5172—अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना (34.29 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को 8443—सिविल जमा—800 अन्य जमा में जमा की गई 16,16.18 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:

मूल	9,27,79,13			
पूरक	2,77,38,43	12,05,17,56	9,71,86,75	- 2,33,30,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,07,41,53

(13 फरवरी एवं 31 मार्च 2012)

9,71,86.75 लाख ₹ के कुल व्यय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 4210—01—789—110—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना—7648—अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण (1,80.33 लाख ₹), 4210—01—789—110—1303—केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)—6453—स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग) (31.02 लाख ₹) एवं 4210—02—789—104—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना—5056—सामुदायिक स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (21,69.46 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2012 को 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 23,80.81 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (82,98.46 लाख ₹), नवम्बर 2011 (48,48.73 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (3,50.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,34,97.19 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,55,05.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान मुख्यतः 31 मार्च 2012 को केवल 2,45,58.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 64—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
09—खेल एवं युवा कल्याण विभाग			
(1) 2204—789—800—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5159—खेल अकादमियों की स्थापना— मूल	2,00.00		
पूरक	78.84	2,78.84	1,99.61
			- 79.23
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

14—किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

(2) 2401—789—102—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 1580—मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना— मूल	16,22.50			
पुनर्वि.	- 5,83.55	10,38.95	10,31.90	- 7.05

5,83.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण: 5,08.35 लाख ₹, पुनर्विनियोग: 75.20 लाख ₹) भारत सरकार से कम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2012) इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2401—789—113—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 1580—मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना— मूल	3,23.10			
पुनर्वि.	- 1,56.86	1,66.24	1,66.11	- 0.13

समर्पण के रूप में 1,56.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2401—789—800—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल	67,93.99			
पुनर्वि.	- 26,88.56	41,05.43	40,91.54	- 13.89

26,88.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त न किये जाने एवं कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। 40,91.54 लाख ₹ का व्यय 5,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

15—सहकारिता विभाग

(5) 2425—789—107—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 9254—सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान— मूल	71,40.00			
पुनर्वि.	- 53,55.00	17,85.00	17,85.00	..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
53,55.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण: 40,18.00 लाख ₹, पुनर्विनियोग: 13,37.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(6) 2210—01—789—110—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5724—राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल पुनर्वि.	17,20.00 - 4,30.00	12,90.00	12,90.00 ..
(7) 2210—01—789—110—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6214—मोबाइल हेल्थ अस्पतालों का संचालन— पूरक पुनर्वि.	6,00.00 - 4,60.57	1,39.43	1,39.43 ..
(8) 2210—06—789—003—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 4224—शिक्षा और प्रशिक्षण— मूल पुनर्वि.	1,00.00 - 1,00.00
(9) 2210—06—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 4245—शीत ज्वर— मूल पूरक पुनर्वि.	2,35.00 1,50.00 - 1,42.19	2,42.81	2,51.13 + 8.32

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 4,30.00 लाख ₹, 4,60.57 लाख (समर्पण के रूप में), 1,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 1,42.19 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(10) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6011—साक्षर भारत— मूल पुनर्वि.	4,97.00 - 2,48.50	2,48.50	2,61.67 + 13.17
समर्पण के रूप में 2,48.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण तदनु रूप राज्यांश में बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(11) 2202—01—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8810—सर्वशिक्षा अभियान— मूल पुनर्वि.	1,34,41.42 - 26,88.00	1,07,53.42	1,07,53.14 - 0.28

26,88.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के अनुपात में कम राज्यांश की आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(12) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6918—सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय— मूल 6,40.00 पुनर्वि. - 6,40.00

समर्पण के रूप में 6,40.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।

23—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(13) 3451-789-101-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6577—आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान— मूल 84,95.00 पुनर्वि. - 84,95.00
(14) 3454-02-789-206-1303—केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6268—यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)— मूल 7,55.00 पुनर्वि. - 7,55.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 84,95.00 लाख ₹, एवं 7,55.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्य की विभिन्न योजनाओं में 2011-12 के प्रथम से तृतीय अनुपूरक अनुदानों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(15) 2235-60-789-192-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 19,67.97 पुनर्वि. - 1,30.23	18,37.74	17,67.78	- 69.96
(16) 2235-60-789-192-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 16,12.63 पुनर्वि. - 3,39.05	12,73.58	12,28.97	- 44.61
(17) 2235-60-789-193-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 8,22.26 पुनर्वि. - 67.20	7,55.06	7,08.72	- 46.34

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(18) 2235-60-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 7,00.26 पुनर्वि. - 1,53.03	5,47.23	5,38.63	- 8.60

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (18) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,30.23 लाख ₹, 3,39.05 लाख ₹, 67.20 लाख ₹ एवं 1,53.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लाभार्थियों की कम संख्या के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(19) 2235-60-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5758-कुशाभाऊ अंशदायी पेंशन योजना— मूल 2,50.00 पुनर्वि. - 2,50.00
--	----	----	----

समर्पण के रूप में 2,50.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी समग्र प्रावधान की बचत हुई थी।

36—मछली पालन विभाग

(20) 2405-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 1,15.00 पुनर्वि. - 43.01	71.99	21.99	- 50.00
--	-------	-------	---------

समर्पण के रूप में 43.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस योजना की राज्य स्तरीय समिति से अवशिष्ट प्रावधानित निधि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

38—उच्च शिक्षा विभाग

(21) 2202-03-789-103-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 4699-छात्रों के लिये पुस्तकें आदि का प्रदाय— मूल 3,25.00 पुनर्वि. - 69.00	2,56.00	1,97.27	- 58.73
---	---------	---------	---------

समर्पण के रूप में 69.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के बाद बचत के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

42—जन शक्ति नियोजन विभाग

(22) 2203-789-105-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 9238-डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं— मूल 6,50.00 पुनर्वि. - 2,04.96	4,45.04	4,81.87	+ 36.83
---	---------	---------	---------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(23) 2203-789-108-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 4068-विशेष कोचिंग व्यवस्था— मूल 2,00.00 पुनर्वि. - 97.58	1,02.42	1,02.91	+ 0.49

उपरोक्त क्रम संख्या (22) एवं (23) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,04.96 लाख ₹ एवं 97.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः 12 नये पोलीटेकनिक संस्थाओं के आहरण एवं वितरण अधिकारी के कोड प्राप्त न होने, संस्थाओं से मांग प्राप्त न होने एवं मितव्ययी उपायों के कारण हुई (1,78.47 लाख ₹ एवं 77.10 लाख ₹)। 26.49 लाख ₹ एवं 20.48 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(24) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार— मूल 4,87.23 पुनर्वि. - 1,89.68	2,97.55	2,65.55	- 32.00
---	---------	---------	---------

2,65.55 लाख ₹ का व्यय 39.44 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके एवं समर्पण के रूप में 1,89.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

50—महिला एवं बाल विकास विभाग

(25) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6442-अटल बाल आरोग्य मिशन— मूल 17,60.80 पूरक 5,44.44 पुनर्वि. - 5,67.63	17,37.61	17,76.60	+ 38.99
--	----------	----------	---------

समर्पण के रूप में 5,67.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(26) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 2526-परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 3,50.00 पुनर्वि. - 2,33.44	1,16.56	1,25.16	+ 8.60
(27) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7562-उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना— मूल 10,57.84 पुनर्वि. - 1,60.70	8,97.14	8,97.14	..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(28) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8807-छात्रावासों एवं आश्रमों के भवनों का उन्नयन— मूल 15,00.00 पूरक 5,00.00 पुनर्वि. - 0.05	19,99.95	17,68.36	- 2,31.59
(29) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8829-अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय— मूल 9,43.10 पुनर्वि. - 3,15.42	6,27.68	6,27.64	- 0.04
उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,33.44 लाख ₹, 1,60.70 लाख ₹, 0.05 लाख ₹ एवं 3,15.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (26) एवं (28) के शीर्षान्तर्गत अन्तिम आधिक्य/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(30) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान— मूल 1,99.00 पुनर्वि. - 83.00	1,16.00	1,10.65	- 5.35
83.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पुरस्कारों की घोषणा न होने के कारण हुई (3.80 लाख ₹)। 79.20 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(31) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना— मूल 22,88.41 पूरक 89.60 पुनर्वि. - 8,46.90	15,31.11	15,30.46	+ 0.65
समर्पण के रूप में 8,46.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रधान न्यायाधीश एवं उनके अमले के पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(32) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता — मूल 11,00.00 पुनर्वि. - 2,10.35	8,89.65	8,58.03	- 31.62
2,10.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(33) 2225-01-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं - 6277-कृषकों के कुओं पर विद्युत/डीजल पंप हेतु अनुदान-			
मूल	99.00
पुनर्वि.	- 99.00

99.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(34) 2501-06-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)-				
7755-म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	- 2,50.00	7,50.00	7,50.00	..

समर्पण के रूप में 2,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

59—औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(35) 2401-789-119-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6,55.00	2,72.39	- 3,82.61	

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(1) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-				
मूल	14,00.00			
पूरक	20,00.00			
पुनर्वि.	1,01.19	35,01.19	35,01.19	..

1,01.19 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मौसम आधारित फसलों के प्रीमियम के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित किया गया।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
15—सहकारिता विभाग			
(2) 2425—789—800—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 7895—दाम दुपट योजना— मूल 2.00 पुनर्वि. 13,37.00	13,39.00	13,39.00	..

13,37.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(3) 2210—01—789—110—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8798—चिकित्सालयों का उन्नयन— मूल 8,10.00 पूरक 3,80.00 पुनर्वि. 2,00.00	13,90.00	13,90.00	..
(4) 2210—03—789—103—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 7317—ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन— मूल 9,81.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,00.00	12,81.00	11,23.02	- 1,57.98

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2,00.00 लाख ₹ एवं 3,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 एवं 2009—10 एवं उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(5) 2202—01—789—101—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6484—आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति— मूल 20.00 पुनर्वि. 13,92.00	14,12.00	14,12.00	..
---	----------	----------	----

13,92.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन आर.टी.ई. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

(6) 2202—02—789—109—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 6007—माडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन— मूल 1,60.00 पुनर्वि. 12,96.00	14,56.00	14,56.00	..
---	----------	----------	----

12,96.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन माडल विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित किया गया।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
35—पशुपालन विभाग			
(7) 2403—789—102—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 1109—गहन पशु विकास परियोजना	8,22.91	9,47.99	+ 1,25.08

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(8) 2225—01—789—277—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 2676—पोस्ट मेट्रिक छात्र वृत्तियां— मूल	90,86.57		
पुनर्वि.	2,14.20	93,00.77	93,00.62 - 0.15

2,14.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि के कारण होना सूचित किया गया।

(9) 2801—06—793—800—0603—अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनायें— 5084—अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास— मूल	14,84.68		
पूरक	16,00.00		
पुनर्वि.	1,09.00	31,93.68	31,93.67 - 0.01

1,09.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण होना सूचित किया गया।

पूँजीगत:

(v) 2,33,30.81 लाख ₹ की अन्तिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 91,03.48 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि नवम्बर 2011 एवं मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,62,78.52 लाख ₹ एवं 23,56.43 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 2,33,30.81 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 13 फरवरी एवं 31 मार्च 2012 को केवल 2,07,41.53 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईं—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
02—गृह विभाग			
(1) 4055—789—210—1303—केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6463—पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)			
मूल	6,75.00		
पुनर्वि.	- 4,05.00	2,70.00	2,70.00 ..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 4,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 31 मार्च 2012 को सर्वर बन्द होने के पूर्व चालान/देयकों के कोषालय में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समय पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण कोषालय से राशि आहरित न करने के कारण हुई।			
15—सहकारिता विभाग			
(2) 6425—789—106—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 7827—अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक— मूल 11,90.00 पुनर्वि. - 11,90.00			
समर्पण के रूप में 11,90.00 लाख ₹ के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत किसानों के ऋणों को परिवर्तित करने हेतु सहकारी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।			
17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(3) 4210—01—789—110—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 7648—अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण— मूल 1.00 पूरक 6,00.00 पुनर्वि. - 0.01	6,00.99	2,10.99	- 3,90.00
2,10.99 लाख ₹ का व्यय 1,80.33 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके एवं समर्पण के रूप में 0.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 4210—01—789—110—1303—केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6453—स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग) मूल 9,35.00 पुनर्वि. - 6,85.55	2,49.45	2,39.10	- 10.35
2,39.10 लाख ₹ का व्यय 31.02 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे और 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके एवं समर्पण के रूप में 6,85.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 4210—02—789—104—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5056—सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण— मूल 7,50.00 पूरक 41,20.00 पुनर्वि. - 17,07.21	31,62.79	30,41.59	- 1,21.20

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
30,41.59 लाख ₹ का व्यय 21,69.46 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे और 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके एवं समर्पण के रूप में 17,07.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(6) 4210—02—789—104—1403—नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6882—सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)—			
मूल	6,63.00		
पूरक	9,00.00		
पुनर्वि.	- 12,32.46	3,30.54	2,42.17 - 88.37

समर्पण के रूप में 12,32.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

19—लोक निर्माण कार्य विभाग

(7) 5054—03—789—101—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण—			
मूल	4,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	- 2,10.03	1,89.97	1,89.58 - 0.39

समर्पण के रूप में 2,10.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य हेतु मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(8) 5054—03—789—337—0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5495—राज्य राजमार्ग का उन्नयन (एम.पी.आर.डी.सी.)—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	- 20,00.00	20,00.00	20,00.00 ..

समर्पण के रूप में 20,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा सामान्य अनुबंध के अंतर्गत तकनीकी कारणों से चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।

(9) 5054—03—789—337—1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5003—म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम—			
मूल	99,40.50		
पुनर्वि.	- 40,70.24	58,70.26	49,70.26 - 9,00.00

समर्पण के रूप में 40,70.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत म.प्र. राज्य सड़क विकास कार्यक्रम—3 के लिये एशियन विकास बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव की विलंबित स्वीकृति के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 5054-04-789-800-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण			
मूल	50,00.00		
पूरक	11,52.62		
पुनर्वि.	- 26,65.30	34,87.32	28,27.10
(11) 5054-04-789-800-1403—नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)—			
मूल	30,00.00		
पूरक	6,52.38		
पुनर्वि.	- 21,51.69	15,00.69	15,62.46

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 26,65.30 लाख ₹ एवं 21,51.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्य निर्माण कार्यों के लिये मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

27—नर्मदा घाटी विकास विभाग

(12) 4700-41-789-800-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2872—बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना—				
मूल	38,94.21			
पुनर्वि.	- 8,10.00	30,84.21	29,29.73	- 1,54.48

8,10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य करने वाली एजेन्सी का निर्धारण न होने के कारण हुई (5,70.00 लाख ₹)। 2,40.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत एवं अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

31—जल संसाधन विभाग

(13) 4700-13-789-800-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य—				
		32,00.00	28,40.12	- 3,59.88

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

34—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(14) 4215-01-789-102-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5350—होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य—				
मूल	4,90.00			
पुनर्वि.	- 2,45.00	2,45.00	87.58	- 1,57.42

समर्पण के रूप में 2,45.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना में अधिक प्रावधान के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(15) 4215-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 9207—खारे पानी से प्रभावित ग्रामों के लिये पेयजल व्यवस्था— मूल 11,30.00 पुनर्वि. - 8,00.00	3,30.00	2,72.10	- 57.90
(16) 4215-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 9489—प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 29,52.30 पुनर्वि. - 18,20.00	11,32.30	10,23.67	- 1,08.63

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 8,00.00 लाख ₹ एवं 18,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य योजना बोर्ड एवं बजट में प्रावधानित राशि में अंतर के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 तथा क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(17) 4225-01-789-277-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8829—अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय— मूल 4,15.38 पुनर्वि. - 3,15.38	1,00.00	1,00.00	..
---	---------	---------	----

3,15.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(18) 4225-01-789-800-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 1400—आश्रम तथा छात्रावास भवन— मूल 3,56.00 पुनर्वि. - 3,56.00
(19) 4225-01-789-800-0803—केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 5635—बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना— मूल 3,56.00 पुनर्वि. - 3,56.00

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) प्रत्येक के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 3,56.00 लाख के समग्र प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 64—समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
19—लोक निर्माण कार्य विभाग			
(1) 5054-03-789-101-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6651—रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	5,00.00	6,99.46	+ 1,99.46
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 5054-03-789-337-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 5139—मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन— मूल पूरक पुनर्वि.	5,00.00 15.00 - 4,01.41	1,13.59 7,03.69	+ 5,90.10
समर्पण के रूप में 4,01.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वृहद निर्माण कार्य हेतु मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस योजना के अन्तर्गत अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में निधियों का समर्पण अवास्तविक था। अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			

27—नर्मदा घाटी विकास विभाग

(3) 4700-43-789-800-1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल पुनर्वि.	35,75.24 5,00.00	40,75.24	40,30.23	- 45.01
--	---------------------	----------	----------	---------

5,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कार्य की प्रगति एवं आर्थिक तंगी के कारण राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(4) 4225-01-789-800-0103—अनुसूचित जाति उपयोजना— 1400—आश्रम तथा छात्रावास भवन— मूल पुनर्वि.	42,22.00 3,15.38	45,37.38	45,37.38	..
---	---------------------	----------	----------	----

3,15.38 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं				
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
3053—नागर विमानन				
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	16,17,46			
पूरक	3,51,50	19,68,96	15,02,19	- 4,66,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				4,65,82
पूंजीगत:				
मूल	21,01,00			
पूरक	6,72,00	27,73,00	27,72,00	- 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				1,00

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 3,51.50 लाख ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,66.77 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 4,65.82 लाख ₹ की राशि का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052—091—4043—विमानन संचालनालय—				
मूल	15,85.44			
पूरक	3,51.50			
पुनर्वि.	- 4,33.80	15,03.14	15,02.19	- 0.95

4,33.80 लाख ₹ की प्रत्याशित के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 3053—80—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)				
5348—एयर होस्टेज एवं फ्लाईट स्टीवर्ड का प्रशिक्षण—				
मूल	30.00			
पुनर्वि.	- 30.00

30.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,98,98,36		
पूरक	1,06,39,99	5,05,38,35	4,99,09,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 6,29,07 2,76,75
<i>प्रभारित</i>		20	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (31 मार्च 2012)			- 20 20
पूंजीगत:			
दत्तमत		20,10,00	16,95,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 3,15,00 3,15,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत			

(i) 6,29.07 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,06,39.99 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,29.07 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,76.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 6,29.07 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225—03—001—1474—जिला तथा परियोजना प्रशासन—			
मूल	4,39.80		
पुनर्वि.	- 14.12	4,25.68	3,47.43
			- 78.25

अनुदान संख्या 66—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6890-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना-			
मूल	3,35.50		
पुनर्वि.	- 1,10.20	2,25.30	1,85.62
			- 39.68

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 14.12 लाख ₹ एवं 1,10.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, पुस्तकें तथा पत्रिकाओं के क्रय न होने, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4225-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 5512-जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण -			
मूल	10,50.00		
पुनर्वि.	- 3,15.00	7,35.00	7,35.00
			..

समर्पण के रूप में 3,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वृहद निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार से केद्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2216-आवास			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	3,64,52,89			
पूरक	56,87,00	4,21,39,89	3,65,25,86	- 56,14,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
<i>प्रभारित</i>		2,50,00	45,28	- 2,04,72
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				<i>निरंक</i>

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	98,11,00			
पूरक	10,50,00	1,08,61,00	67,21,68	- 41,39,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				43,62,07

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 56,14.03 लाख ₹ की अन्तिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 31,37.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 25,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 56,14.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-1481-जिला प्रशासन	6,00.00	3,88.11	- 2,11.89
(2) 2059-01-053-3645-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के रख-रखाव	6,00.00	4,37.17	- 1,62.83
(3) 2059-01-053-4177-शहरी (क्षेत्रों) औषधालयों के भवनों का रख-रखाव	4,00.00	0.89	- 3,99.11
(4) 2059-01-053-5459-अधीनस्थ न्यायालयों के अनुरक्षण कार्यों हेतु	3,00.00	1,67.42	- 1,32.58

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2059—80—001—2418—निष्पादन	1,45,27.07	1,19,62.65	- 25,64.42
(6) 2216—05—053—4489—सामान्य मरम्मतें— पूरक	20,00.00	20,00.00	11,14.31
(7) 2216—80—800—4489—सामान्य मरम्मतें— मूल	49,00.00		
पूरक	15,00.00	64,00.00	56,12.10
			- 7,87.90

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 एवं 2009—10 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2059—80—799—4056—विविध—लोक निर्माण पेशगियां	50.00	3,13.30	+ 2,63.30

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) उचंचत लेन—देन—

इस अनुदान के व्यय में शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य—'उचंचत' के अन्तर्गत दर्शाये गए 3,95.69 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं। 'उचंचत' के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या—20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (v) में की गई हैं।

वर्ष 2011—12 के दौरान इस अनुदान में लेखांकित 'उचंचत' लेन—देनों का विश्लेषण विभिन्न 'उचंचत' उपशीर्षों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है—

विवरण	1 अप्रैल 2011 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा—	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2012 को अंत शेष नामे+ जमा—
2059—लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	- 62,89.91	- 62,89.91
(ii) भण्डार	+ 25,03.70	82.39	1,51.73	+ 24,34.36
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,27,46.99	3,13.30	2,44.98	+ 1,28,15.31
योग	+ 89,60.78	3,95.69	3,96.71	+ 89,59.76

प्रभारित—

(vi) 2,04.72 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 67—जारी

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2059—80—800—1833—डिक्री धन का भुगतान (भारित)	2,50.00	45.28	- 2,04.72

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(viii) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (5,50.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (5,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 10,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 31 मार्च 2012 को किया गया 43,62.07 लाख ₹ का अभ्यर्पण 41,39.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1481—जिला प्रशासन— मूल पुनर्वि.	8,25.00 - 4,54.72	3,70.28	3,74.58 + 4.30
(2) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7094—जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य— पूरक पुनर्वि.	5,00.00 - 2,37.36	2,62.64	2,07.66 - 54.98
(3) 4059—01—051—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8041—लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उप संभागीय कार्यालय भवन का निर्माण— मूल पुनर्वि.	9,50.00 - 4,34.88	5,15.12	4,97.06 - 18.06

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 4,54.72 लाख ₹, 2,37.36 लाख ₹ एवं 4,34.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (2) तथा (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4059—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5534—परिवहन— मूल 90.00 पूरक 5,00.00 पुनर्वि. - 5,90.00
5,90.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत संबंधित विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220—शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 15,00.00 पुनर्वि. - 11,25.83	3,74.17	3,74.29	+ 0.12
11,25.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये अपेक्षित राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 4210—03—105—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6885—चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना— पूरक 50.00	50.00	..	- 50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(7) 4216—01—106—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6222—न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)— मूल 18,00.00 पुनर्वि. - 6,18.69	11,81.31	8,83.52	- 2,97.79
(8) 4853—02—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9276—खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु भवन निर्माण— मूल 9,00.00 पुनर्वि. - 6,79.55	2,20.45	2,05.55	- 14.90

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 6,18.69 लाख ₹ एवं 6,79.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये अपेक्षित राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2010—11, 2009—10 एवं 2008—09 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—समाप्त

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
2450—न्याय प्रशासन—			
मूल	32,00.00		
पुनर्वि.	- 18.08	31,81.92	34,97.95
			+ 3,16.03
(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5876—वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जाँच चौकियों का भवन निर्माण—			
मूल	3.00		
पुनर्वि.	- 26.57	3.43	2,86.93
			+ 2,83.50

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 18.08 लाख ₹ एवं 26.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य के लिये अपेक्षित राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जो कि अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अवास्तविक थी। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय
निकायो को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2217—नगरीय विकास				
2236—पोषण				
राजस्व:				
मूल	63,06,57			
पूरक	1,61,78	64,68,35	47,99,21	- 16,69,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				16,69,14

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 1,61.78 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग				
(1) 2217-05-796-191-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6221—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल	2,59,48			
पुनर्वि.	- 2,59.48
2,59.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नगर निगम को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजित की गई।				
(2) 2217-05-796-191-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6981—जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल	9,49.63			
पुनर्वि.	- 2,21.53	7,28.10	7,28.10	..
(3) 2217-05-796-192-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल	2,30.00			
पुनर्वि.	- 2,30.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,21.53 लाख ₹ एवं 2,30.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2217-05-796-193-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6221—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल 2,59.48 पुनर्वि. -2,45.39	14.09	14.09	..

2.45.39 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शहरी पंचायतों को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजित की गई।

(5) 2217-05-796-193-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 3,15.93 पुनर्वि. -3,10.11	5.82	5.82	..
---	------	------	----

समर्पण के रूप में 3,10.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2217-80-796-191-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6931—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 39,24.00 पुनर्वि. -9,07.50	30,16.50	30,16.50	..
--	----------	----------	----

समर्पण के रूप में 9,07.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

2217-05-796-192-0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 6221—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल 2,59.48 पुनर्वि. 5,04.87	7,64.35	7,64.35	..
---	---------	---------	----

5,04.87 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि नगर पालिकाओं के लिये भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 69—सूचना प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
5425—अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	28,92,00			
पूरक	2,40,00	31,32,00	20,56,00	- 10,76,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				10,76,00
पूंजीगत				
पूरक	50,00	50,00	50,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,40.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (1,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,40.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3425-60-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान-			
मूल	10,76.00		
पुनर्वि.	- 10,76.00

अभ्यर्पण के रूप में 10,76.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 70—तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2203—तकनीकी शिक्षा				
राजस्व				
मूल	3,70,02			
पूरक	3,72,70	7,42,72	6,75,71	- 67,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				66,90

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 67.01 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 3,72.70 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 67.01 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 66.90 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2203-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-				
5423-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-स्टेट प्रोग्राम-				
मूल	1,00.01			
पुनर्वि.	- 66.87	33.14	33.03	- 0.11

समर्पण के रूप में 66.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में कमी एवं सेमिनारों का आयोजन न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष:-			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व	2,52,00	1,94,15	- 57,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (21 मार्च 2012)			7,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 57.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 21 मार्च 2012 को केवल 7.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7856-जैव विविधता बोर्ड संबंधी व्यय	2,00.00	1,50.00	- 50.00
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अगस्त 2012)।			

अनुदान संख्या 72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	56,36,02		
पूरक	7,33,84	63,69,86	52,27,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			11,53,66
पूंजीगत:			
मूल	4,30,01		
पूरक	4,36,43	8,66,44	6,41,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			2,16,86

6.41.83 लाख ₹ के कुल व्यय में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा शीर्ष 4210-01-110-0775-कमला नेहरू अस्पताल के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443- सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 50.41 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (40.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2011 (6.93.84 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 7,33.84 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2012 को किया गया 11,53.66 लाख ₹ का अभ्यर्पण 11,42.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-001-0775-कमला नेहरू अस्पताल—			
मूल	9,68.15		
पुनर्वि.	- 1,53.54	8,14.61	8,14.61
(2) 2210-01-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन—			
मूल	5,60.80		
पूरक	94.50		
पुनर्वि.	- 65.80	5,89.50	5,89.50

अनुदान संख्या 72—जारी

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2210-01-001-5068—मास्टर लाल सिंह चिकित्सालय—				
मूल	3,35.60			
पूरक	1,06.31			
पुनर्वि.	- 84.27	3,57.64	3,57.64	..
(4) 2210-01-001-6954—शाकिर अली खान अस्पताल—				
मूल	3,96.03			
पूरक	2,89.00			
पुनर्वि.	- 2,47.35	4,37.68	4,37.68	..
(5) 2210-01-001-7007—पल्मोनरी इकाई—				
मूल	3,32.24			
पूरक	1,25.20			
पुनर्वि.	- 87.21	3,70.23	3,70.23	..
(6) 2210-01-001-8873—इंदिरा गांधी अस्पताल—				
मूल	10,06.30			
पुनर्वि.	- 1,21.47	8,84.83	8,97.46	+ 12.63
(7) 2235-02-001-8808— सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—				
मूल	3,35.60			
पुनर्वि.	- 1,48.76	1,86.84	1,86.84	..
(8) 3425-60-001-5857—आई.सी.एम.आर (रिसर्च)—				
मूल	73.80			
पुनर्वि.	- 73.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,53.54 लाख ₹, 65.80 लाख ₹, 84.27 लाख ₹, 2,47.35 लाख ₹, 87.21 लाख ₹, 1,21.47 लाख ₹, 1,48.76 लाख ₹ एवं 73.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूजीगत—

(iv) 2,24.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 1,26.56 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2011 में प्राप्त 1,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 2,09.87 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 2,24.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,16.86 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 72—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-01-110-0775-कमला नेहरू अस्पताल— मूल 2,85.00 पुनर्वि. - 1,44.27	1,40.73	1,40.73	..

1,44.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 1,48.79 लाख ₹ की कमी एवं 4.52 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अस्पताल परिसर में ई.टी.पी. निर्माण कार्य एवं दो पहिया वाहनों की पार्किंग के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। 1,40.73 लाख ₹ का व्यय 50.41 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शायी गई, जिसके साथ ही कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4210-01-110-6954-शाकिर अली खान अस्पताल— मूल 60.00 पुनर्वि. - 49.97	10.03	7.56	- 2.47
---	-------	------	--------

49.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 73—चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,72,12,89		
पूरक	21,08,28	2,93,21,17	2,70,44,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 22,77,16 निरंक

2,70,44.01 लाख ₹ के कुल व्यय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शीर्ष 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-4968-चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800- अन्य जमा में जमा की गई 4,64.42 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

	कुल	वास्तविक	आधिक्य + बचत -
पूंजीगत:			
मूल	18,93,01		
पूरक	12,85,78	31,78,79	30,97,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 81,03 निरंक

30,97.76 लाख ₹ के कुल व्यय में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शीर्ष 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2012 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 4,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2011 (4,64.42 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (16,43.86 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 21,08.28 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 22,77.16 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-3506-मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर	4,30.00	3,87.00	- 43.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(2) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय-			
मूल	1,28,59.28		
पूरक	14,77.30		
पुनर्वि.	- 24.27	1,43,12.31	1,23,66.41
			- 19,45.90

अनुदान संख्या 73—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

24.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,02.08 लाख ₹ की कमी एवं 77.81 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी के साथ ही वृद्धि के पर्याप्त कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी। इस शीर्ष के अन्तर्गत कुल अनुदान में पूंजीगत प्रकृति के उद्देश्य शीर्ष 63-मशीन के अन्तर्गत 10.97 लाख ₹ के प्रावधान का गलत वर्गीकरण शामिल है।

(3) 2210-05-105-1355-चिकित्सा शिक्षा

संचालनालय—

मूल	2,31.70			
पूरक	56.56			
पुनर्वि.	- 1.50	2,86.76	2,24.28	- 62.48

1.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3.50 लाख ₹ की कमी एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी के साथ ही वृद्धि के पर्याप्त कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(4) 2210-05-105-1915-दन्त

महाविद्यालय—

मूल	4,56.65			
पुनर्वि.	- 7.61	4,49.04	3,96.59	- 52.45

7.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूंजीगत:

(iv) 81.03 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2011 में प्राप्त किया गया 12,85.78 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 81.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401—फसल कृषि कर्म			
2403—पशु पालन			
2405—मछली पालन			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	44,65,36,11			
पूरक	2,75,21,17	47,40,57,28	41,98,90,09	- 5,41,67,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,25,26,43

पूंजीगत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,59,65,00	2,38,09,87	+ 78,44,87 निरंक
------------------------------	--	------------	------------	---------------------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (1,40,40.57 लाख ₹), नवम्बर 2011 (81,32.60 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (53,48.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,75,21.17 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,41,67.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,25,26.43 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6967-माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन-			
मूल	62,15.00		
पुनर्वि.	- 24,31.04	37,83.96	37,63.88
			- 20.08

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन— मूल 29,36.00 पुनर्वि. - 19,90.12	9,45.88	9,36.21	- 9.67
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 24,31.04 लाख ₹ एवं 19,90.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2215-01-102-2219—नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण— पूरक 1,05.57 पुनर्वि. - 1,05.57
(4) 2215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8415—ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान— मूल 16,27.00 पुनर्वि. - 1,80.00	14,47.00	13,02.80	- 1,44.20
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,05.57 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान का समर्पण) एवं 1,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(5) 2215-02-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5206—समग्र स्वच्छता अभियान— मूल 23,20.95 पुनर्वि. - 4,56.44	18,64.51	18,52.46	- 12.05
4,56.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(6) 2235-60-196-2245—नशाबन्दी कार्यक्रम— मूल 3,15.00 पुनर्वि. - 1,56.14	1,58.86	1,58.52	- 0.34
(7) 2235-60-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0075—अंध, मूक, बधिरों को वृत्तियां— मूल 2,22.24 पुनर्वि. - 86.31	1,35.93	1,75.21	+ 39.28
(8) 2235-60-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 0075—अंध, मूक, बधिरों को वृत्तियां— मूल 1,06.52 पुनर्वि. - 19.15	87.37	66.05	- 21.32

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0075-अंध, मूक, बधिरों को वृत्तियां- मूल 2,06.35 पुनर्वि. - 37.21	1,69.14	1,38.54	- 30.60
(10) 2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- मूल 54,60.39 पुनर्वि. - 89.65	53,70.74	48,67.49	- 5,03.25
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,56.14 लाख ₹, 86.31 लाख ₹, 19.15 लाख ₹, 37.21 लाख ₹ एवं 89.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत छात्रों एवं हितग्राहियों की कम संख्या के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (7) के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या 10 के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1580-मेक्रो मेनेजमेन्ट योजना- मूल 4,75.70 पुनर्वि. - 4,37.69	38.01	38.01	..
(12) 2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम- मूल 3,59.94 पुनर्वि. - 3,59.94
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 4,37.69 लाख ₹ एवं 3,59.94 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत राशि विमुक्त न किये जाने एवं भारत सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2401-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2806-फल पौध रोपण हेतु अनुदान- मूल 5,22.03 पुनर्वि. - 81.31	4,40.72	4,40.86	+ 0.14
समर्पण के रूप में 81.31 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(14) 2401-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5008-अंगूर की खेती की योजना- मूल 53.69 पुनर्वि. - 46.97	6.72	6.56	- 0.16
46.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना की ऊँची लागत के कारण अंगूर की खेती में किसानों की न्यूनतम रुचि के कारण समर्पित की गई।			

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(15) 2501-03-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5770—इंटीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेन्ट प्रोग्राम— मूल 21,05.00 पुनर्वि. - 14,17.61		6,87.39	6,87.39	..
(16) 2501-06-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8701—स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (राज्य)— मूल 30,01.26 पुनर्वि. - 6,10.84		23,90.42	23,82.77	- 7.65
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 14,17.61 लाख ₹ एवं 6,10.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।				
(17) 2501-06-198-0101— राज्य आयोजना (सामान्य)— 5484—समन्वित आजीविका कार्यक्रम अंतर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण— मूल 1,40.00 पुनर्वि. - 70.00		70.00	70.00	..
70.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम मांग एवं मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।				
(18) 2501-06-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6079—सुधार, सुदृढीकरण पुर्नस्थापना (आर.आर.आर.)— मूल 56.00 पुनर्वि. - 56.00	
समर्पण के रूप में 56.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(19) 2501-06-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6487—इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट इन रुरल हेबिटेट		78,93.84	..	- 78,93.84
नई सेवा के लिये उपबन्धित सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।				
(20) 2501-06-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9249—बेकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना— मूल 3,33,91.30 पुनर्वि. - 44,47.70		2,89,43.60	2,89,43.60	..

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(21) 2505-01-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6923—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मूल 1,79,40.00 पुनर्वि. - 57,82.32	1,21,57.68	1,21,57.68	..
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 44,47.70 लाख ₹ एवं 57,82.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश के कम प्राप्त होने या प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(22) 2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	33,90.00	30,15.00	- 3,39.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2515-198-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7886—मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन— मूल 67,50.00 पुनर्वि. - 9,33.89	58,16.11	58,16.11	..
समर्पण के रूप में 9,33.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 2515-198-0701—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5273—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण	3,00.00	..	3,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(25) 2515-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6931—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम— मूल 2,74,99.60 पुनर्वि. - 36,59.62	2,38,39.98	2,38,39.98	..
(26) 2515-800-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6364—बी.पी.एल.सर्वे— मूल 12,00.00 पुनर्वि. - 12,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (25) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 36,59.62 लाख ₹ एवं 12,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(27) 3604—197—4610—अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान	2,16,44.00	1,24,76.12	- 91,67.88
(28) 3604—198—4610—अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के विरुद्ध अनुदान— पूरक	20,62.00	20,62.00	.. - 20,62.00
(29) 3604—198—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6086—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	55,45.00	6,15.00	- 49,30.00

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2216—03—198—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5198—इंदिरा आवास योजना— मूल	34,76.10		
पूरक	45.45		
पुनर्वि.	20,14.26	55,35.81	55,25.18 - 10.63

20,14.26 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भारत सरकार से अधिक केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2235—60—196—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण— मूल	18,20.13		
पुनर्वि.	- 31.30	17,88.83	20,13.26 + 2,24.43
(3) 2235—60—197—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5859—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन— मूल	1,52.40		
पुनर्वि.	- 5.43	1,46.97	2,19.97 + 73.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 31.30 लाख ₹ एवं 5.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की कम संख्या के कारण हुई जो कि अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अवास्तविक थी। इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 74—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना-			
मूल	15,29.56		
पुनर्वि.	4,55.69	19,85.25	19,85.26 + 0.01

4,55.56 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,67.22 लाख ₹ की वृद्धि एवं 11.53 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि समीक्षा समिति के निर्णय अनुसार एवं भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी कम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(5) 3604-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)-				
मूल	2,82,68.00			
पूरक	32,86.00	3,15,54.00	3,48,94.00	+ 33,40.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

पूँजीगत:-

(v) दत्तमत अनुदान से हुए 78,44,87,200 ₹ के अधिक व्यय का नियमितीकरण आवश्यक है।

(vi) चूँकि मूल प्रावधान अपर्याप्त था, अधिक व्यय की पूर्ति हेतु पूरक प्रावधान किया जाना चाहिए था।

(vii) प्रावधान से अधिक व्यय निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4515-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-			
6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	1,59,15.00	2,37,59.87	+ 78,44.87

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

अनुदान संख्या 75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	34,20,22,49			
पूरक	2,78,32,33	36,98,54,82	34,02,64,47	- 2,95,90,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				2,63,17,15

प्रभारित—

मूल	74,15,00			
पूरक	1,26,65,31	2,00,80,31	1,40,15,42	- 60,64,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)				60,64,89

पूंजीगत:

दत्तमत		16,50,00	16,50,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (4,63.22 लाख ₹), नवम्बर 2011 (1,02,88.23 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (1,70,80.88 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,78,32.33 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,95,90.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 2,63,17.15 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2669—स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान ग्रामीण एवं शहरी	84,70.00	69,96.75	- 14,73.25

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2215-01-001-0545-प्रदेश के जलप्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण— पूरक	13,27.66	13,27.66	10,47.08 - 2,80.58
(3) 2215-01-001-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— पूरक	7,75.00	7,75.00	2,87.06 - 4,87.94
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2217-05-191-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान— मूल	73,34.00		
पुनर्वि.	- 33,30.96	40,03.04	40,03.04 ..
(5) 2217-05-191-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान— मूल	25,34.12		
पुनर्वि.	- 11,54.11	13,80.01	13,80.01 ..
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 33,30.96 लाख ₹ एवं 11,54.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार राशि का आहरण होने के कारण हुई।			
(6) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल	59,39.28		
पुनर्वि.	- 35,26.73	24,12.55	24,12.55 ..
35,26.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नगर निगम को वित्तीय सहायता के अन्तर्गत भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।			
(7) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6981-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल	3,19,91.16		
पुनर्वि.	- 48,58.68	2,71,32.48	2,71,32.48 ..
(8) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	- 6,00.00

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 48,58.68 लाख ₹ एवं 6,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2217-05-192-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान— मूल पुनर्वि.	52,42.00 - 24,34.25	28,07.75	28,07.75 ..
(10) 2217-05-192-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान— मूल पुनर्वि.	17,77.52 - 8,09.40	9,68.12	9,68.12 ..
(11) 2217-05-192-6552-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान— मूल पुनर्वि.	1,32.19 - 1,32.19
उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 24,34.25 लाख ₹, 8,09.40 लाख ₹ एवं 1,32.19 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार राशि का आहरण होने के कारण हुई।			
(12) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल पुनर्वि.	11,50.00 - 5,43.59	6,06.41	6,06.41 ..
समर्पण के रूप में 5,43.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2217-05-193-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान— मूल पुनर्वि.	35,54.00 - 16,54.79	18,99.21	18,99.21 ..
(14) 2217-05-193-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान— मूल पुनर्वि.	12,02.36 - 5,47.49	6,54.87	6,54.87 ..

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(15) 2217-05-193-6552-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान— मूल 65.81 पुनर्वि. - 65.81
समर्पण के रूप में उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 16,54.79 लाख ₹, 5,47.49 लाख ₹ एवं 65.81 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के अनुसार राशि का आहरण होने के कारण हुई।			
(16) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल 1,06.63 पुनर्वि. - 50.00	56.63	56.63	..
समर्पण के रूप में 50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नगर निगम को वित्तीय सहायता के अंतर्गत भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 15,02.81 पुनर्वि. - 3,36.97	11,65.84	11,65.84	..
समर्पण के रूप में 3,36.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2217-80-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6607-शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना हेतु अनुदान— मूल 50,00.00 पुनर्वि. - 50,00.00
समर्पण के रूप में 50,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से आबंटन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(19) 2235-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 37,28.80 पुनर्वि. - 23.01	37,05.79	33,35.24	- 3,70.55

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(20) 2235-02-192-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 35,39.61 पुनर्वि. - 5,44.97	29,94.64	28,41.49	- 1,53.15
(21) 2235-02-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8786—इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— मूल 17,36.80 पुनर्वि. - 16.61	17,20.19	15,62.41	- 1,57.78
(22) 2235-02-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 14,74.84 पुनर्वि. - 1,96.15	12,78.69	12,81.63	+ 2.94
उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (22) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 23.01 लाख ₹, 5,44.97 लाख ₹, 16.61 लाख ₹ एवं 1,96.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (21) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इन शीर्षों के अंतर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2501-06-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6931—मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 40,92.00 पुनर्वि. - 9,16.59	31,75.41	31,75.41	..
समर्पण के रूप में 9,16.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(24) 3604-191-6062—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति— मूल 10,00.00 पुनर्वि. - 10,00.00
(25) 3604-191-6063—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान— मूल 10,00.00 पुनर्वि. - 10,00.00
उपरोक्त क्रमांक (24) एवं (25) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नगरीय निकायों द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने के कारण हुई।			
(26) 3604-191-9436—यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान— मूल 27,56.00 पुनर्वि. - 4,15.64	23,40.36	23,41.63	+ 1.27

अनुदान संख्या 75—समाप्त

4,15.64 लाख ₹ प्रत्याशित बचत शासन द्वारा बजट अनुमान का पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स-			
मूल	33,57.48		
पुनर्वि.	35,76.73	69,34.21	1,05,10.94 + 35,76.73

35,76.73 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि नगर पालिकाओं के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
मूल	76.20		
पुनर्वि.	- 5.66	70.54	3,06.60 + 2,36.06

समर्पण के रूप में 5.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई जो कि अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में अवास्तविक थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित-

(v) 60,64.89 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 86,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 40,65.31 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) विनियोगमें बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3604-200-4035-पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण-			
मूल	74,15.00		
पूरक	1,26,65.31		
पुनर्वि.	- 60,64.89	1,40,15.42	1,40,15.42 ..

समर्पण के रूप में 60,64.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नगरीय निकायो के अनुसार दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

**अनुदान संख्या 76—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2810—अपारम्परिक उर्जा के स्रोत			
राजस्व	28,38,72	12,62,35	- 15,76,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2012)			15,16,33

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 15,76.37 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2012 को केवल 15,16.33 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—
शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2810—01—001—2304—निर्देशन एवं प्रशासन	86.22	26.18	- 60.04
(2) 2810—02—101—0410—उर्जा विकास निधि— 6319—सौर उर्जा पार्क राजगढ़ हेतु म.प्र. उर्जा विकास निगम को अनुदान— मूल 50.00 पुनर्वि. - 50.00
(3) 2810—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3220—म.प्र. उर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान— मूल 18,60.00 पुनर्वि. - 12,58.83	6,01.17	6,01.17	..
(4) 2810—03—104—0410—उर्जा विकास निधि— 3220— म.प्र. उर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान— मूल 50.00 पुनर्वि. - 40.00	10.00	10.00	..
(5) 2810—60—600—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3220—म.प्र. उर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान— मूल 1,15.00 पुनर्वि. - 1,15.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 50.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 12,58.83 लाख ₹, 40.00 लाख ₹ एवं 1,15.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 77—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेल तथा युवा सेवायें			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	12,64,19,67		
पूरक	1,11,44,12	13,75,63,79	10,53,24,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 3,22,39,35 1,01,99,23
प्रभारित—			
मूल	25,00		
पूरक	25,00	50,00	24,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			- 25,77 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		17,35,01	16,60,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2012)			- 74,63 74,62

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2011 (28,90.00 लाख ₹), नवम्बर 2011 (58,09.81 लाख ₹) एवं मार्च 2012 (24,44.31 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,11,44.12 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,22,39.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को केवल 1,01,99.23 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-02-001-9230—संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	9,51.32	7,63.16	- 1,88.16
(2) 2202-02-109-0581—उच्चतर माध्यमिक शालाएं	8,72,73.10	6,73,40.79	- 1,99,32.31
(3) 2202-02-109-4193—शास.विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	64,97.51	52,41.17	- 12,56.34

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 77—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6005—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन— मूल 37,64.51 पूरक 19,20.00 पुनर्वि. - 8,99.36	47,85.15	47,85.15	..
(5) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6918—सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय— मूल 25,60.00 पुनर्वि. - 25,60.00
(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968—हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन— मूल 25,38.68 पुनर्वि. - 15,77.26	9,61.42	9,55.93	- 5.49
(7) 2202-02-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5704—हाईस्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों में उन्नयन— मूल 57,87.95 पुनर्वि. - 20,76.50	37,11.45	36,62.56	- 48.89
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 8,99.36 लाख ₹, 25,60.00 लाख ₹ (समग्र प्रावधान), 15,77.26 लाख ₹ एवं 20,76.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।	14,14.73	12,59.29	- 1,55.44
(9) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6813—साइकिलों का प्रदाय— मूल 38,30.00 पूरक 53,09.00 पुनर्वि. - 9,77.01	81,61.99	79,96.35	- 1,65.64
(10) 2202-80-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6014—माध्यमिक विद्यालयों में विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)— मूल 16,32.00 पुनर्वि. - 13,01.88	3,30.12	3,23.77	- 6.35

अनुदान संख्या 77—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 9,77.01 लाख ₹ एवं 13,01.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।			
(11) 2204-102-3754-राष्ट्रीय सैन्य दल कनिष्ठ संभाग-			
मूल	8,94.00		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	- 2,22.30	6,86.70	6,95.11 + 8.41

2,22.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,37.30 लाख ₹ की कमी एवं 15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी दस प्रतिशत आर्थिक कटौती, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/आकस्मिक निधन, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अवकाश के दौरान मजदूरी का भुगतान न होने, एन.सी.सी. कैडेटों की दैनिक परेड में उपस्थिति कम होने, आकस्मिक कारणों से अंशकालिक एन.सी.सी. अधिकारियों द्वारा पाठ्यक्रम में भाग न लेने तथा महानिरीक्षक एन.सी.सी. द्वारा आयोजित शिविरों में विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित संख्या में भाग न लेने के कारण हुई जबकि वृद्धि कार्य भारित कर्मचारियों, अन्य आकस्मिक मदों तथा छठवें वेतन आयोग की बकाया राशि के लिये निधियों का आवंटन न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल वरिष्ठ संभाग-			
मूल	16,05.00		
पूरक	3.65		
पुनर्वि.	- 2,19.22	13,89.43	13,97.35 + 7.92

2,19.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,49.22 लाख ₹ की कमी तथा 30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी दस प्रतिशत आर्थिक कटौती, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों के आकस्मिक निधन, अवकाश के दौरान कार्य भारित कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से अवकाश वेतन का भुगतान न होने, अंशकालिक एन.सी.सी. अधिकारियों द्वारा आकस्मिक कारणों से पाठ्यक्रम में भाग न लेने, स्थानान्तरण कम होने, रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने, महानिरीक्षक एन.सी.सी. द्वारा जनवरी/फरवरी में आयोजित शिविरों में निर्धारित संख्या में विद्यार्थियों द्वारा भाग न लेने तथा नियमित परेड में कैडेटों की संख्या कम होने के कारण हुई जबकि वृद्धि छठवें वेतन आयोग के एरियर, तथा कार्यभारित/आकस्मिक कर्मचारियों के लिए अन्य मदों में आवंटन न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)।

प्रभारित-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, नवम्बर 2011 में प्राप्त किया गया 25.00 लाख ₹ अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 25.77 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय-			
मूल	25.00		
पूरक	25.00	50.00	24.23 - 25.77

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2012)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11, 2009-10 एवं 2008-09 के दौरान भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 12 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
			अधिक (+)	कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	
(हजार ₹ में)				
03. पुलिस				
राजस्व-				
दत्तमत	10,00,00	..		- 10,00,00
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	5,00,00	..		- 5,00,00
राजस्व-				
प्रभारित	12,00,00	..		- 12,00,00
12. ऊर्जा-				
राजस्व-				
दत्तमत	48,00,00	..		- 48,00,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	..	33,45,00		+ 33,45,00
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-				
राजस्व-				
दत्तमत	1,49,17	..		- 1,49,17
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -				
पूँजीगत-				
दत्तमत	54,70,04	- 8,90		- 54,78,94
23. जल संसाधन-				
राजस्व-				
दत्तमत	2,36,15,82	19,67,21		- 2,16,48,61
पूँजीगत-				
दत्तमत	19,30,50	1,57,54		- 17,72,96
24. लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल-				
राजस्व-				
दत्तमत	1,90,15,75	..		- 1,90,15,75
29. विधि और विधायी कार्य-				
राजस्व-				
दत्तमत	24,87,92	..		- 24,87,92
30. ग्रामीण विकास-				
राजस्व-				
दत्तमत	3,61,60	..		- 3,61,60
39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण-				
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,00,00	2,79,78		- 8,20,22

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
		(हजार ₹ में)	
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,11,20,51	..	1,11,20,51
पूंजीगत—			
दत्तमत	75	..	- 75
48. नर्मदा घाटी विकास—			
राजस्व—			
दत्तमत	6,58,32	..	- 6,58,32
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,96,01,47	..	- 1,96,01,47
58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	3,09,29,26	3,09,29,25	- 1
67. लोक निर्माण कार्य—भवन—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,00	3,96,71	+ 3,95,71
74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता—			
राजस्व—			
दत्तमत	4,57,02,20	..	- 4,57,02,20
76—नवीन एवं नवकरणीय उर्जा—			
राजस्व—			
दत्तमत	1,15,00	..	- 1,15,00
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	14,04,56,55	3,32,93,17	- 10,71,63,38
प्रभारित	12,00,00	..	- 12,00,00
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,81,02,76	37,73,42	- 2,43,29,34
प्रभारित
महायोग			
राजस्व	14,16,56,55	3,32,93,17	- 10,83,63,38
पूंजीगत	2,81,02,76	37,73,42	- 2,43,29,34

परिशिष्ट-II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 12 पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
01-सामान्य प्रशासन	2012-03-800-6986-राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था	1,00.00	1,00.00	1,00.00
01-सामान्य प्रशासन	2012-03-800-6986-राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था (भारित)	1,20.50	1,20.50	1,20.50
03-पुलिस	2055-101-0270-अपराध अनुसंधान विभाग	92,73.32	78,22.15	28.21
03-पुलिस	2055-101-0101-5554-साइबर अपराध अन्वेषण	1,41.50	1,41.50	99.00
03-पुलिस	2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	13,56,45.51	13,18,57.10	10,00.00
03-पुलिस	2055-109-6065-थानों का सुदृढीकरण	13,50.00	13,15.77	6,79.87
03-पुलिस	2055-109-0101-5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	1,50.00	1,50.00	1,50.00
03-पुलिस	2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	70,00.00	26,63.18	24,93.31
03-पुलिस	4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25,00.00	10,37.61	7,73.58
03-पुलिस	4055-800-0701-6631-नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढीकरण	4,45.00	4,45.00	4,45.00
07-वाणिज्यिक कर	2040-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	23,18.93	5,71.86	51.18
13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0101-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	2,27,25.00	1,51,45.37	6,00.00
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-104-0101-0750-औषध नियंत्रण	9,21.09	5,21.58	65.24
19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1301-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)	40,65.00	6,10.29	1,21.63
26-संस्कृति	2205-102-0101-6936-भारत भवन में कला ग्राम की स्थापना	2,00.00	2,00.00	2,00.00
26-संस्कृति	2205-800-1301-6464-स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य	43,75.00	36,68.80	34,87.00

परिशिष्ट-II-जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(लाख ₹ में)		
29-विधि और विधायी कार्य	2014-105-1301-6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	1,58,04.00	1,29,29.24	1,21,24.18
31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	3451-101-0101-6267-जिला नवाचार कोष (13वां वित्त आयोग)	16,00.00	16,00.00	16,00.00
36-परिवहन	6075-800-7017-म.प्र. सड़क परिवहन निगम को ऋण	2,00.00	2,00.00	1,53.97
37-पर्यटन	5452-01-101-0701-7630-पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रांश)	25,00.00	25,00.00	3,09.24
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6559-प्रदेश में बुद्धिष्ठ परिपथ का विकास	1,00.00	1,00.00	1,00.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6560-धार्मिक पर्यटन का विकास	3,00.00	3,00.00	2,00.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6561-जैन परिपथ का विकास	3,00.00	3,00.00	1,00.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6563- हेरिटेज पर्यटन का विकास	4,00.00	4,00.00	4,00.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6567-पहुंच मार्गों एवं आन्तरिक मार्गों का उन्नयन	7,00.00	7,00.00	4,00.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6570-सांख्यिकी प्रकोष्ठ का विकास	50.00	50.00	50.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-6571-मेला एवं उत्सव	1,50.00	1,50.00	1,50.00
37-पर्यटन	5452-01-190-1301-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1,00.00	1,00.00	50.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-796-105-0702-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	3,11.78	2,95.82	2,94.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2230-03-796-003-0102-6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	7,00.34	3,83.74	25.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-796-101-0702-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	2,00,70.00	1,98,93.62	89.17
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग)	2401-796-800-0102-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	90,10.56	61,55.46	4,00.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	3451-796-101-1302-6267-जिला नवाचार कोष	5,25.00	5,25.00	5,25.00
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-796-110-0102-7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	19,35.42	1,16.19	1,00.00

परिशिष्ट-II-जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(लाख ₹ में)		
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-796-110-1302-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)	12,50.00	4,93.10	2,53.46
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-02-796-104-0102-5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	36,30.50	19,60.79	12,30.10
43-खेल एवं युवा कल्याण	2204-800-0101-5283-युवा आयोग को अनुदान	5.00	5.00	5.00
43-खेल एवं युवा कल्याण	4202-01-800-0101-6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना का निर्माण	17,14.00	17,12.26	5,00.00
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-104-0101-5700-प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नॉलाजी की स्थापना	1,00.00	1,00.00	50.00
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	22,38.22	18,04.69	15,19.93
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	65.15	65.15	65.15
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-02-104-0701-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	19,56.08	19,56.07	6,30.48
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	4202-03-003-0701-6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	65.00	65.00	65.00
55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	6,11,35.86	6,11,64.49	1,82,24.54
55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	4,13.10	4,08.89	3,06.00
55-महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0701-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	5,66,70.00	5,64,92.83	2,18.49
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4701-80-001-1501-5584-सिंहपुर बैराज	50,00.00	50,00.26	24,67.71
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6077-नवीन लघु सिंचाई योजना	42,52.00	66,51.00	5,00.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग)	2055-789-109-0703-5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना	28,61.16	26,07.08	34.29

परिशिष्ट-II-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(लाख ₹ में)		
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	6,67.99	6,30.00	6,30.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2230-03-789-003-0103-6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	4,87.23	2,65.55	39.44
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (महिला एवं बाल विकास विभाग)	2236-02-789-101-0703-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	1,34,60.00	1,33,20.59	37.45
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)	2401-789-800-0103-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	67,93.99	40,91.54	5,00.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)	3451-789-101-1303-6267-जिला नवाचार कोष	3,75.00	3,75.00	3,75.00
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-0103-7648-अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण	6,01.00	2,10.99	1,80.33
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-01-789-110-1303-6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)	9,35.00	2,39.10	31.02
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	4210-02-789-104-0103-5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	48,70.00	30,41.59	21,69.46
72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	4210-01-110-0775-कमला नेहरू अस्पताल	2,85.00	1,40.73	50.41
73-चिकित्सा शिक्षा	2210-05-105-0101-4968-चिकित्सा महाविद्यालय	1,18,26.72	1,17,29.67	4,64.42
73-चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0701-6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	8,97.00	8,97.00	4,00.00
योग		42,86,42.95	38,79,98.15	5,84,32.76